लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड १०, १९५७

(९ दिसम्बर से २१ दिसम्बर, १९५७)

2nd Lok Sabha

(Third Session)

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 24.11.83
Parliament Library

दूसरा सत्र, १९५७

(खण्ड १० में अंक २१ से ३२ तक है)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

314 LSD--1

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड १०—अंक २१ से ३२—दिनांक ९ दिसम्बर से २१ दिसम्बर, १९५७)

अंक २१, सोमवार, ९ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ९०० से ९०४, ९०६, ९०७, ९०९, ९१२ से ९१४, ९१६ और ९१८ से ९२१ — २०८५–२१०७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९०५, ९१०, ९११, ९१५, ९१७, ९२२ से ९२८ और ४८७ — २१०८–१३

अतारांकित प्रश्न संख्या १२९३ से १३७१ और १३७३ से १३७५ — २११३–५०

मूंवडा समवाय समूह में जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन के बारे में — २१५०

सभा पटल पर रखे गये पत्र — २१५०

राज्य सभा से संदेश — २१५०–५१

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए समय का बढ़ाया जाना — २१५१

कानपुर में श्रम सम्बन्धी स्थिति के विषय में स्थगन प्रस्ताव के बारे में निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक

विचार के लिए प्रस्ताव — २१५१–८३

दैनिक सक्षेपिका — २१८४–८८

अंक २२, मंगलवार, १० दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२९ से ९३६, ९३८ से ९४०, ९४२ से ९४८, ९५२ से ९५४ और ९५६ — २१८९–२२१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३७, ९४१, ९४९, ९५१, ९५५, ९५७ से ९६२, ९६२-क, ९६३ से ९७९, ९७९-क, ९८० और ९८१ — २२१५–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १३७६ से १३८८ और १३९० से १४६० — २२२७–६२

	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२२६२–६३
कार्य मंत्रणा समिति--	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन	२२६३
निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक--	
विचार के लिए प्रस्ताव	२२६३–२३०१
खण्ड २ और १	२२८५–२३००
पारित करने के लिए प्रस्ताव	२३००
मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक --	
विचार के लिए प्रस्ताव	२३०१–०४
दैनिक संक्षेपिका	२३०५–१०
अंक २३, बुधवार, ११ दिसम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८३, ९८४, ९८६, ९८७, ९९० से ९९२, ९९४ से ९९६, ९९८ से १०००, १००२, १००४, १००८ से १०१० और १०१४ से १०१९	२३११–३५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८५, ९८९, ९९३, ९९७, १००१, १००३, १००५ से १००७, १०११ से १०१३, १०२० से १०२५ और १०२७ से १०५२	२३३६–५३
अतारांकित प्रश्न संख्या १४६१ से १५४४	३३५३–९०
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२३९०–९२
राज्य सभा से सन्देश	२३९२
भारतीय रक्षित सेना (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, सभा-पटल पर रखा गया	२३९२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
ग्यारहवां प्रतिवेदन	२३९३

	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति--	
पंद्रहवां प्रतिवेदन	२३९३
मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक--	
विचार के लिये प्रस्ताव	२३९३–२४२१
खण्ड २ से ८ और १	२४१३–२०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२४२०
दिल्ली विकास विधेयक--संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में--	
विचार के लिये प्रस्ताव	२४२१–४३
दैनिक संक्षेपिका	२४४४–५०
अंक २४, गुरुवार, १२ दिसम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५५ से १०६१, १०६३, १०६६, १०६७, १०६९ से १०८०	
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०५४, १०६२, १०६४, १०६५ और १०६८	२४७५–७७
अतारांकित प्रश्न संख्या १५४५ से १६०२, १६०४ और १६०५	२४७७–२५०३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२५०३–०४
राज्य सभा से सन्देश	२५०४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
ब्योर मिल्स कानपुर में कामगरों की 'भीतर रहो' हड़ताल	२५०४–०५
समिति के लिये निर्वाचन	२५०५
नागरिकता (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित	२५०५–०६
सभा का कार्य	२५०६
दिल्ली विकास विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में--	
विचार करने का प्रस्ताव	२५०६–५८
खण्ड २ से ६० और १	२५२०--५६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२५५६

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक

और

सम्पदा-शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायें पर कर (वितरण) विधेयक—
(असमाप्त)

विचार करने का प्रस्ताव २५५७–६६

दैनिक संक्षेपिका २५६७–७०

अंक २५, शुक्रवार, १३ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८१ से १०८६, १०८८ से १०९०, १०९८, १०९९ और ११०३ से १११२ २५७१–९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८७, १०९१, १०९२ से १०९७, ११००, ११०१, और १११३ से ११२५ २५९६–२६०४

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०६ से १६७२ २६०५–३२

सभा का कार्य २६३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६ के उत्तर की शुद्धि २६३२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २६३२

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक, १९५७—पुरःस्थापित २६३३

संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक और सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर (संशोधन) विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव २६३३–५३

संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक—

खण्ड १ से ६ २६५१

पारित करने का प्रस्ताव २६५१

सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर (वितरण) विधेयक—

खण्ड १ से ६ २६५१

पारित करने का प्रस्ताव २६५१

पृष्ठ

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) २६५३–५५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

ग्यारहवां प्रतिवेदन २६५६

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प २६५६–६८

प्रदीप में एक बड़ा पत्तन बनाने के बारे में संकल्प २६६८–६९, ३६७२–८०

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) विधेयक—पुरःस्थापित २६६९–७१

उत्पादन-शुल्क में कमी करने और अतिरिक्त उत्पादन छूट को वापस लेने के बारे में वक्तव्य २६७२

राष्ट्रीयकरण के प्रयोजन से अनुसूचित बैंकों के कार्य संचालन के पुनरीक्षण के लिये एक समिति गठित करने के बारे में संकल्प २६८०

दैनिक संक्षेपिका २६८१–८५

अंक २६, शनिवार, १४ दिसम्बर, १९५७

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २६८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६८७

सभा का कार्य २६८७,२६८८–८९

अनुपूरक अनुदानों की मांगें २६८९–२७०३

भारतीय प्रशुल्क (दूसरा संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २७०४–२७

खण्ड २, ३ और १ २७२४–२७

पारित करने का प्रस्ताव २७२७

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७२७–३३

दैनिक संक्षेपिका २७३४

अंक २७, सोमवार, १६ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६, ११२८, ११३० से ११३३, ११३७, ११४२, ११४४, ११४७, ११४९, ११५०, ११५२, ११५६, ११५७, ११६०, ११६२, ११६३ और ११६७ से ११६९ २७३५–६०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ २७६०–६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६-क, ११२९, ११३४ से ११३६, ११३८ से ११४१, ११४३, ११४५, ११४६, ११४८, ११५१, ११५३ से ११५५, ११५८, ११५९, ११६१, ११६४ से ११६६ और ११७१ से ११८९ २७६२–७७

अतारांकित प्रश्न संख्या १६७३ से १७३३ २७७७–२८०६

स्थगन प्रस्ताव--

हावड़ा में उपनगरीय बिजली की रेलवे व्यवस्था के उद्घाटन के सम्बन्ध में अपर्याप्त प्रबन्ध २८०६–०७

राज्य-सभा से संदेश २८०७

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) विधेयक--

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित २८०७

अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित २८०८

विनियोग (संख्या ५) विधेयक--पुरःस्थापित--

विचार करने और पारित करने का प्रस्ताव २८०८–१०

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक--

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २८१०–३७

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव २८३७–४९

जीवन बीमा निगम की निधियों का विनियोजन २८४९–६०

कार्य मंत्रणा समिति--

सोलहवां प्रतिवेदन २८५३

दैनिक संक्षेपिका २८६१–६६

अंक २८, मंगलवार, १७ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११९० से ११९२, ११९४ से १२०२ और १२०४ २८६७–९१

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ११६३, १२०३, १२०५ से १२२७ और ६०८	२८६१–२६०१
अतारांकित प्रश्न संख्या १७३४ से १७८२, १७८४ से १७६५ और १७६७ से १८०२	२६०२–२६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२६२६–३०
कार्य मंत्रणा समिति--	
सोलहवां प्रतिवेदन	२६३०–३१
वेतन आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य	२६३१
सदस्य की दोष-सिद्धि	२६३१
अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक--	
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव	२६३२
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव	२६३२–७२
सभा का कार्य	२६५८–५६
दैनिक संक्षेपिका	२६७३–७७
अंक २६, बुधवार, १८ दिसम्बर, १६५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १२२८, १२२६, १२३२ से १२३५, १२३७, १२३८, १२४१ से १२४३, १२४५, १२४७ से १२५०, १२५२, १२५४ से १२५६ और १२५८	२६७६–३००३
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १२३०, १२३१, १२३६, १२४०, १२४४, १२४६, १२५१, १२५३, १२५७, १२५६, १२७१, १२७१-क १२७२ से १२६०, १२६०-क और १२६१ से १३००	३००३–२५
अतारांकित प्रश्न संख्या १८०३ से १८५०, १८५२ से १८८७, १८८७-क, १८८८ से १८६०, १८६२ से १८६६, १८६६-क, और १८६७ से १६०४	३०२५–७१
जानकारी के लिये प्रश्न	
स्थगन प्रस्ताव--	
हावड़ा में बिजली की रेल सेवा के उद्घाटन के समय हुई घटनायें	३०७२–७५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३०७५-७६, ३११५

राज्य सभा से संदेश ३०७६

दामोदर घाटी निगम (संशोधन) विधेयक---

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ३०७६

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति---

बारहवां प्रतिवेदन ३०७७

याचिका समिति---

दूसरा प्रतिवेदन ३०७७

प्राक्कलन समिति---

प्रथम प्रतिवेदन ३०७७

लोक लेखा समिति---

दूसरा प्रतिवेदन ३०७७

अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) विधेयक---

विचार करने का प्रस्ताव ३०७७-९५

खण्ड २ से ७, अनुसूचियां और खण्ड १ ३०९१-९३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३०९३

रामनाथपुरम में उपद्रवों के सम्बन्ध में

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखे के सम्बन्ध में ३०९५-९८

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ३०९८-३११४

शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा ३११५-२३

दैनिक संक्षेपिका ३१२३-३०

अंक ३०, गुरुवार, १९ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३०८, १३११ से १३१३, १३१५ से १३१८, १३२० से १३२३, १३२४-क और १३२८ से १३३० ३१३१-५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ ३१५४-५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- **पृष्ठ**

तारांकित प्रश्न संख्या १३०६, १३१०, १३१४, १३१६, १३२४ से १३२७, १३३१ से १३४२, १३४५ से १३५८, १३६० से १३७८ और १३७८-क ३१५६–७६

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०५ से १६२१, १६२३ से १६२६, १६२६-क, १६३० से १६७७, १६७७-क, १६७८ से १६६३ और १६६५ से २०२७ ३१७६–३२२७

स्थगन प्रस्ताव--

दिल्ली राज्य अध्यापक संघ द्वारा हड़ताल की कथित धमकी ३२२७

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३२२७

राज्य-सभा से संदेश ३२२८, ३२७६

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ३२२६–६५

भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ३२६५–७८

संघ उत्पादन शुल्क वितरण विधेयक--

राज्य सभा द्वारा लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया ३२७६

सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर वितरण विधेयक--

राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में सभा पटल पर रखा गया ३२७६

दैनिक संक्षेपिका ३२८१–८८

अंक ३१, शुक्रवार, २० दिसम्बर, १६५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १३७६ से १३८७, १३६० से १३६५, १३६७ से १४०१ और १४१४ ३२८६–३३१६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८ ३३१६–२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १३८८, १३८६, १३६६, १४०२, १४०३-क, १४०४ से १४१३, १४१४-क, १४१५ से १४२५ और १४२७ से १४३३ ३३२०–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या २०२८ से २०५० और २०५२ से २१४० ३३३५–८२

श्री लिंगराज मिश्र का निधन ३३८३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३३८३–८४

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--

चौथा प्रतिवेदन ३३८४

	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
दिल्ली के पटवारियों द्वारा हड़ताल की धमकी	३३८४-८५
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३३८५–३४२०
तारांकित प्रश्न संख्या ६७० के उत्तर की शुद्धि	३३८५
सदस्यों के लिखित वक्तव्य	३४२०-४४०
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
बारहवां प्रतिवेदन	३४४०
दिल्ली की शिक्षा संस्थाओं का विनियमन तथा अधीक्षण विधेयक--पुरःस्थापित किया गया	३४४०-४१
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित किया गया --	३४४१
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था (संशोधन) विधेयक--वापिस लिया गया	३४४१
राष्ट्रीय उत्सवों तथा त्योहारों को सवेतन छुट्टी विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	३४४१–४६
स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ के लिए दण्ड सम्बन्धी विधेयक	३४४६–६३
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३४६३
वनस्पति तथा अग्नि शामक पदार्थों के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा	३४६३–६६
दैनिक संक्षेपिका	३४६७–७४
अंक ३२। शनिवार, २१ दिसम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६	३४७५-७६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३४७६-७७
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति--	
दूसरा प्रतिवेदन	३४७८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
कानपुर में मिलों का बन्द होना	३४७८
जानकारी का प्रश्न	३४७९
अनुपस्थिति की अनुमति	३४७९

लोक-सभा

शनिवार, २१ दिसम्बर, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

नरसिंग गिरजी मिल्स लिमिटेड, शोलापुर

\+

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९.** { **श्री खाडिलकर :**
श्री मोरे :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नरसिंग गिरजी मिल्स लिमिटेड, शोलापुर, के प्रबन्धकों के पास भविष्य निधि की जो ९ लाख रुपये की राशि थी, उस को ऋणपत्रों के रूप में परिवर्तित किये जाने की अनुमति दे दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो यह परिवर्तन किस के आदेश से किया गया;

(ग) क्या भविष्य निधि आयुक्त ने भविष्य निधि राशि को ऋणपत्रों में परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति दे दी है;

(घ) क्या यह परिवर्तन समतुल्यता के आधार पर हुआ था और क्या किसी को दलाली अथवा कमीशन दिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो किसको ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी नहीं । भविष्य निधि की देय राशि का भुगतान होने तक मिल से प्रतिभूति के रूप में १९५४ में ९.१३ लाख रुपये के ऋणपत्र दिये गये थे ।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री खाडिलकर :** क्या यह सच नहीं है कि माननीय श्रम मंत्री इस सभा में बराबर यह आश्वासन देते रहे हैं कि मजदूरों की भविष्य निधि को अलग न्यास समझा जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, मालिकों द्वारा भविष्य निधि के रूप में एकत्रित राशि तथा उनकी अपनी देय राशि, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में जमा होनी चाहिए ।

†**श्री खाडिलकर :** क्या सरकार जानती है कि इस मिल का दिवाला निकल गया है और बम्बई उच्च-न्यायालय द्वारा एक परिसमापक पदाधिकारी नियुक्त किया गया है ? मैं जान सकता हूं कि एक दिवालिया संस्था के ऋणपत्रों में इस राशि के परिवर्तन की किस प्रकार अनुमति दी गई ?

†**श्री आबिद अली :** जांच के अनुसार मिल की आस्तियां ३० लाख रुपये की हैं । मिल के द्वारा देय भविष्य निधि राशि लगभग २८ लाख रुपये थी जिसमें से लगभग १३ लाख रुपये दे दिये गये हैं तथा लगभग १४ लाख रुपये अभी दिये जाने हैं । लगभग ११ लाख रुपये के ऋणपत्र आस्तियों पर प्रथम भार के रूप में ले लिए गये हैं तथा ३ लाख रुपये की मालिकों से गारंटी ले ली गई है जो कि वास्तव में सुरक्षित नहीं मानी जा सकती है ।

†**श्री प्रभात कार :** भविष्य निधि अधिनियम के अनुसार, क्या, भविष्य निधि की राशि केवल न्यास प्रतिभूतियों में ही विनियोजित हो सकती है अथवा इसके ऋणपत्र भी लिए जा सकते हैं ?

†**श्री आबिद अली :** जैसा कि मैं बता चुका हूं यह धनराशि सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में जमा हो जानी चाहिए । परन्तु क्योंकि मिल से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था और जब फरवरी १९५४ में ४ लाख रुपया देय हो गया तो हमने कार्यवाही करना चाहा । बम्बई सरकार की यह राय थी कि यदि मुक़द्दमा पेश किया गया तो मिल बन्द हो जायेगी । उन्होंने सिफारिश की कि मिल को चलने दिया जाये जिससे ४००० से अधिक मज़दूर बेरोजगार न हो जायें और इसीलिए ऋणपत्र आस्तियों पर प्रथम प्रभार स्वरूप ले लिये गये । केवल ऐसा ही उस समय किया जा सकता था ।

†**श्री खाडिलकर :** क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि इस सुविधा के दिये जाने के पश्चात् भी मिल बन्द हो गई, मज़दूर बेरोज़गार हो गये तथा उनकी भविष्य निधि का पैसा भी नहीं दिया गया है ?

†**श्री आबिद अली :** मैं ने जो कुछ बताया था वह फरवरी १९५४ के बारे में था । उसी सुविधा के कारण मिल अगस्त १९५७ तक चलती रही थी ।

†**श्री प्रभात कार :** १९५४ में भविष्य निधि की राशि के विनियोजन का जब उल्लंघन किया गया था, तो उस समय सरकार ने समवाय के विरुद्ध क्या कार्यवाही की थी ?

†**श्री आबिद अली :** ऋणपत्र ले लिये थे तथा बाद में अभियोग प्रारंभ कर दिया गया था । दो अभियोग प्रारंभ किये गये तथा धन वापस लेने की कार्यवाही भी चाल की गई । धन ले की कार्यवाही इस स्तर पर पहुंच गई है जहां से आगे नहीं बढ़ा जा सकता था क्योंकि मिल का दिवाला ही निकल गया था । एक अभियोग में दो निदेशकों से जर्माना लिया गया तथा दूसरा मामला अभी विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कोलार की सोने की खानों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में दिये जाने वाले प्रतिकर के बारे में प्रतिवेदन

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैं कोलार की सोने की खानों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में दिये जाने वाले प्रतिकर सम्बन्धी तदर्थ समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० –४७७/५७]**

भारतीय विमान निगम के किरायों तथा भाड़ों की दरों के बारे में प्रतिवेदन

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायू कबीर)** : मैं भारतीय विमान निगम के किरायों तथा भाड़ों की दरों सम्बन्धी विमान परिवहन परिषद् के प्रतिवेदन (मई १९५७) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—४७८/५७]**

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ४० वें सत्र में गये भारतीय सरकारी प्रतिनिधि मंडल का प्रतिवेदन

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (जून १९५७) के ४०वें सत्र में भाग लेने वाले भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल के तिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—४७९/५७]**

कर्मचारी भविष्य निधि योजना में संशोधन

†**श्री आबिद अली** : मैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १४ दिसम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३९७२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—४८०/५७]**

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(१) दिनांक ६ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३५८५ ।

(२) दिनांक ६ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३५८६ जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (रंग पदार्थ) नियम, १९५७ निहित हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—४८१/५७]

---

†मूल अंग्रेजी में

लोक ऋण अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**श्री ब० रा० भगत :** मैं लोक-ऋण अधिनियम, १९४४ की धारा २८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(१) लोक ऋण (प्रतिकर बन्ध पत्र) नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १३ अक्तूबर, १९५६ की एस० आर० ओ० संख्या २२८६ ।

(२) लोक-ऋण (वार्षिकी प्रमाण-पत्र) नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १३ अक्तूबर, १९५६ की एस० आर० ओ० संख्या २२८७ ।

(३) लोक-ऋण (प्रतिकर बन्ध-पत्र) नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १३ अप्रैल, १९५७ की एस० आर० ओ० संख्या ११५६ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—४८२/५७]

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का कार्यवाही सारांश

†**श्री मूल चन्द दुबे (फर्रुखाबाद) :** मैं तीसरे सत्र में हुई सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की बैठकों (तीसरी तथा चौथी) के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं । **पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० —४८३/५७]**

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

†**सरदार इकबाल सिंह** (भटिंडा) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का दूसरा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कानपुर में मिलों का बन्द होना

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हू कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

"कानपुर काटन मिल्स लिमिटड तथा एथर्टन वैस्ट मिल्स, कानपुर का कथित बन्द होना ।"

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** मैसर्स कानपुर काटन मिल्स, कानपुर २ दिसम्बर, १९५७ को बन्द हो गई है। ४,१२४ मज़दूर बे ज़गार हो गये हैं । मिल के बन्द हो जाने के कारण इस प्रकार बताये जाते हैं : (क) लगातार होने वाली वित्तीय हानियां (ख) भांडार संग्रह तथा (ग) मज़दूरों का आधिक्य । मिल द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम से ऋ मांगने के लिये भेजे गये आवेदन पत्र के सम्बन्ध में कुछ दिन पूर्व वस्त्र आयुक्त ने वहां का सर्वेक्षण किया था । सर्वेक्षण प्रतिवेदन में दिया गया है कि कम्पनी ने अपने संसाधन संदेहात्मक धंधों में विनि-

---

†मूल अंग्रेजी में

योजित करके नष्ट कर दिये थे समवाय की विनियोजन नीति सट्टेबाज़ी की थी। प्रबन्धकों ने सरकार को बताया कि मिल राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम से ऋण लेने को उत्सुक नहीं है तथा वह मिल्स को बेच देना चाहते हैं। इन परिस्थितियों में सरकार समझती है कि मिल के लिए ऐसा करना ठीक ही है।

मैसर्स एथर्टन वैस्ट एण्ड कम्पनी, लिमिटेड, कानपुर

सरकार को पता लगा है कि मिल ने २ दिसम्बर, १९५७ को नोटिस दिया था कि मिल १ जनवरी १९५८ से बन्द हो जायेगी क्योंकि उसके पास भंडारों का अधिक संग्रह हो गया है और उसे वित्तीय हानियां हुई हैं। मिल में २,९४६ मज़दूर हैं। मिल ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम से ऋ के लिये आवेदन नहीं किया है। सरकार इस मिल के बन्द हो जाने के कारण पता लगा रही है।

जानकारी का प्रश्न

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : चूंकि आज सत्र का अन्तिम दिन है इसलिये बहुत से पत्र सभा पटल पर रखे गये हैं। मैं जानना चाहती हूं कि नैफा विमान दुर्घटना का प्रतिवेदन सभा पटल पर क्यों नहीं रखा गया है? हम इस प्रतिवेदन का बहुत समय से इन्तज़ार करते रहे हैं।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)**: जैसा कि मैं पहले सभा में बता चुका हूं कि उस समय कोई भी उस स्थान के निकट नहीं पहुंच सका था परन्तु वर्षा समाप्त हो जाने के पश्चात् हमने उस स्थान पर एक पदाधिकारी को भेजा है। वहां जाने में लगभग तीन सप्ताह तथा लौट कर आने में भी तीन सप्ताह लग जायेंगे। प्रतिवेदन उपलब्ध हो जाने पर मैं उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखूंगा।

अनुपस्थिति की अनुमति

†**अध्यक्ष महोदय**: सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने चौथे प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में दी गई अवधि के लिए अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये :—

(१) श्री बीरेन राय
(२) श्री तंगामणि
(३) श्री नरसिंहन
(४) श्री सु० च० चौधरी
(५) श्री महादेव प्रसाद
(६) श्री पोकर साहेब

मैं समझता हूं कि समिति की सिफारिशों से सभा सहमत है। सदस्यों को इसकी सूचना भेज दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुछ संघ-उत्पादन शुल्कों के शुद्ध आगम के एक अंश को राज्यों में वितरित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक में राज्य-सभा ने निम्नलिखित संशोधन की जो सिफ़ारिश की है उस पर विचार किया जाये :

'कि पृष्ठ १ पर विधेयक के पूरे नाम के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये :—

"in pursuance of the principles of distribution formulated and the recommendations made by the Finance Commission in its report dated the 30th day of September, 1957".

["वित्त आयोग के ३० सितम्बर, १९५७ के प्रतिवेदन में उल्लिखित वितरण के सिद्धान्तों और सिफारिशों के अनुसरण में"]'

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि पृष्ठ १ पर विधेयक के पूरे नाम के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये :—

"in pursuance of the principles of distribution formulated and the recommendations made by the Finance Commission in its report dated the 30th day of September, 1957".

["वित्त आयोग के ३० सितम्बर, १९५७ के प्रतिवेदन में उल्लिखित वितरण के सिद्धान्तों और सिफारिशों के अनुसरण में"]'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्य सभा ने जिस संशोधन की सिफारिश की है उस को स्वीकार किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि राज्य सभा ने जिस संशोधन की सिफारिश की है उस को स्वीकार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संपदा शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर (वितरण) विधेयक

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर के शुद्ध आगम के एक अंश को राज्यों में वितरित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक में, राज्य सभा ने जो संशोधन किया है उस पर विचार किया जाये :

'कि पृष्ठ १ पर विधेयक के पूरे नाम के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये :—

"in pursuance of the principles of distribution formulated and the recommendations made by the Finance Commission in its report dated the 30th day of September, 1957".

["वित्त आयोग के ३० सितम्बर, १९५७ के प्रतिवेदन में उल्लिखित वितरण के सिद्धान्तों और सिफारिशों के अनुसरण में"]'

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि पृष्ठ १ पर विधेयक के पूरे नाम के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये :—

"in pursuance of the principles of distribution formulated and the recommendations made by the Finance Commission in its report dated the 30th day of September, 1957".

["वित्त आयोग के ३० सितम्बर, १९५७ के प्रतिवेदन में उल्लिखित वितरण के सिद्धान्तों और सिफारिशों के अनुसरण में")"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री ब० रा० भगत**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्य सभा द्वारा किय गये संशोधन को स्वीकार किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है :

"कि राज्य सभा द्वारा किय गये संशोधन को स्वीकार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डफरिन की काउन्टेस निधि विधेयक

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि डफरिन की काउन्टेस निधि के नाम से विख्यात निधि को केन्द्रीय सरकार को हस्तांतरित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में जो कुछ दिया गया है उसके अतिरिक्त मैं कुछ शब्द और कहना चाहता हूं । भारत की स्त्रियों के लिए स्त्रियों द्वारा चिकित्सा सेवा की व्यवस्था करने के लिए राष्ट्रीय संस्था १८८५ ई० में स्थापित की गई थी । इसका उद्देश्य था कि स्त्रियों को चिकित्सा की शिक्षा दी जाये, चिकित्सा सहायता दी जाये तथा अस्पतालों और निजी कार्यों के लिए उपचारिकाओं तथा दाइयों का प्रबन्ध किया जाये । संस्था पंजीयन अधिनियम, १८६० के अधीन, १८८८ ई० में यह संस्था एक समिति के रूप में पंजीबद्ध हो गई । भारत में तथा इंग्लैंड में, जनता द्वारा दिये गये धन से जो निधि एकत्रित की गई उसको "डफरिन की काउन्टेस" निधि कहा गया और उसका संचालन यह समिति करने लगी । दिल्ली की केन्द्रीय समिति को निधि के कार्यों का सामान्य प्रबन्ध सौंप दिया गया जबकि राज्यों में स्थानीय समितियां बनाई गईं जिनको अपने कार्यों तथा निधियों का प्रबन्ध करने का अधिकार था परन्तु ये समितियां केन्द्रीय परिषद् से सम्बद्ध थीं । प्रत्येक स्थानीय समिति पर स्त्रियों तथा बच्चों के अस्पताल स्थापित करने का तथा निधि की राशि के आधार पर अपने राज्य की स्त्रियों को चिकित्सा सुविधायें देने की ज़िम्मेदारी थी । उस समय के आसाम, बलोचिस्तान, बंगाल, मध्य प्रदेश तथा बरार, बिहार, बम्बई, बर्मा, मद्रास, पंजाब, संयुक्त प्रान्त, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त तथा बाद में उड़ीसा और सिंध में 'शाखायें' खोली गईं ।

विभाजन के पश्चात् यह आवश्यक हो गया कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच डफरिन की काउन्टेस निधि की आस्तियों का विभाजन कर दिया जाये । इस सम्बन्ध में १९ अप्रैल, १९४८ को संस्था की सामान्य बैठक में एक संकल्प पारित किया गया जिसके अनुसार यह निश्चय हुआ

---

†मूल अंग्रेजी म

[श्री करमरकर]

कि संस्था को समाप्त कर दिया जाये और उत्तरदायित्वों को पूरा करने के पश्चात् जो धनराशि बचे उसको भारत तथा पाकिस्तान में क्रमशः ३५ : ८ के अनुपात से बांट दिया जाये । इस अनुमति का आधार स्त्री चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों की संख्या पर आधारित था कि कितने पदाधिकारियों को पाकिस्तान में सेवा मिल जायेगी और कितनों को भारत में ।

३७ पदाधिकारियों ने सेवा में नौकरी जारी करने की इच्छा प्रकट की जिनमें से ३४ भारत में रहना चाहते थे और ३ पाकिस्तान में । बाद में अनुपात ३५ : ८ के बजाये ३४ : ३ कर दिया गया क्योंकि पदाधिकारियों की संख्या का प्रतिशत ९१ : ८ था ।

चूंकि यह पता लगाना कि निधि के उत्तरदायित्वों के लिए कितना व्यय करना होगा और शेष कितनी राशि दोनों देशों के बीच बांटने के लिए शेष बचेगी इसलिए ३१ मार्च, १९५३ को यह निर्णय किया गया कि उस तिथि को कितनी निधि है उसको दोनों देशों में बांट दिया जाये ।

३१ मार्च, १९५३ को, डफरिन की काउन्टेस निधि के लेखा परीक्षित लेखे अब उपलब्ध हो गये थे और उस दिन निधि की आस्तियों की राशि १३,७६,२०३ रुपये थी । ९२ : ८ के अनुपात से पाकिस्तान का भाग १,१०,०९६ रुपये तथा भारत का १२,६६,१०७ रुपये है । पाकिस्तान के इस भाग के साथ साथ ४४,७२६ रुपये उत्तरदायित्व राशि भी पाकिस्तान को दी जानी है जिसमें छट्टी वेतन, अध्ययन छट्टी वेतन, तथा तीन स्त्री चिकित्सा सेवा पदाधिकारियों का, जिन्होंने पाकिस्तान जाने की इच्छा प्रकट की थी, यात्रा भत्ता आदि है । यह छुट्टियां पाकिस्तान जाने से पहले इन पदाधिकारियों ने भारत में अपने सेवाओं-काल में अर्जित की थीं । इस प्रकार जो राशि पाकिस्तान को दी जाने वाली है वह १,५४,८२२ रुपये थी । तथा भारत को १२,२१,३८१ रुपया मिलना है ।

बाद में सरकार ने यह निर्णय किया कि इस राशि को रैड क्रास को हस्तांतरित करने के बजाये सरकार के पास रहने दिया जाये । कुछ अन्य बातें भी हैं जिनके सम्बन्ध में मैं सभा में बताना चाहता हूं । जब हमने इस सम्बन्ध में विधि के विशेषज्ञों के राय ली कि समिति पंजीयन अधिनियम, १८६० के अधीन क्या संस्था को इस संकल्प के अधीन अधिकार है कि वह निधियों भारत तथा पाकिस्तान की रैड क्रास समितियों में बांट दे तो हमें परामर्श दिया गया कि संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक होगा कि एक विधान बनाया जाये जिसके अनुसार यह निधि भारत तथा पाकिस्तान की रैड क्रास समितियों को मिल जाये ।

मैं सभी बातें बता कर सभा का समय व्यर्थ नहीं करना चाहता । निधि की आस्तियों के वितरण के सम्बन्ध में मैं एक बात बताना चाहता हूं कि पश्चिमी पंजाब (पाकिस्तान शाखा) से हमको पूर्वी पंजाब (भारत) को लगभग १,८०,००० रुपये लेना है । परन्तु यह मामला बाद में बातचीत द्वारा तय किया जायेगा । इसलिए यह ठीक समझा गया कि पाकिस्तान के भाग का समायोजन करने के लिए विधान बना लिया जाये ।

इन परिस्थितियों में, यह विधान अर्थात् केन्द्रीय संस्था से केन्द्रीय सरकार को हस्तांतरण की व्यवस्था करने के लिए बनाया गया जिससे यह धन निधि के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया जाये । सरकार को यह धन उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यय करना होगा इसके लिए एक असिस्टेंट तथा एक चपरासी भी है । यह विधान १९ अप्रैल, १९४८ को पारित संकल्पानुसार किये गये कार्यों के मान्वीकरण के लिए उपस्थित किया गया है । केन्द्रीय सरकार को निधि मिल जाने पर सरकार पाकिस्तान द्वारा किये गये दावों, जो किसी धन की मांग के सम्बन्ध में होंगे, निबटाने के लिए उत्तरदायी होगी ।

वर्तमान योजनानुसार, निधि की जो आस्तियां हस्तांतरित की गईं वह विधेयक के पारित हो जाने पर सरकार को मिल जायेंगी और सरकार इस निधि को उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यय करेगी ।

इस आशय के संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये । यह एक सीधा सा विधान है और चर्चा के दौरान में जो कुछ पूछा जायेगा मैं उसका जवाब दूंगा । यहां विधेयक में निधि के उद्देश्यों को भंग नहीं किया गया है । विधि विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार ही यह आवश्यक हो गया कि डफरिन की काउण्टेस निधि को सरकार को हस्तांतरण तथा पाकिस्तान के साथ आवश्यक समायोजन तथा इसके उपयोग के सम्बन्ध में विधान बनाया जाये । माननीय सदस्य जो जानकारी हासिल करना चाहेंगे मैं वह सब बताने के लिये तैयार हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है । मेरे विचार से इस विधेयक पर सभा में चर्चा नहीं की जा सकती है । इस विधेयक के द्वारा एक संस्था की कुछ आस्तियों का हस्तांतरण किया जाना है । सभी जानते हैं कि जब तक दोनों पक्ष सहमत नहीं किसी राशि का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है । पंजीयन अधिनियम की धारा १३ के अधीन संस्था समाप्त की जा सकती है । परन्तु इस धारा का एक परन्तुक है जिसके अनुसार ऐसी व्यवस्था है कि जिस संस्था में सरकार का भी अंश होगा वह संस्था सरकार की अनुमति के बिना समाप्त नहीं की जा सकती है । जब तक संस्था समाप्त न हो जाये उसका कोई भी भाग अन्य किसी को अर्थात् पाकिस्तान को नहीं दिया जा सकता है । और संस्था समाप्त नहीं हो सकती जब तक सरकार अनुमति न दे । परन्तु इस संस्था को समाप्त कर दिया गया और जब यह समाप्त हो गई तो सरकार को इसका हस्तांतरण कौन करेगा । केवल रेड क्रास संस्था रह जाती है क्योंकि संस्था ने अपनी निधि उसमें ही निहित की थी । पाकिस्तान को निधि का भाग दिये जाने से सिद्ध हो जाता है कि सरकार ने अनुमति देने के अधिकार का प्रयोग नहीं किया और संस्था टूट गई । परन्तु मान लीजिये कि यदि संस्था टूटी भी नहीं है तो भी सरकार निधि का हस्तांतरण किस प्रकार कर सकती है जब कि दूसरा पक्ष सहमत न हो । संविधान के अनुच्छेद १३(२) तथा ३१(२) के अनुसार यह हस्तांतरण न होकर, अर्जन हो जायेगा । अनुच्छेद ३१(२) में कहा गया है कि सिवाय सरकारी प्रयोजन के अनिवार्य अर्जन नहीं किया जायेगा । न्यायालयों का क्षेत्राधिकार अपने हाथ में यदि हम ले लेंगे तो विधि सम्बन्धी जटिलताएं पैदा हो जाएंगी । लोक कल्याण के हेतु निधि तो प्राप्त करना चाहिये परन्तु विधि सम्बन्धी जटिलताएं नहीं पैदा करनी चाहिये ।

मेरे कथन का माननीय मंत्री के तर्कों के आधार पर यह सभा इस विधेयक पर विचार नहीं कर सकती ।

†**श्री करमरकर :** हम ने विधेयक को यथासंभव त्रुटिहीन बनाया है । मुझे तो अपने विद्वान मित्र के तर्कों पर आश्चर्य हुआ है । पहली बात तो यह है कि विधि की दृष्टि में सन्था को समाप्त ही नहीं किया गया क्योंकि इस समाप्ति का सम्बन्ध निधियों के हस्तांतरण से था । विधि सम्बन्धी कठिनाई यह थी कि वे पाकिस्तान की किसी संस्था को विधि हस्तांतरित नहीं कर सकते थे । अतः, जैसा कि मैं ने आरम्भ में ही स्पष्ट किया था विधेयक के खड ३ में कहा गया है :

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री करमरकर]

"इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर (क) सन्था समाप्त समझी जायेगी ।"

उसके पूर्व इसे समाप्त नहीं माना जा सकता क्योंकि निधियों के लिए प्रबन्ध किये बिना इसे समाप्त करने का संकल्प नहीं पारित किया जा सकता । चूंकि पाकिस्तान की रेड क्रास सोसाइटी को यह हस्तांतरण वैध नहीं था अतः कोई निधि उसे हस्तांतरित नहीं की गई । इसीलिए हम यह विधेयक संसद् में लाये हैं । इस के पारित होने पर पाकिस्तान दावा कर सकता है । उस के बदले में हमारा भी दावा है और फिर यदि कुछ निधि देनी होगी तो पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी जायेगी ।

†**श्री वें० प० नायर** : यह हस्तांतरण आप के लिखने पर हुआ है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री नायर के कथन से मैं यह समझा हूं कि सन्था के अनुच्छेद के अधीन सन्था समाप्त की जा सकती है परन्तु क्योंकि सरकार निधि देती है अतः सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है । १९ अप्रैल, १९४८ को सन्था ने सन्था की समाप्ति सम्बन्धी संकल्प पारित किया था वह अब सरकार की अनुमति प्राप्त होने पर लागू हो सका है अब सन्था निधि को पाकिस्तान और यहां की रेड क्रास सोसाइटी में बांट सकती है ।

समिति पंजीयन अधिनियम के अनुसार निधि का वितरण सरकार ने नहीं वरन् सन्था ने ही करना है । यह सरकार या संसद् संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन उस निधि को ले सकती है जिस पर सन्था का वैध अधिकार है और जब तक सन्था को समाप्त न किया जाये निधियों को हस्तांतरित कैसे किया जा सकता है ?

†**श्री करमरकर** : सर्वप्रथम यह समस्या उठाई गई थी कि कुछ धनराशि पाकिस्तान सरकार अथवा रेड क्रास सोसाइटी को हस्तांतरित की गई है अथवा नहीं । वस्तुतः इन निधियों का कुछ अंश उन पदाधिकारियों को अवकाश वेतन, वेतन का घाटा पूरा करने के रूप में दिया जाना था, जो स्त्री चिकित्सा सेवा के सदस्य हैं, क्योंकि सरकारें कम वेतन देती हैं । महिला चिकित्सा सेवा के सदस्यों को इस प्रकार की कतिपय सुविधायें दी गई थीं ।

मैं सभा को यही बताना चाहता हूं कि यह राशि रेड क्रास अथवा पाकिस्तान सरकार को नहीं दी गई वरन् पदाधिकारियों को ही भुगतान किया गया था । अतः यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता । हम ने कोई निधि हस्तांतरित नहीं की । वस्तुतः हमने विधि सम्बन्धी परामर्श यह दिया था कि—"कि यह विषय महान्यायवादी को सौंपा जाये कि सन्था का कार्य बन्द करने और रेड क्रास सोसाइटियों को निधियां वितरित करने का उपबन्ध करने वाला जो संकल्प सन्था ने पारित किया है वह विधि अनुकूल है अथवा नहीं ।"

उसकी यह राय थी कि समिति पंजीयन अधिनियम १८६० के अधीन सन्था भारत और पाकिस्तान की रेड क्रास सोसाइटी को विधियां देने का संकल्प पारित नहीं कर सकती और उसने यह परामर्श दिया था कि संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी निधियों के हस्तांतरण के लिए विधान बनाने की आवश्यकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले तो यह जानना है कि सन्था को समाप्त कौन कर सकता है । यदि श्री नायर के कथनानुसार सन्था के अनुच्छेदों के अधीन उसे समाप्त नहीं किया जा सकता है तो निधियों का भी वितरण नहीं किया जा सकता ।

†**श्री करमरकर** : मैं इसी बात को ले रहा था । उस संकल्प में सन्था की समाप्ति नहीं वरन् पहले निधि हस्तांतरित करने का उल्लेख है । संकल्प इस प्रकार है :

---

†मूल अंग्रेजी में

"संकल्प किया जाता है कि भारत की महिलाओं को महिलाओं द्वारा चिकित्सा सहायता देने के लिए राष्ट्रीय सन्था (महिला चिकित्सा सेवा सहित डफरिन की काउंटेस निधि) को तुरन्त समाप्त करने और सब दायित्व पूरे करने अथवा उनके लिए निधि निश्चित करने के पश्चात शेष निधि ३५ : ८ के अनुपात से क्रमशः भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धित संगठनों में बांट दी जाये ।

यह भी संकल्प किया जाता है कि यदि भारतीय और पाकिस्तानी रेड क्रास समितियां निम्नलिखित शर्तों पर सहमत हों तो निधि इन्हीं सम्बन्धी संगठनों में वितरित हो ।

१. कि सन्था की कुल निधि भारत तथा पाकिस्तान की रेड क्रास समितियों को दी जाये और समितियां उसके अलग अलग लेखे रखेंगी;

२. कि रेड क्रास समिति उन उल्लिखित दायित्वों को पूरा करने का उपबंध करने के पश्चात् जो रेड क्रास समितियों की परिषद द्वारा बताये जायेंगे, डफरिन की काउंटेस निधि के उद्देश्यों के अनुसार निधि का प्रशासन करेगी ।

* * * *

और यह संकल्प किया जाता है कि ऐसे ऋणों और दायित्वों के पूरा होने के पश्चात् और सन्था की सम्पत्ति भारतीय तथा पाकिस्तानी समितियों में वितरित होने के पश्चात, सन्था समाप्त हो जायेगी ।"

इस पर हमें विधि सम्बन्धी यह परामर्श दिया गया कि वे इस प्रकार पाकिस्तान को सम्पत्ति हस्तांतरित नहीं कर सकते । अतः हमें यह विधेयक प्रस्तुत करना पड़ा । जब तक सम्बन्धित पक्षों को दायित्व तथा आस्तियां हस्तांतरित नहीं हो जातीं सन्था समाप्त नहीं हो सकती । अतः इस विधेयक द्वारा पहले सन्था को समाप्त घोषित किया जायेगा और धन राशि सरकार अपने हाथ में ले लेगी और फिर पाकिस्तान सरकार द्वारा दावा करने पर उसके साथ बातचीत कर के भविष्य के बारे में निर्णय किया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि कोई समिति अपनी निधियों का उपबंध किये बिना समाप्त हो जाये तो निधि का वितरण कौन करता है ?

†**श्री करमरकर :** यही कठिनाई महान्यायवादी को भी अनुभव हुई होगी । परन्तु निधियों का वितरण अभी नहीं हुआ । सन्था विधि अधीन एक पैसा भी अपने संकल्प के अनुसार पाकिस्तान की रेड क्रास समिति को नहीं दे सकती ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस विधान के लिये क्या जल्दी है । मैं समझता हूं कि जब तक यह सन्था है सरकार या यह संसद निधि को नहीं ले सकती । सन्था एक स्वतन्त्र निकाय है और वह समिति पंजीयन अधिनियम के अधीन अपने आप को समाप्त कर सकती है । सरकार की स्वीकृति तो केवल सरकार द्वारा दी गई राशि के सम्बन्ध में लेने की आवश्यकता है । संभवतः सरकार संसद के द्वारा यह स्वीकृति देना चाहती है । यदि वह सन्था अपनी निधि को हस्तांतरित करना चाहे तो हम उस की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं विधि सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर तो नहीं दे सकता परन्तु मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि सरकार और रेड क्रास संगठन का निरन्तर परस्पर सम्पर्क रहा है। यह प्रश्न पैदा नहीं होता कि रेड क्रास समिति सरकार की उपेक्षा कर सकती है। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास का परामर्श भी लिया गया है। वस्तुतः अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास का सम्मेलन दिल्ली में ही हुआ था और उनके साथ परामर्श किया गया था क्योंकि भारत तथा पाकिस्तान ने यह सन्था साथ साथ बनाई थी और अन्य वस्तुओं की तरह इसके भी विभाजन की आवश्यकता थी। पाकिस्तान को इस धन राशि की आवश्यकता है। करार आदि होने पर भी विधि सम्बन्धी और अन्य कई कठिनाइयों के कारण निधि का विभाजन नहीं किया जा सका। हम इसे अन्तिम रूप देना चाहते हैं और पाकिस्तान को उस का अंश देना चाहते हैं। हम चाहते हैं वे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य चलाएं और हम अपनी इच्छा के अनुसार। हम ने अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास के साथ परामर्श किया था और बहुत कठिनाई के पश्चात हमें रास्ता सुझाया गया था। हम उसी रास्ते का अनुसरण कर रहे हैं। सरकार इस से सहमत है हमारा रेड क्रास संगठन भी सहमत है। मुझे मालूम नहीं कि निधि क्या है परन्तु सभी सहमत हैं।

†**श्री वें० प० नायर** : हममें से कोई भी इसके विरुद्ध नहीं परन्तु प्रश्न और है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : इस विधेयक द्वारा हम सन्था के एक संकल्प को प्रभावी बना रहे हैं परन्तु उसी के दूसरे भाग को प्रभावी नहीं बना रहे हैं। सारे मामले को इस प्रकार निबटाना चाहिये कि फिर कठिनाई पैदा न हो अतः विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंप देना चाहिये।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मुझे समझ नहीं आया कि क्या आपत्ति उठाई गई है। संभवतः यह सांविधानिक आपत्ति नहीं है। यह कहा गया है कि विधेयक के खंड ३ के उपबंध समिति पंजीयन अधिनियम के विरुद्ध हैं। यदि ऐसा है तो संसद को यह करने का अधिकार है क्योंकि संसद संविधि द्वारा किसी सन्था को समाप्त करके उसकी निधि को हस्तांतरित कर सकती है। इस प्रश्न पर उस समय भी विचार किया गया था जब भारतीय लोहा तथा इस्पात कं० लि० और बंगाल के इस्पात निगम को एकीकृत किया गया और आस्तियों को संविधि द्वारा हस्तांतरित किया गया था। उस समय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया था कि यदि संसद संविधान अधीन ऐसा विधान बनाये तो वह बना सकती है। यदि सांविधानिक प्रश्न नहीं उठाया गया तो कोई अन्य आपत्ति नहीं हो सकती। यदि समिति पंजीयन अधिनियम के विरुद्ध कोई उपबन्ध इस विधेयक में हुआ तो बाद की विधि का उपबंध ही तो लागू होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : समिति पंजीयन अधिनियम की धारा १३ के अनुसार किसी समिति के तीन चौथाई सदस्यों के निश्चय पर समिति को समाप्त किया जा सकता है और उसका शासक निकाय समिति के नियमों के अनुसार दायित्वों तथा आस्तियों का प्रबन्ध कर सकता है परन्तु यदि कोई सरकार उस समिति की सदस्य हो या उस में अंशदान करती हो तो समिति को उक्त सरकार की मंजूरी के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता। इस सन्था के तीन चौथाई सदस्यों ने इसे समाप्त करने के लिए संकल्प पारित कर दिया है। सरकार उसमें अंशदान देती है अतः सरकार की मंजूरी की आवश्यकता है और यदि सरकार मंजूरी दे दे तो संकल्प कार्यान्वित होगा। उस

---

†मूल अंग्रेजी में

पर यदि सन्था के शासक निकाय और सदस्यों में मतभेद हुआ तो मामला न्यायालय के पास ले जाया जायेगा । अब आपत्ति यह है कि सरकार को यह विधेयक पारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है ।

†**श्री अ० कु० सेन :** मेरा कहना यह है कि जब तक कोई संविधि नहीं तब तक समिति पंजीयन अधिनियम की धारा १३ के अन्तर्गत संविहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा । परन्तु यदि उस प्रक्रिया को किसी विशेष प्रयोजन के लिए और विशेष समिति के लिए पूर्ण किया जाता है अथवा उसके स्थान पर नई संविहित प्रक्रिया बनाई जाती है तो मैं समझता हूं कि उस पर कोई सांविधानिक आपत्ति नहीं उठाई जा सकती । संसद को तो समिति पंजीयन अधिनियम की धारा १३ को भी बदल देने का अधिकार है ।

जैसा मैंने बताया है भारतीय लोहा तथा इस्पात कं० लि० और बंगाल के इस्पात निगम के मामले में भारतीय समवाय अधिनियम की धारा १५३ के अन्तर्गत संविहित प्रक्रिया की बजाये सरकार ने पहले एक अध्यादेश जारी किया और बाद में उसे संसद का अधिनियम बनाया गया और उसके द्वारा उक्त समवायों का एकीकरण कर दिया गया । उस अधिनियम में यह उपबंध किया गया था कि अध्यादेश की शर्तों के अनुसार दोनों समवायों का एकीकरण कर दिया जाये और बंगाल के इस्पात निगम की आस्तियां भारतीय लोहा तथा इस्पात कं० लि० को हस्तांतरित की जायें । कलकत्ता के उच्च न्यायालय में उस पर आपत्ति की गई और मैंने उस समय सरकार के विरुद्ध मामले की पैरवी की थी । उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि क्योंकि समवाय केन्द्र का विषय है अतः राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा अथवा संसद विधि द्वारा दोनों समवायों के एकीकरण के लिए उपबंध कर सकती है ।

यह मामला भी सर्वथा वैसा ही है । यहां उपबंध किया गया है कि इस अधिनियम के लागू होने पर सन्था को समाप्त समझा जायेगा और ऐसा ही उपबंध पूर्वोक्त मामले में किया गया था जो कि १९१३ के समवाय अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल था । इंग्लैंड में भी संसद के गैर सरकारी अधिनियमों के अन्तर्गत संविधि द्वारा कई निगम निगमित किये जाते हैं और समाप्त किये जाते हैं । यहां खंड ३ में यह उपबंध किया गया है कि सन्था की समाप्ति पर निधि केन्द्रीय सरकार को मिलेगी । इस सम्बन्ध में प्रश्न उठ सकता है कि संसद इस विषय के लिए सक्षम है अथवा नहीं । इस आपत्ति को हम दूर कर सकते हैं । परन्तु संसद किसी सन्था को समाप्त करने और समाप्ति पर क्या होगा इस का उपबंध करने के लिए पूर्णतः सक्षम है ।

†**श्री वें० प० नायर :** यह आपत्ति इस आधार पर उठाई गई थी कि उक्त उपबंध अधिनियम की धारा १३ और संविधान के अनुच्छेद ३१ के प्रतिकूल है । मैं समझता हूं कि जो उपबंध किया जा रहा है वह एक प्रकार से अर्जन ही होगा और वह संविधान के उपबंधों के प्रतिकूल है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** ये बातें उठाई गई हैं कि पहले तो सन्था ने जो संकल्प पारित किया है वह समिति पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत उपबन्धों के अनुसार है और सरकार की मंजूरी पर वह लागू हो सकता है ।

दूसरे यह कि सरकार द्वारा सन्था की निधि का हस्तांतरण वस्तुतः बिना क्षतिपूर्ति के अर्जन होगा जो कि संविधान के प्रतिकूल है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

पहली बात के सम्बन्ध में तो कहा जा सकता है कि यह केन्द्र का विषय है। परन्तु विधेयक में यह रखा जा सकता था अर्थात् "समिति पंजीयन अधिनियम की धारा १३ के होते हुए भी"। अतः सरकार सन्था को समाप्त करने का अधिकार अपने हाथ में ले सकती है।

दूसरी बात यह है कि प्रतिकर देना चाहिये परन्तु यह गैर सरकारी व्यक्ति का मामला नहीं है। मैं समझता हूं कि औचित्य प्रश्न में कुछ नहीं है।

हम अब विधेयक पर चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : मैं अपना संशोधन संख्या ५ प्रस्तुत करती हूं, जिसमें मैंने विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव किया है।

†**डा० सुशीला नायर** (झांसी) : मैं अपना संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करती हूं।

मेरे संशोधन में भी यह सुझाव रखा गया है कि यह विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा जाए।

डफरिन निधि इसलिये बनाई गयी थी कि महिलाओं को चिकित्सा शिक्षा दी जाए और ऐसे हस्पताल खोले जायें जहां महिलाओं तथा बच्चों की चिकित्सा हो। परन्तु सरकार के दायित्वों के कारण बहुत से हस्पताल बन्द हो गये और उन्हें राज्यों को सौंप दिया गया। उस समय यह कहा गया था कि इन परिवर्तनों से महिलाओं के लिये चिकित्सा शिक्षा संबंधी सुविधाएं कम नहीं होंगी। परन्तु सभी स्थानों पर डफरिन निधि से चलाए जाने वाले हस्पताल सिविल हस्पतालों का अंग मात्र बन कर रह गये हैं। उन्हें आवश्यक वस्तुएं नहीं मिलतीं और आवश्यक कर्मचारी भी नहीं दिये जाते। हमें तो आशा थी कि हमारी सरकार इन कार्यों के प्रति अधिक सहानुभूति दिखाएगी।

किसी को भी इस बात में कोई संदेह नहीं कि प्रधान मंत्री महिलाओं को समान अधिकार और अवसर दिलाने के इच्छुक हैं। परन्तु इस देश के अधिकतर लोगों के ऐसे विचार नहीं हैं। निश्चय ही स्त्रियों के लिये अवसर कम करने वाली कार्यवाहियां अवांछनीय ही हैं।

मेरे विचार में शीघ्रता न करके हमें इस विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेजना चाहिये, ताकि इस पर शांति पूर्वक विचार किया जा सके कि जिस उद्देश्य के लिये इस निधि का निर्माण हुआ था उसके अनुसार किस प्रकार समुचित प्रयोग हो सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : दोनों संशोधन सभा के समक्ष हैं।

†**श्रीमती रेणुका राय** : विधेयक प्रस्तुत करते हुए मंत्री महोदय ने कहा था कि यह बड़ी सरल सी बात है, परन्तु इस सम्बन्ध में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें मैं कहना चाहती हूं। इस निधि के सम्बन्ध में सारी स्थिति सभा के समक्ष स्पष्ट होनी चाहिये। १९४८ में जब कि इस सम्बन्ध में संकल्प स्वीकार हुआ था, काफी समय व्यतीत हो चुका है। पता चला है कि कुछ रुपया विदेशों में जाने वाली महिलाओं को छात्रवृत्तियों के रूप में दिया गया। अच्छा ही है कि उसका लेखा परीक्षण कर लिया जाये। स्त्रियों की डाक्टरी सहायता के लिये इस निधि से खर्च किया गया, परन्तु हम इस भेद भाव को नहीं चाहते। महिला डाक्टरी सेवा को भंग कर दिया गया और इसके पश्चात् अच्छी योग्यताओं वाली महिलाओं को सिविल सरजन के अधीन रखा गया है। मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि वह इस ओर ध्यान दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस निधि का प्रयोग महिलाओं को छात्रवृत्तियां देने के लिये प्रयोग किया गया, ताकि डाक्टरी क्षेत्र में वे आगे बढ़ सकें। परन्तु अवस्था यह है कि इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने वाली महिलाओं को समुचित अवसर उपलब्ध नहीं हो सके। उनकी हाल की अवस्था पहले से भी बुरी है। यह निधि सरकार के हाथों में देने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं, परन्तु इसे चालित करने के लिये नई समिति का निर्माण होना चाहिये। और इस में १९४८ से पहले काम करने वाली महिलाओं को भी लिया जाना चाहिये। उसमें इस सभा के प्रतिनिधि भी हैं। और यह शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि भी। अच्छा है कि यह सारा मामला प्रवर समिति के विचाराधीन आ जाये और विधेयक के सभी उपबन्धों पर विचार करके इसे अगामी सत्र में पुरःस्थापित किया जाये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं विधेयक को संयुक्त समिति के सपुर्द किये जाने का समर्थन करती हूं। हमें शीघ्रता नहीं करनी चाहिये और सभी महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करना चाहिये। इस निधि का उद्देश्य यही है कि महिलाओं को अधिक डाक्टरी सुविधायें दी जायें और महिला डाक्टर, नर्सें और दाइयां प्रशिक्षित की जायें। इस निधि को विदेशी सरकार ने स्थापित किया और इस से सारे देश में महान सेवा कार्य हुआ है। आज इस बात की जरूरत है कि देश में अधिक से अधिक हस्पतालों को महिला डाक्टरों द्वारा चलाया जाये। समान अवसरों की बात कही गयी है। यह ठीक है कि हमारे संविधान के अनुसार स्त्री और पुरुष में कोई भेद भाव नहीं परन्तु फिर भी कई स्थानों पर स्त्रियों को नहीं लिया जाता। इस लिये मेरा कहना है कि कई स्थानों पर केवल महिलाओं को ही लिया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह डफरिन निधि महिलाओं के लिये, महिलाओं द्वारा संचालित हस्पताल खोलने के लिये अलग निधि है। और सिफारिश यह है कि इसे समाप्त किया जाये। यह कैसे होगा . . . . . .

†**श्री करमरकर** : बात यह है कि उद्देश्य यह था कि महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाये और माननीय सदस्या की यह राय है कि ऐसा नहीं हो रहा है अतः उनका कहना है कि यह निधि हमारे हाथ में नहीं होनी चाहिये।

†**श्री मती रेणु चक्रवर्ती** : मैं अभी आप को बताऊंगी कि यह बिलकुल उचित बात है। अब सरकार इसको ले रही है परन्तु वह यह नहीं कह रही कि इसे केलव महिलाओं के लिये ही काम में लाया जायेगा। निधि का निर्माण १८८६ में हुआ था और अब १९५७ है, इस लिये यह युक्ति नहीं चल सकती। इस लिए मैं कह रही थी। दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल को लीजिये, पहले वह केवल महिलाओं के लिए था, परन्तु अब एक महाशय उसके प्रिंसिपल हैं। हालांकि ऐसी महिला डाक्टर मौजूद है जो उनसे अधिक योग्य है। इस लिये मेरा विचार है कि इस निधि को इस उद्देश्य के लिये रखा जाना चाहिये। यदि इस उद्देश्य को कायम रखा जाये और से प्रोत्साहन दिया जाये तो मुझे इसके सरकार के पास जाने पर कोई आपत्ति नहीं। हमें इस बात का आश्वासन मिलना चाहिये कि इससे महिला डाक्टरों और महिला संस्थाओं को छात्रवृत्तियां तथा सहायता प्राप्त होगी। इसी लक्ष्य के लिये हम इसे संयुक्त समिति के सपुर्द करना चाहते हैं।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : मंत्री महोदय ने इस बात का आश्वासन दिया है कि इस निधि का प्रयोग संकल्प में निर्धारित नीति के अनुसार ही होगा। १९४८ के संकल्प के अनुसार इसे रैड क्रास को दिया जाना था, परन्तु अब सरकार इसे अपने हाथ में लेना चाहती है। इस निधि का निर्माण इस लिये किया गया था कि डाक्टरी सेवाओं में महिलाओं को प्रोत्साहित

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती इला पालचौधरी]

करने के लिये सहायता की जाये। हमें अच्छी नर्सें और दाइयां उपलब्ध हों। इन सारे मामलों का संयुक्त समिति में पूरा विश्लेषण किया जाना चाहियें। वहां महिला डाक्टरी सेवा के प्रतिनिधि भी होंगे, और संसद-सदस्य भी होने चाहिये। इस निधि का प्रयोग पूर्णतः महिला कल्याण के लिये किया जाना चाहिये। रैड क्रास की भावना के अनुसार इसका खर्च किया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री।

†**श्री करमरकर** : श्रीमान, मेरा कहना है कि आज के विवाद में भाग लेने वाले सभी सदस्य बड़ी मीठी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : आखिर इस विधेयक को संयुक्त समिति के सपुर्द करने का कारण क्या है, यदि महिला सदस्य इसका विरोध करना चाहती हैं, तो उन्हें इसका विरोध कर इसे रद्द करवाने का प्रयत्न करना चाहिये।

†**श्री करमरकर** : वे विरोध नहीं करना चाहतीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि विधेयक का उद्देश्य उन्हें स्वीकार है, तो प्रथम बात यही है कि निधि को समाप्त सारा धन सरकार के नियन्त्रण में दे दिया जाय। आप वहां कैसे कह सकेंगी कि इस निधि का इन इन कामों के लिये प्रयोग होना चाहिये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : निधि पर सरकार के नियन्त्रण के हम पक्ष में हैं। हमारा विरोध केवल इस बात पर है कि यह भारत की संचित निधि की तरह से ही न हो जाये, ताकि हर बात के लिये ही इसका प्रयोग होता रहे। इसे संस्था के उद्देश्यों के अनुसार ही प्रयोग किया जाना चाहिये।

†**श्रीमती रेणुका राय** : हम ये चाहती हैं कि संयुक्त समिति कुछ ऐसी व्यवस्था कर दे जिससे यह निधि केवल विशेष प्रकार के कार्यों पर ही खर्च हो।

†**डा० सुशीला नायर** : पहली बात तो यह है कि इस निधि को अलग रखा जाना चाहिये और इसका संचालन सामान्य सरकारी मशीनरी द्वारा नहीं होना चाहिये। केवल नाम के बदल जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं, परन्तु जिस उद्देश्य के लिये इस निधि का निर्माण हुआ था, उसको पूरा करने की ओर पूरी शक्ति लगती रहनी चाहिये।

†**श्री करमरकर** : जिन माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये हैं उनका उद्देश्य यही है कि इस निधि को विशेष उद्देश्य के लिये खर्च करने की बात सरकार को ध्यान में रखनी चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह निधि उन्हीं उद्देश्यों के लिये रहेगी, बल्कि सरकार इस निधि में और भी रुपया मिला देगी। इस मामले पर मतभेद की कोई बात ही नहीं। और शायद इसी मतलब के लिये वे प्रवर समिति की बात कह रही थीं। मैं उन्हें समुचित आश्वासन देने को तैयार हूं।

दूसरी बात जो डाक्टर सुशीला नायर ने कही वह यह थी कि वह राज्यों में अस्पतालों की अवस्था से सन्तुष्ट नहीं। जैसा भी है, जब हमने संविधान बनाया तो हमने उत्तरदायित्वों का बंटवारा किया था और उस बंटवारे में अस्पताल का विषय राज्यों के पास रहा। उन्हें इस

---

†मूल अंग्रेजी में

क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता है। इसके बावजूद यदि कोई विशेष मामला हो तो वह मुझे भेज सकती है, मैं इस ओर उनका ध्यान आकृष्ट करवा दूंगा, क्योंकि वर्ष में एक बार मंत्रियों की बैठक होती है।

इस विधेयक के अतिरिक्त भी, भारत सरकार यह चाहती है कि भारत की महिलाओं के साथ न्याय हो। यह तो नहीं है कि जो महिला डाक्टर से इलाज करवाना चाहते हैं उस पर हम पुरुष डाक्टर को थोप देते हैं। मेरे विचार म कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात की चिन्ता नहीं करता कि उस का इलाज करने वाला व्यक्ति मर्द है अथवा औरत। उसे तो अच्छे से अच्छ इलाज से वास्ता है। दिल्ली का लेडी हार्डिंग अस्पताल है, इसम केवल महिला रोगियों को ही लिया जाता है। शहर में भी एक जनाना अस्पताल है। मेरे पास इस समय पूरे आंकड़ तो नहीं परन्तु फिर भी राज्यों को जनाना अस्पतालों की व्यवस्था करनी ही होगी। सरकार को प्रत्येक नर नारी के लिय डाक्टरी इलाज की व्यवस्था करनी ही होगी। वसे तो इस बारे में औरतों, मर्दों तथा बच्चों के लिये समान प्रबन्ध ही होगा परन्तु औरतों की ओर विशष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस मामले में मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं। आप समान व्यवहार की बात करते हैं, मैं तो महिला डाक्टरों को अधिक अवसर देने के पक्ष में हूं। क्योंकि देश में उनकी संख्या बहुत कम है। और यदि कहीं पर किसी को केवल इस आधार पर अस्वीकृत किया जा रहा हो कि वह महिला है, तो उसकी ओर एक दम ध्यान देना चाहिये। यदि इस प्रकार के पक्षपात के आधार पर कहीं किसी महिला की नियुक्ति रद्द हुई हो तो उस ओर मेरा ध्यान आकृष्ट करवाया जाना चाहिये। मैं व्यक्तिगत तौर पर उसकी जांच करूंगा।

दिल्ली में अंशदायी चिकित्सा सेवा योजना के अन्तर्गत काम कर रही महिला डाक्टरों पर सचमुच हमें गौरव है। यह कहना कि भारत में महिलायें किसी प्रकार अयोग्य हैं गलत बात है। उनमें कोई हीन भावना नहीं। प्रतिदिन हम ऐसी महिलाओं को आगे आते देखते हैं जिन पर हम गौरव कर सकते हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा है कि उन्हें भारत सरकार की सेवाओं में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला है। वास्तव में ऐसा कोई उदाहरण मिल भी नहीं सकता है। क्योंकि हम इस प्रकार का कोई भेद भाव नहीं करते हैं। हमारा सिद्धान्त यह है कि समान काम के लिये समान वेतन दिया जाये। यदि हम किसी ग्रेड में एक डाक्टर की नियुक्ति करते हैं तो हम चाहे वह पुरुष हो अथवा स्त्री उसे एक ही जैसा वेतन देते हैं। हम स्त्रियों के वेतन में १० प्रतिशत आदि किसी प्रकार की कमी नहीं करते हैं।

इस सम्बन्ध में लेडी हार्डिंग कालेज का उल्लेख किया गया है। यह कालेज कोई ४० या ५० वर्ष पहले स्थापित किया गया था उस समय की स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। उस समय कोई लड़की पर्दे के बिना कालेज नहीं जाना चाहती थी। वे स्त्रियों से ही पढ़ना पसन्द करती थी और अपनी क्लास में भी पर्दा करके बैठा करती थीं। किन्तु आज की लड़कियां पर्याप्त प्रगतिशील बन चुकी हैं। वे इन बातों की कोई चिन्ता नहीं करतीं कि उन्हें कौन पढ़ाता हो जबतक कि हम उनके दिमाग में यह बात न भरें। इस कालेज में आठं पुरुष अध्यापक हैं जो कि बड़े योग्य हैं। मुझे कोई कारण नहीं दीखता कि हम उन अध्यापकों को क्यों कालेज से निकाल दें। अगर यह लड़कियों का कालेज है तो यह वैसे ही बना रहेगा। महिला डाक्टरों की अपेक्षा इन पुरुष अध्यापकों की बहुत कम संख्या है। और अब हम जब कभी नये स्थानों के लिये विज्ञापन देते हैं तो हम महिलाओं के लिये ही प्रयत्न करते हैं। इस प्रिंसिपल की नियुक्ति के बारे में भी ऐसा ही किया गया था। किन्तु योग्य अध्यापिकाएं न मिलने पर पुरुषों को नियुक्त किया जाता है।

†**डा० सुशीला नायर :** इस प्रकार आप मान लेते हैं कि सभी महिलाएं अयोग्य हैं ।

†**श्री करमरकर :** जो लोग योग्य हैं उनको कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं बता सकता है ।

†**डा० सुशीला नायर :** चुनाव समिति सब कुछ कर सकती है ।

†**श्री करमरकर :** मैं इस आरोप का उत्तर यहां नहीं देना चाहता हूं । इस का उत्तर मैं सभा के बाहर दे सकता हूं । यहां मैं इतना ही कहूंगा कि मैं ने कोई ऐसा मौका नहीं देखा जहां पर कि सरकार ने इस प्रकार की पूर्वधारणा रख कर कोई काम किया हो । मैं ने अभी तक कोई ऐसा पुरुष नहीं देखा है जो कि स्त्रियों से घृणा करता हो . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या ये सब बातें विधेयक से संगत हैं ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** श्रीमान् यह हंसने की बात नहीं है मैं समझती हूं कि मामले को बहुत उपहास में लिया जा रहा है ।

†**श्री करमरकर :** मैं माननीय सदस्या से पूर्णतया सहमत हूं । श्रीमान, मेरे पूर्वाधिकारी मंत्री कई वर्षों तक रेड क्रास सोसाइटी के प्रसिडेन्ट रहे हैं । वह नौ वर्ष तक मंत्रालय की अध्यक्ष रही हैं । वह मुझ से भी ज्यादा जानकारी रखती होंगी । जब उन्होंने इन सबमें से ऐसा फैसला किया है तो मैं समझता हूं वह ठीक ही होना चाहिये । रेड क्रास सोसाइटी साल में एक बार अवश्य सामान्य समिति के सामने आया करेगी । इस प्रकार मैं समझता हूं सरकार को इस निर्णय को मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी) : उन्होंने इस लिये ऐसा किया है क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वह हमेशा मंत्री रहेंगी और इस प्रकार स्त्रियों के अधिकारों को रक्षा कर सकेंगी ।

†**श्री करमरकर :** मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र की धारणा सत्य निकलती । किन्तु यह निर्णय ऐसी धारणा से नहीं किया गया ।

राजकुमारी अमृत कौर ने रेड क्रास संस्था के प्रसिडेन्ट तथा स्वास्थ्य मंत्री दोनों हैसियतों से यह निर्णय किया है कि यह निधि सरकार के पास रहनी चाहिये और मैं सोचता हूं उन्होंने यह पूर्णतया सही निर्णय किया है । क्योंकि हम लोगों से इस सम्बन्ध में बजट सत्र में सब कुछ पूछा जा सकता है । हम सभी इस सभा के सामने उत्तरदायी रहेंगे । इस लिये मैं समझता हूं कि यह निधि किसी गैर सरकारी संस्था की अपेक्षा सरकार के हाथों में अधिक सुरक्षित तथा सदुपयोगी रहेगी । मेरे योग्य पूर्वाधिकारी ने इन्हीं धारणाओं के आधार पर यह निर्णय किया है । इस बात पर मैं इतना ही कहना चाहता था ।

मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि हम इस प्रकार से किसी प्रकार का क्षेत्रीय अथवा आर्थिक क्षेत्राधिकार नहीं प्राप्त करना चाहते थे । हम इस निधि का किसी प्रकार से अर्जन नहीं करना चाहते हैं । आखिर यह निधि है ही कितनी ? यह केवल १२ या १५ लाख रुपये की निधि है । हम कालेज के अन्य मामलों में इस से कहीं अधिक खर्च कर रहे हैं । केवल नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिये ही हम इससे कई गुना अधिक धन व्यय कर रहे हैं । हम इस छोटे से धन के लिये लालच करने का कोई कारण नहीं है । फिर भी मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि हम इस धन को न्यष्ठि धन मान कर सुरक्षित रखेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुरानी संस्था में जो शासकीय समिति थी उसके स्थान पर अब परामर्शदाता समिति बनाई जायेगी। यद्यपि इस समिति में पहली समिति की सभी महिला सदस्याओं को सम्मिलित कर सकना संभव नहीं होगा तथापि मैं यह प्रयत्न करूंगा कि इसमें संसद् का प्रतिनिधित्व हो सके। इस सम्बन्ध में मैं इस सभा के सदस्यों के सुझावों का स्वागत करूंगा। मैं हमेशा उन के सुझावों के अनुसार कार्य करने को उत्सुक हूं। मैं चाहता हूं कि हम इस निधि का प्रबन्ध करने के लिये एक छोटी सी प्रबन्धक समिति बना लेवें। क्योंकि इस वर्ष १९५७–५८ में भी अभी हमें नर्सिंग के लिये ६, स्नातकपूर्व प्रशिक्षण के लिये २५ तथा सनातकोत्तर प्रशिक्षण के लिये ३ छात्रवृत्तियां बांटनी हैं। हम चाहते हैं कि इस निधि का पूर्ववत् सदुपयोग उठाया जाता रहे।

मुझे विश्वास है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का उल्लेख इस दृष्टिकोण से किया गया है कि कदाचित् सरकार इस निधि का पूरा तथा सही उपयोग न कर सके। किन्तु मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि इस निधि का भली भांति प्रबन्ध करेंगे तथा जहां तक सम्भव हो सकेगा इस निधि को और भी सुदृढ़ बनाने का प्रयास करेंगे। जिस उद्देश्य से यह निधि बनाई गई है हम उस उद्देश्य को प्रत्येक प्रकार से आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे इस निधि ने पहले भी अच्छा काम किया है और आगे भी करती रहेगी। जिन लोगों का इस निधि से सम्बन्ध रहा है उन्होंने इस निधि से बड़ी सेवाएं की हैं। इस लिये मैं आशा करता हूं कि इस आश्वासन के पश्चात् अब श्रीमती रेणु चक्रवर्ती अपना संशोधन वापस ले लेंगी।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** यदि मंत्री महोदय का इतना कह देना कि वह इस बात का ध्यान रखेंगे कि निधि का ठीक ठीक प्रबन्ध हो क्या काफी है? क्या वह इन संशोधनों को स्वीकार करने को तैयार होंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि संयुक्त समिति को सौंपने के संशोधन वापस लिये जा रहे हैं ?

†**श्रीमती रेणुका राय :** मैं चाहती हूं कि मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन दें कि वह उस प्रकार की समिति बनाने के लिये तैयार हैं जिस का कि मैं ने अपने भाषण में जिक्र किया है। तब मैं अपना संशोधन वापस लेने को तैयार हूं।

†**श्री करमरकर :** मैं यह आश्वासन दे चुका हूं। मैं प्रयत्न करूंगा कि एक ऐसी समिति बनाई जाये तथा उसमें एक या दो संसद् सदस्य भी सम्मिलित हों।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मैं ने संसद् सदस्यों के लिये नहीं कहा है। मेरा तात्पर्य था कि उसमें डाक्टरी पेशा की स्त्रियां सम्मिलित हों।

†**डा० सुशीला नायर :** मैं माननीय मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के कारण अपना संशोधन लेने की अनुमति चाहती हूं।

†**श्रीमती रेणुका राय :** माननीय मंत्री द्वारा समिति बनाने का आश्वासन दिये जाने के कारण मैं भी अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहती हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि सभा माननीय सदस्याओं को विधेयक के संयुक्त समिति को सौंपे जाने के संशोधनों को वापस लेने की अनुमति देती है।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं इस विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि डफरिन की काउन्टैस निधि के नाम से विख्यात निधि को केन्द्रीय सरकार को हस्तांतरित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २—(परिभाषायें)

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम विधेयक पर खंडश: विचार करेंगे । खंड २ पर कोई संशोधन नहीं हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३—(संस्था का विघटन तथा निधि का हस्तान्तरण)

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करती हूं ।

मैं अधिक कहने की आवश्यकता नहीं समझती क्यों कि इस पर काफी चर्चा हो चुकी है और माननीय मंत्री संशोधन को अवश्य स्वीकार कर लेंगे ऐसी मुझे आशा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन सभा के सामने है ।

†**श्री करमरकर** : मैंने जो आश्वासन दिया है उसके कारण तथा एक और कारण से मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं । पहले एक महिला चिकित्सा सेवा नाम की संस्था थी । ४१ सदस्यों में से अब केवल १६ शेष हैं । हमारी व्यवस्था के अनुसार यह कठिन है । यदि राज्य सरकारें इससे सहमत हों तो यह दूसरी बात है । जब हमने केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा चलाई तो हमने राज्यों से भी इसमें सहयोग करने की प्रार्थना की थी ।

१६४७ या १६४८ से अब तक महिला चिकित्सा सेवा संस्था की जिन महिला सदस्यों ने अपने राज्यों में जाना चाहा उनको जाने दिया गया और हमने राज्यों से कहा कि वे उनको अपने यहां स्थान दें और राज्यों ने उन्हें स्थान दिया भी । इन ४१ सदस्यों में से बहुत से अवकाश प्राप्त कर चुके हैं । शेष इस समय १६ हैं । इनमें से लगभग ८ केन्द्रीय सरकार में हैं । हम उन्हें कोई एक स्थान अवश्य देंगे पर हम केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अलावा अन्य कोई महिला चिकित्सा सेवा संस्था नहीं खोलना चाहते । राज्य केन्द्र के अधीन जो सामान्य स्वास्थ्य सेवा है उनमें यदि राज्य चाहें तो भाग ले सकते हैं । अत: यह आपत्ति बेकार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक अन्य उद्देश्यों का सम्बन्ध है मैं बताना चाहता हूं कि निधि हमारे पास है। परिचारिकाओं के प्रशिक्षिण के सम्बन्ध में हम उससे १० गुना काम कर रहे हैं जितना इस निधि से हो पाता। इसी कारण मैंने कहा है कि कुछ विशेष आश्वासनों के कारण खंड २ का संशोधन आवश्यक नहीं प्रतीत होता।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: इस निधि का प्रयोग संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये किया जायेगा। एक संकल्प द्वारा महिला चिकित्सा सेवा संस्था को पहले ही समाप्त कर दिया गया है। अतः यह प्रश्न तो पैदा ही नहीं होता। प्रश्न तो यह है कि क्या इस विधि का प्रयोग इस संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया जायेगा ? अतः मेरा संशोधन स्वीकार किया जा सकता है।

†**श्री करमरकर**: मैं इसे स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं समझता। यदि इसे स्वीकार कर लिया जायेगा तो हमें और भी कई बातें सम्मिलित करनी होंगी जिनका कोई काम नहीं होगा। इस सदन में सरकार ने जो घोषणा की थी उसको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि यह संशोधन आवश्यक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २ मतदान के लिये रखा गया। सभा में मत-विभाजन हुआ। पक्ष में ४२, विपक्ष में १४७।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ४—(इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व किये गये कुछ कार्यों का मान्यीकरण)

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: मैं इस खण्ड का विरोध करती हूं क्यों कि ऐसा लगता है कि इस संस्था की निधि को कुछ गलत तरीकों से खर्च किया गया है। यदि ऐसा नहीं है तो इस खण्ड की कोई आवश्यकता ही नहीं थी।

†**श्री वें० प० नायर**: मैं भी इस खण्ड का विरोध करता हूं। मैं इस बात का भी विरोध करता हूं कि इस मामले में जो भी विवाद उठेंगे उन्हें न्यायालय में न्याय के लिये ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

†**श्री ईश्वर अय्यर** (त्रिवेन्द्रम) : यदि किसी विधेयक में कोई ऐसी बात रखी जाती है तो निधि के नियमों के विरुद्ध है तो संविधान के अनुच्छेद २३६ के अनुसार उसकी अपील न्यायालय में की जा सकती है। अतः मैं भी इसका विरोध करता हूं।

†**श्री करमरकर**: हमारा उद्देश्य यह है कि संस्था के असाधारण संकल्प के अनुसरण में जो भी व्यक्ति यह काम चलाता आया है हमें उस के द्वारा किये गये सभी कामों का संरक्षण करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री करमरकर]

यह कोई पक्षपात नहीं है बल्कि यह आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति गबन का अपराधी सिद्ध हो जायेगा तो उसे इस खण्ड द्वारा नहीं बचाया जायेगा। इस खण्ड का उद्देश्य तो केवल संकल्प के अनुसरण में किये गये कार्यों को संरक्षण देना है।

मैं जानता हूं कि विरोधी दल के माननीय सदस्य सारी बातें जानना चाहते हैं। अन्तिम प्रतिवेदन १९४९ में प्रकाशित हुआ था जो कि वर्ष १९४७ का था। मैं अपने मंत्रालय से कहूंगा कि वह अब तक का प्रतिवेदन और सारा हिसाब तैयार करे। मैं स्वयं भी चाहता हूं कि सभी बातें उचित तथा न्यायपूर्ण होनी चाहियें।

†**अध्यक्ष महोदय**: मैं इस खण्ड को मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री करमरकर**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय**: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: मैं केवल २ बातें कहना चाहती हूं। माननीय मंत्री ने बताया महिला डाक्टरों की अखिल भारतीय पदाली के लिये राज्य सरकारें सहमत नहीं हैं। ठीक है, क्यों कि उनके पास धन का अभाव है अतः केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह राज्यों की मदद करे। कई पिछड़े राज्यों में महिला डाक्टरों की संख्या बहुत कम है।

दूसरी बात यह है कि १९४९ से अब तक जो महिला डाक्टर काम कर रही हैं उन को इस नई पदाली में लेने पर उनकी इस बीच की सारी सेवा को ध्यान में रखा जाये। अतः मैं इस प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने पिछले भाषणों में यह आश्वासन दिया है कि यह फंड जब सरकार के अधीन चला जायेगा तो उसकी रकम और भी बढ़ा दी जायेगी और आज भी जो नगरों में माताओं और बच्चों के इलाज की व्यवस्था है वह बहुत ही असंतोषजनक है और अपर्याप्त है, उसे बढ़ाकर गांवों और पिछड़े हुए प्रदेशों में भी ले जाया जायेगा। इसलि इस सम्बन्ध में तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि यह स्पष्ट नहीं है कि इस विधेयक के द्वारा जब सरकार इसका प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेगी उस के बाद भी इसका नाम यही रहेगा या बदल दिया जायेगा। मैं यह प्रश्न इसलिये उठा रहा हूं कि मैं अभी तक यह नहीं समझ पा रहा हूं कि स्वाधीनता के दस वर्ष बाद भी इसी तरह के नाम क्यों जारी रहने दिये जा रहे हैं। क्या हमारे देश में ऐसी श्रद्धायोग्य महिलायें नहीं हैं जिनके नाम पर इस फंड का नाम रखा जा सके? पुराने जमाने की बात जाने दीजिये। आज भी हमारे देश में ऐसे नाम हैं, जैसे श्रीमती कस्तूरबा गांधी का नाम है, जिनके नाम पर एक स्मारक चल भी रहा है। क्यों नहीं गवर्नमेंट इस फंड का नाम और इसी तरह के दूसरे फंडों के नाम ऐसी महिलाओं के नाम पर रखती है। ऐसा करने से देश में अनुकूल वातावरण पैदा होगा और साथ ही इस समय जो हमारी माननीय महिला सदस्यों ने अपने अधिकारों का प्रश्न उठाया है मैं समझता हूं ऐसा करके हम उनके प्रति भी अपनी श्रद्धा प्रकट कर सकेंगे। अतः क्यों न उनके ही नाम पर इन फंडों का संचालन किया जाये मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

†**श्री करमरकर :** पहले बात जो कही गयी उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि राज्यों से हमने भारतीय प्रशासन सेवा की ही भांति एक भारतीय चिकित्सा सेवा बनाने की बात कही थी ताकि इस सेवा के कर्मचारी राज्यों में भी काम करें और अवसर आने पर केन्द्र में भी आ सकें। पर अधिकांश राज्य इस योजना में भाग लेने के लिये सहमत नहीं हैं। हम राज्यों के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते।

डाक्टरों के बारे में मेरे माननीय मित्र ने जो कुछ कहा वह बात मेरी समझ में नहीं आई। १६ डाक्टरों में से ८ डाक्टर लेडी हार्डिंग अस्पताल में हैं, यह मैं बता चुका हूं। उन्हें वही वेतन मिलता है जो उनको मिलना चाहिये था।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या नया वेतनक्रम अप्रैल, १९४८ से लागू किया जायेगा? जो डाक्टर पुराने वेतन क्रम में हैं उनके बारे में क्या होगा?

†**श्री करमरकर :** नया वेतन क्रम दिया जायेगा। श्री भक्त दर्शन ने जो बात कही है उसका उत्तर दिया जायेगा। सेवा का नाम बदलने में कोई लाभ नहीं है। नये नाम की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बातें कही गई हैं उन सब पर ध्यान दिया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भाषण में से कुछ अंश निकालने के बारे में प्रश्न

†**आचार्य कृपालानी** (सीतमढ़ी) : सभा की कार्यवाही में बाधा डालने के लिये मुझे क्षमा किया जाये मुझे एक दूसरे विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना है। आज से १३ दिन पूर्व मैं ने आप को इस प्रश्न को यहां उठाने के लिये सूचना दी थी पर आप ने अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं दिया। आज सभा की आखिरी बैठक है अतः मैं यह प्रश्न उठा रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उस दिन वित्त मंत्री के लिये मैं ने जो शब्द प्रयोग किया था उसे सभा की कार्यवाही के विवरण से निकालने के लिये आप ने आदेश दे दिया है। ठीक है, पर माननीय वित्त मंत्री ने स्वयं भी उसी

---

†मूल अंग्रेजी में

[आचार्य कृपालानी]

शब्द का इस्तेमाल किया था। अतः यदि आप ने मेरे शब्द को निकालने के लिये आदेश दे दिया है तो न्याय यह होगा कि वित्त मंत्री ने जो शब्द इस्तेमाल किया था उसे निकालने के लिये भी आप आदेश दे दें।

सभा का कार्य

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं ने आप से निवेदन किया था कि अब मेरे विधेयक को लिया जाये। गृह-कार्य उपमंत्री को कोई आपत्ति नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : (बसिरहाट) : यह विधेयक ८वें नम्बर पर है। यदि सभा के कार्य में इस प्रकार परिवर्तन किया जायेगा तो माननीय सदस्यों को कठिनाई होगी।

†**श्री स० का० पाटिल** : यह विधेयक निर्विवाद है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं वे यदि बाद में कार्य के क्रय के अनुसार आयेंगे तो उनका बोलने का अवसर मारा जायेगा। क्या माननीय मंत्री कहीं जाना चाहते हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यदि आवश्यक हो तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं पंडित गो० ब० पन्त को बुलाता हूं।

नागरिकता संशोधन विधेयक

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि नागरिकता अधिनियम, १६५५ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

संशोधन करने वाला यह एक अत्यन्त छोटा सा विधेयक है जिसके द्वारा हम राष्ट्र-मंडल के भीतर स्वतंत्र होने वाले तीन और देशों, घाना, मलाया संघान तथा सिंगापुर, के नाम जोड़ना चाहते हैं। सिंगापुर हमें पहिले ही सूचित कर चुका है कि नागरिकता के देशीयकरण के लिए पारस्परिक प्रबन्ध किये जा चुके हैं। हम जिन अन्य दो देशों को सूची में शामिल कर रहे हैं उनके साथ हम पारस्परिक प्रबन्धों की प्रत्याशा कर रहे हैं। उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में यह बात भली भांति स्पष्ट की गई है कि भारत सरकार को पारस्परिक आधार पर अधिसूचित करने के समर्थ बनाने के लिए, जब कभी भी इन देशों की नागरिकता अथवा राष्ट्रीयता विधियों के संबंध में आवश्यक हो, इन देशों को प्रथम अनुसूची में भी सम्मिलित करने के लिए अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

क्योंकि इस विधेयक का स्वरूप नैत्यक प्रकार का है इसलिए मैं और अधिक कुछ नहीं कहना चाहती। मैं बता चुकी हूं कि इन तीन देशों को अनुसूची क में सम्मिलित करने के प्रस्ताव का कारण क्या है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता—पूर्व) : श्रीमान्, मैं अपना संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं जिसमें मैं ने विधेयक को १७ फरवरी, १६५८ से पूर्व तक राय जानने के लिये परिचालित करने का प्रस्ताव किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं ने इस विधेयक को परिचालित करने के लिए इसलिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि देश की इस सम्बन्ध में राय मालूम की जा सके कि क्या देश राष्ट्रमंडलीय संबंध बनाये रखने के पक्ष में है या नहीं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

पारस्परिक आधार पर अन्य देशों के नागरिकों के हमारे देश के नागरिक बनने के मैं विरुद्ध नहीं हूं । मैं इस सिद्धान्त का विरोधी नहीं हूं । अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में रहने के लिए विभिन्न देशों में मैत्रीपूर्ण संबंध होने ही चाहियें। परन्तु जिस संबंध पर हम अपनी नागरिकता विधि को आधारित कर रहे हैं उस दासता के दृष्टिकोण के मैं विरुद्ध हूं । सरकार द्वारा कई बार यह कहा गया है कि इस संबंध से हमारे सम्मान को बट्टा नहीं लगता है, हम पुराने संबंधों को तोड़ नहीं रहे हैं बल्कि हम उन्हें बनाये रख रहे हैं और नये संबंध स्थापित कर रहे हैं ।

मैं सरकार के सभी देशों से संबंध स्थापित करने के पक्ष में हूं । चाहे वह रूस हो या अमेरिका, समाजवादी देश हों या पूंजीवादी देश या राष्ट्रमंडलीय देश । परन्तु लज्जा की बात तो यह है कि कुछ देशों को विशिष्ट विशेषाधिकार इसलिए दिये जाते हैं कि उनका संबंध एक विशिष्ट समूह से है । यदि अपने देश से निकट संबंधों के कारण विशेषाधिकार दिये जाते तो मुझे बात समझ में आ सकती थी । घाना देश को सम्मिलित किये जाने की मुझे प्रसन्नता है । इसलिए नहीं कि वह राष्ट्रमंडल का सदस्य है बल्कि इस कारण कि वह नए अफ्रीका का प्रतीक है ।

इसी प्रकार हमारे साथ लंका के विशिष्ट संबंधों को देखते हुए मैं लंका के नागरिकों का भी पारस्परिक आधार पर अपने नागरिकों के रूप में स्वागत करूंगा ।

परन्तु उदाहरणार्थ, आस्ट्रेलिया के साथ हमारे संबंध क्या हैं अन्य देशों के साथ क्या संबंध हैं ।

मलाया तथा सिंगापुर को ही लीजिये । ये देश दक्षिण-पूर्व-एशिया संधि संगठन के अत्यन्त निकट जा रहे हैं । इसलिए हम उनका स्वागत नहीं कर सकते हैं । मलाया द्वारा ब्रिटेन को प्रत्येक सुविधा प्रदान की जा रही है परन्तु भारत के केरल राज्य में साम्यवादी सरकार होने के कारण हमारे साथ विभेद किया जा रहा है । ऐसे राष्ट्र के राष्ट्रजनों को हम अपने नागरिकों के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं । यही बात सिंगापुर पर भी लागू होती है ।

इसलिए पारस्परिक नागरिकता का अधिकार देने के लिए, हमें देशों के अपने अधिकार तथा उनके गुण दोष को ध्यान में रखना चाहिये ।

उदाहरणार्थ बर्मा को देशों की सूची में नहीं रखा गया है । इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि बर्मा की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है और परिणामस्वरूप बर्मा हमारी मैत्री तथा सम्मान का पात्र है । नैपाल हमारा पड़ौसी देश है और उस से हमारे कितने ही सांस्कृतिक तथा परम्परागत संबंध हैं । परन्तु उसे भी देशों की सूची में शामिल नहीं किया गया है ।

[श्रीमती आल्वा]

क्या नए संबंध स्थापित करने की यही कसौटी है ? राष्ट्रमडल से दासता क संबंध के अतिरिक्त अन्य कौन सा सिद्धान्त है ।

हमें किसी विशिष्ट दल से ही क्यों सम्बन्ध स्थापित करने चाहियें ? क्यों न हम सभी देशों से एक सा व्यवहार करें ? उदाहरणार्थ क्यों न हम घाना तथा बर्मा स एक सा ही व्यवहार करें ? हम क्यों विभेद करें ? इसी बात पर मुझे आपत्ति है ।

यह बात भी सिद्ध नहीं होती कि इसने हमारी स्वतंत्र नीति के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं की है । हम ने मराको तथा ट्यूनीशिया में फ्रांस के दबाव की निन्दा की है परन्तु केनया अथवा साइप्रस में ब्रिटिश दबाव की कभी निन्दा नहीं की है ।

इसी प्रकार हमारे राष्ट्रमंडलीय सम्पर्क के कारण प्रधान मंत्री ने मिस्र के मामले म यह कहा था कि मिस्र ने जो कुछ किया है वह वैसी कार्यवाही बिल्कुल न करते । इस से स्पष्ट है कि अपनी परम्पराओं के अनुसार स्वतंत्र विदेशी नीति को अपनाने में राष्ट्रमंडलीय संबंध किस प्रकार बाधक सिद्ध हुए हैं ।

इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और इसे दश की राय जानने के लिए परिचालित करने का अनुरोध करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** संशोधन सभा के समक्ष है ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : हम इस समय भारत के विदेशी मामलों के संबंध में वाद विवाद नहीं कर रहे हैं । इसलिए मैं उन बातों की चर्चा न करूंगा जिनका न्यायोचित होने पर भी सीधा संबंध नहीं है ।

यह प्रसन्नता की बात है कि हम घाना की जनता को नागरिकता अधिकार प्रदान कर रहे हैं । घाना प्रथम अफ्रीकी देश है जो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारे सामने आया है और इससे समस्त अफ्रीका के लिए स्वतंत्रता का एक युग प्रारम्भ होता है ।

यही बात मलाया संधान तथा सिंगापुर पर भी लागू होती है। मुझे खेद केवल इस बात का है कि आज जो विधि लागू है उसके अनुसार हम दक्षिण अफ्रीका के साथ इन अधिकारों का आदान प्रदान कर रहे हैं । परन्तु दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता है । इसलिए यह खेदजनक ह कि हम इस प्रकार के देश को भी ये अधिकार प्रदान कर रहे हैं परन्तु हम उन देशों को भूल रहे हैं जिनके साथ हमारा गहरा प्रेम है । उदाहरणार्थ बर्मा तथा नेपाल को हम इस सूची में सम्मिलित नहीं कर रहे हैं ।

मित्रता की पिछली अटूट परम्परा तथा पारस्परिक हितों को देखते हुए बर्मा एक ऐसा देश है जिसे ये अधिकार देने के लिए हमें उपाय ढूंढ़ने चाहियें । जिनका दृष्टिकोण तथा प्रेम हमारे अधिक निकट है, जिन्होंने कठिनाइयों के समय हमारा साथ दिया है और जो भविष्य में भी हमारा साथ देंगे वे बर्मा तथा नेपाल ही होंगे । इसलिए इन देशों के साथ इन अधिकारों के आदान प्रदान के संबंध में हमें उपाय ढूंढ़ने चाहियें ।

मुझे केवल इतना ही कहना है ।

---

†मल अंग्रेजी में

†श्री वी० बं० शर्मा (गुरदासपुर) : इस विधेयक से न्यनाधिक भारत की विदेश नीति पर वाद-विवाद होने लगा है और हमें उस दिशा में विधेयक का क्षेत्र विस्तृत नहीं करना चाहिये । हमें विधेयक के अत्यन्त सीमित उद्देश्यों तक ही अपने को सीमित रखना चाहिये । इस विधेयक से इस समस्या का समाधान नहीं होगा कि हमें राष्ट्रमंडल में रहना चाहिये या नहीं।

परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि जहां तक इन तीन देशों का संबंध है हम घाना से संबंध स्थापित करना चाहते हैं और उस देश से अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों पर हमें गर्व है । घाना ने जिस न्यायोचित ढंग से स्वतंत्रता प्राप्त की है वह उस महाद्वीप के अन्य देशों के लिए एक सजीव उदाहरण है ।

मैं मलाया संघान का भी स्वागत करता हूं । मलाया ऐसे देश का एक सुन्दर उदाहरण है जहां समाज के बहुजातीय प्रकार के वातारण में प्रशान्ति तथा मैत्रीपूर्ण भाव पनप सकते हैं । मलाया में कितने ही भारतीय रह रहे हैं और जहां तक मेरी जानकारी है वे उस संधान के अन्य नागरिकों जैसे ही अच्छे नागरिक हैं । मुझे अपने माननीय मित्र की इस जानकारी का स्रोत ज्ञात नहीं है कि वहां केरल के लोगों से भेदपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है । मेरे विचार में वहां भारत के सभी राज्यों के वासियों से भारतीयों के रूप में ही व्यवहार किया जाता है।

सिंगापुर में भी हमारे अनेकों देशवासी हैं । मैं उन से सिंगापुर में तथा मलाया में मिला हूं और वे वहां प्रसन्न हैं। जहां तक संबंधों की बात है मलाया तथा सिंगापुर से हमारे संबंध वास्तविकताओं पर आधारित हैं । हम केवल उन्हें इस विधेयक में अधिक स्थायी आधार प्रदान कर रहे हैं ।

मैं कह नहीं सकता कि घाना में कितने भारतीय रह रहे हैं परन्तु सत्य यही है कि घाना एक ऐसा देश है जो अपनी स्वातन्त्र्य लालसा तथा स्वतन्त्र विदेश नीति के कारण हमें प्रिय है । मेरे विचार में घाना के प्रधान मंत्री ने कहा था कि वह भारत जैसी ही स्वतन्त्र विदेश नीति का अनुसरण करेंगे।

मैं श्री नाथ पाई से सहमत हूं कि जब हम राष्ट्रमंडलीय देशों की ओर देखते हैं तो दक्षिण अफ्रीका के व्यवहार से हमें अधिक प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होता है । परन्तु कुल मिला कर हमारे राष्ट्रमंडलीय देशों से सम्बन्ध अत्यन्त मैत्रीपूर्ण हैं; और इन सम्बन्धों से हमारी नीति पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं हुआ है । आप यह नहीं कह सकते कि स्वतन्त्र नीति के मार्ग पर चलने में राष्ट्र-मंडलीय सम्बन्ध बाधक सिद्ध हुए हैं ।

जहां हम इन देशों से नये सम्बन्ध स्थापित कर रहे हैं मुझे विश्वास है कि यह कार्य भविष्य में भी जारी रहेगा और वह दिन दूर नहीं जब हमारे उन देशों के साथ भी पारस्परिक नागरिक विधि के आधार पर सम्बन्ध होंगे जिनकी ओर मेरे माननीय मित्र ने निर्देश किया है । यदि इस विधेयक के अन्तर्गत बर्मा तथा नेपाल को भी लाया जाय तो मुझे इस से प्रसन्नता होगी क्योंकि इन दोनों देशों से हमारे मैत्री के सम्बन्ध हैं और ये दोनों देश हमारे अच्छे पडौसी हैं।

इस विधेयक के कार्य क्षेत्र का विस्तार करना एक बात है और जो कुछ इस विधेयक में है उसका विरोध करना एक दूसरी बात है और इस विधेयक का स्वागत करना एक तीसरी और अलग बात है । मैं सरकार से इस बात पर विचार करने के लिये कहूंगा कि क्या इस पारस्परिक

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

नागरिकता का क्षेत्र हमारे कुछ पड़ौसी देशों तक बढ़ाया जा सकता है या नहीं। मुझे मालूम नहीं कि इस सम्बन्ध में वैधानिक तथा संवैधानिक कठिनाइयां क्या होंगी। परन्तु इस विधेयक को बर्मा तथा नेपाल पर लागू करने के लिये सरकार द्वारा विचार करना लाभप्रद होगा।

†**श्रीमती आल्वा :** मैं श्री साधन गुप्त के सुझाव से सहमत नहीं हूं। पता नहीं वे वैदेशिक नीति के प्रश्न पर कैसे पहुंच गये, जो इससे संगत नहीं है। यह तो एक साधारण सा विधेयक है। हम राष्ट्र मंडल के सदस्य हैं और चूंकि अन्य देश भी स्वतन्त्र होते जा रहे हैं, इसलिये मैं चाहती हूं कि राष्ट्रमंडल के सदस्यों की संख्या और भी बढ़ती जाय। लेकिन, श्री साधन गुप्त का अपना विचार है कि यह हमारी गुलाम मनोवृत्ति है और हम एक बार फिर अपने पुराने साम्राज्यवाद के पिछलग्गू बनने जा रहे हैं। श्री दी० चं० शर्मा ने उन्हें उत्तर भी दे दिया है कि नागरिकता तो समय के साथ ही साथ अधिकाधिक व्यापक बनती जाती है। मैं समझती हूं कि यह बिल्कुल सही बात है।

मैं यह अवश्य कहना चाहती हूं कि पारस्परिक नागरिकता का अधिकार पारस्परिकता के आधार पर ही दिया जाता है। सिंगापुर में एक ऐसी विधि है और वहां की सरकार ने हमें सूचित भी कर दिया है कि वहां भारतीयों को यह अधिकार दिया जा चुका है। अब उनकी इच्छा होने पर वहां की जनता को भी ऐसा ही अधिकार देने की हमारी बारी है।

मलाया संघ और घाना के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है। हमें आशा है कि हमसे पारस्परिक नागरिकता का यह सम्बन्ध जोड़ने के लिये कहेंगे। इसलिये, हमने उन दोनों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया है। नहीं तो हमें फिर उस समय सभा से उसकी अनुमति लेनी पड़ती।

पता नहीं सभा बरमा और नेपाल के प्रश्न में फिर से दिलचस्पी क्यों दिखा रही है। इनसे सम्बन्धित मूल अधिनियम, १९५५ में ही तो पारित हुआ था और उस समय इनके सम्बन्ध में काफी विस्तृत चर्चा हो चुकी है। बरमा के सम्मिलित न हो सकने के कारण भी सभा को बता दिये गये थे। सबसे पहला कारण तो यही है कि नागरिकता के सम्बन्ध में बरमा से कोई पारस्परिक सम्बन्ध नहीं है। हम बरमा के साथ मैत्री भाव तो रखते हैं, रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसी पारस्परिकता के लिये बरमा को तो अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिये। तभी उसके प्रस्ताव की जांच करने के बाद, हम पारस्परिकता की व्यवस्था कर सकते हैं।

बरमा के साथ हमारी मैत्री तो है, लेकिन वहां की वर्तमान विधि के अनुसार वहां रहने वाले भारतीयों को विदेशी ही माना जाता है। अन्य विदेशियों की भांति ही, वहां के भारतीयों को भी बरमी विदेशियों का विनियम तथा विदेशियों का पंजीयन अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ही रहना पड़ता है।

इसलिये, पारस्परिकता की व्यवस्था करने के लिये बरमा को भी आगे बढ़ना चाहिये। हो सकता है कि बरमा की कुछ अपनी कठिनाइयां हों, हम उन पर जोर भी देना नहीं चाहते। यदि वे इस सम्बन्ध में हाथ बढ़ायेंगे, तो हम भी उसका स्वागत करेंगे। शायद यह शीघ्र ही होगा।

जहां तक नेपाल का सम्बन्ध है, नेपाली लोग तो आते-जाते रहते ही हैं। लेकिन राज्यों के स्तर पर ऐसी व्यवस्था करने के लिये तो इस सम्बन्ध में नेपाल को भी पहल कदमी करनी चाहिये। फिर भी, हम नेपालियों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाते।

---

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण अफ्रीका तो इस विधेयक के क्षेत्र में आता ही नहीं। इसलिये, मैं इस संशोधन का विरोध करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है :

"कि नागरिकता अधिनियम, १९५५ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २—(प्रथम अनुसूची का संशोधन)

†**श्री साधन गुप्त** : मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

मैं इसमें मलाया और सिंगापुर को सम्मिलित करने का विरोध इसीलिये कर रहा हूं कि उनकी कोई अपनी स्वतन्त्र वैदेशिक नीति नहीं है, और ऐसे देशों के नागरिकों को अपने देश में नागरिकता देना खतरनाक होगा। संयुक्त राष्ट्र में मलाया ने एक बार भारत के विरुद्ध भी मतदान किया था।

इसीलिये, मैं इन दोनों को इसमें सम्मिलित करने का विरोध कर रहा हूं।

हां, घाना को सम्मिलित करने का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय:** संशोधन प्रस्तुत हुआ।

†**श्रीमती आल्वा** : श्री साधन गुप्त की बातों का उत्तर देना आवश्यक नही है। मैं स्पष्टतया बता चुकी हूं कि राष्ट्रमंडल में स्वतन्त्रता प्राप्त करने पर हम एक रूप नीति का ही पालन करते हैं। हम उन्हें पारस्परिकता के आधार पर नागरिकता का अधिकार देते हैं। घाना और सिंगापुर की भांति, मलाया संघ ने भी इसी प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्त की है, इसलिये वह भी सूची में सम्मिलित हैं। मैं संशोधनों का विरोध करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्रीमती आल्वा:** मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) विधेयक

*

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ के नियंत्रणाधीन खानों के विनियमन और राशियों के विकास की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।

माननीय सदस्यों को इसके सम्बन्ध में बहुत कुछ कहना है । उन्होंने बहुत से संशोधन रखे हैं । इसलिये, अभी इस अवस्था में, मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता । इसे दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने की चर्चा के समय इस विधेयक के सामान्य सिद्धान्तों पर काफी चर्चा हो चुकी है । उस चर्चा से तो मुझे यहीं लगा था कि सामान्यतया इसका समर्थन ही किया जायेगा ।

संयुक्त समिति ने इस विधेयक के खण्डों पर चर्चा करने में काफी समय लगाया है । समिति ने कुछ महत्वपूर्ण खण्डों के प्रारूप में भी रूपभेद किया है, और अब विधेयक पहले से कहीं अधिक सुधर गया है ।

मैं उन सभी परिवर्तनों के बारे में नहीं कहूंगा । लेकिन, समिति ने एक बड़ा व्यापक परिवर्तन खण्ड ९ में किया है । समिति के सदस्यों का यह विचार था कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित स्वामित्व की दें २५ अक्तूबर, १९४९ से पहले के, और इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले के खानों के पट्टेधारियों के खनिजों पर भी लागू की जानी चाहिये । समिति ने इस पर बड़ा जोर दिया था और हमने इसे स्वीकार कर लिया है । अब सभा को इस पर विचार करना चाहिये ।

संयुक्त समिति ने खण्ड १६ पर भी सावधानी से विचार किया था और वह इस परिणाम पर पहुंची थी कि २५ अक्तूबर, १९४९ से पहले मंजूर किये गये खनन पट्टों को भी इस अधिनियम के उपबन्धों और इसके अधीन बनाये जाने वाले नियमों के अनुसार बनाने के लिये एक अधिदेशक व्यवस्था की जानी चाहिये । फिर भी, समिति का विचार था कि केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति दी जानी चाहिये कि कुछ असाधारण परिस्थितियों में वह लोक हित की दृष्टि से किसी खनन पट्टेदारी को नियमों में विहित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र का पट्टा भी दे सके । समिति की यह सिफारिश खण्ड १६ के उपखण्ड (१) में समाविष्ट की गई है ।

कुछ संशोधनों के सम्बन्ध में भी थोड़े से कुछ परिवर्तन किये गये हैं । सभा उन पर विचार करेगी ही । इस विधेयक ने अब सरकार को यह शक्ति प्रदान करदी है कि वह बदली हुई परिस्थिति में देश के खनन उद्योग का विनियमन और विकास करे और इसकी अनुसूची 'क' में वर्गीकृत खानों को विकसित करने के लिये सरकारी क्षेत्र में काफी अधिक रुचि दिखाये ।

विधेयक में सभी चीजों को बड़े स्पष्ट ढंग से रखा गया है, इसलिये सभा को यह आश्वासन देने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि अधिकांश खनिजों के बारे में खनन उद्योग—गैर सरकारी क्षेत्र—में कोई अधिक हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है । हस्तक्षेप केवल वहीं किया गया

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत के असाधारण सूचनापत्र, भाग २, विभाग २, दिनांक...पृष्ठ पर प्रकाशित

है जहां वह लोक हित में और हमारे समाज के भावी ढांचे के हित में हो। सरकार ने खनन उद्योग के जिन भी कुछ खनिजों को अपने नियंत्रण में रखना चाहा है, उनको इस विधेयक के ज़रिये वर्गीकृत किया गया है।

इन और इनके आनुषंगिक परिवर्तनों के अतिरिक्त, इस विधेयक के पहले के सिद्धान्तों को ज्यों का त्यों रखा गया है। मैं तो समझता हूं कि संयुक्त समिति ने इस विधेयक को जो रूप दिया है, वह इस विधेयक के उद्देश्यों की पूर्ति में काफी उपयोगी सिद्ध होगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : श्रीमान्, जब विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर बहस हो रही थी, उस समय मैं कुछ खंडों के बारे में औचित्य प्रश्न उठाना चाहता था। उस समय आपने इन्हें स्थगित करने के लिये कहा था। क्या मैं उन्हें अब उठा सकता हूं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** खंडों पर चर्चा होते समय आप उन्हें उठा सकते हैं।

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी) : इस सारे विधेयक में सरकार के अपने दृष्टिकोणों का विरोधाभास परिलक्षित होता है। सरकार इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति नहीं बना पाई है कि राज्य को देश के प्राकृतिक संसाधनों के विकास पर किस सीमा तक नियंत्रण रखना चाहिये।

औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प में यह उद्देश्य सामने रखा गया था कि आय की असमानताओं और निजी आर्थिक एकाधिकार को कम करना अविलम्बनीय है। विधेयक में इस उद्देश्य को आधार नहीं बनाया गया है। योजना आयोग ने खनिजों के सम्बन्ध में काफी बड़े-बड़े लक्ष्य सामने रखे हैं। ये खनिज विदेशी मुद्रा के लिये भी बड़े महत्वपूर्ण हैं।

इसलिये इन सब को ध्यान में रखते हुए देश के खनिजीय संसाधनों का विनिमय तथा नियंत्रण करना आवश्यक है : इसीलिये, हमने यह नीति अपनायी है कि भारत को खनिज निक्षेपों का संरक्षण करना चाहिये और उनके अपव्यय को रोकना चाहिये।

इस विधेयक में निजी पट्टेदारियों पर कुछ प्रतिबन्ध तो अवश्य लगाये गये हैं, लेकिन बाद में कुछ व्यवस्थायें ऐसी भी कर दी गई हैं जिनसे वे प्रतिबन्ध अर्थहीन बन जाते हैं। निजी क्षेत्र में रहने वाले, देश के दो महत्वपूर्ण लौह अयस्क के क्षेत्रों—बिहार और उड़ीसा—में क्रमशः ७३,००० टन और १,१२,००० टन की कमी हो गई है।

इसका कारण यही है कि निजी खानों के स्वामी जब लौह अयस्क में मुनाफ़ा नहीं देखते तो वे कच्चे मैंगनीज़ के उत्पादन में लग जाते हैं और लौह अयस्क का काम बन्द कर देते हैं।

गत वर्ष की अपेक्षा, इस वर्ष क्रोमाइट के उत्पादन में भी ३६,६६३ टन की कमी हो गई है।

इसके लिये इस विधेयक में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है जिससे कि इन निजी खानों को विनियमित किया जा सके।

स्वामित्व के प्रश्न पर राज्य सरकार ने कई बार चर्चा की है। उड़ीसा राज्य ने भारत सरकार के पास कई याचिकायें भेजी हैं। माननीय मंत्री ने कहा है कि स्वामित्व की दर कम इसलिये रखी गई है कि लौह और मैंगनीज़ के निर्यात के लिये बाजार मिलता रहे। क्या यह उचित है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री पाणिग्रही]

१९५४ में उड़ीसा में ९६०,१५,३४७ रुपये की विभिन्न कच्ची धातुयें निकाली गई थीं और उस पर १६,३७,११५ रुपये स्वामिस्व के रूप में मिले थे। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार को खनिज संसाधनों से उचित हिस्सा नहीं मिलता।

केन्द्रीय सरकार को खानों के विकास और उनके विनियमन के सम्बन्ध में राज्यों को उनका उचित हिस्सा देना चाहिये।

इस पूरे विधेयक में पट्टे देने और खानों के विनियमन के क्षेत्र में राज्यों को गौण स्थान दिया गया है।

खण्ड (९) के परन्तुक (ख) में व्यवस्था की गई है कि केन्द्रीय सरकार चार वर्ष में एक बार किसी भी खनिज के स्वामिस्व की दर में वृद्धि कर सकती है। इस व्यवस्था की क्या आवश्यकता है? स्वामिस्व की दर निर्धारित कर देने के बाद, यह व्यवस्था अनावश्यक हो जाती है?

इतना ही नहीं, खण्ड ३१ में व्यवस्था की गई है कि भारत सरकार यदि आवश्यक समझे तो नियमों के सम्बन्ध में ढिलाई कर सकती है। इस प्रकार पहले की व्यवस्थाओं को अर्थहीन बना दिया गया है।

खण्ड १८ में खानों और खनिजों के विकास से सम्बन्धित सभी व्यवस्थायें तो हैं, पर उसमें श्रमिकों के कल्याण का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। मेरा विचार है कि इस सम्बन्ध में भी एक अनिवार्य व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे कि पट्टेधारियों और खान-स्वामियों के लिये श्रमिकों को कुछ सुविधायें देना आवश्यक हो जाये।

हमें अयस्क सुधार की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये, क्योंकि हमारे यहां अयस्क की किस्म घटिया होती है। बिहार में तो ७० प्रतिशत अयस्क की किस्म घटिया होती है। अयस्क-सुधार के बाद ही, हम अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं।

खण्ड १३ में खनन-पट्टा मंजूर करने की शक्ति केन्द्रीय सरकार को दी गई है। इसमें यह भी व्यवस्था की जानी चाहिये कि खनन–पट्टा मंजूर करने से पहले केन्द्र राज्य सरकार से परामर्श कर ले।

खण्ड ९ के उपखण्ड (३) में स्वामिस्व की दर में वृद्धि कराने के लिये द्वितीय केन्द्रीय सरकार द्वारा ही अनुसूची को संशोधित कराने की व्यवस्था है। यह भी राज्य सरकार के परामर्श से किया जाना चाहिये।

एक और भी अनावश्यक व्यवस्था खण्ड ६ में की गई है कि यदि केन्द्रीय सरकार ठीक समझे तो किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक खनन पट्टे या अनुसंधान अनुज्ञप्तियां दे सकती है और विहित अधिकतम क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में काम करने की अनुमति दे सकती है। एक बार अधिकतम क्षेत्र की सीमा रख देने के बाद ऐसी व्यवस्था रखने का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है।

खनिजीय विकास की दृष्टि से यह आवश्यक है कि हमें अलग अलग खान-स्वामियों के खनन-पट्टों को देखना चाहिये। कई खान-स्वामी ऐसे भी हैं जो कई राज्यों में खानें लिये हुये हैं और जब भी जिस राज्य में उन्हें खानों से अधिक मुनाफ़ा नहीं मिलता वे उस राज्य में काम बन्द कर देते हैं। यह खनिजों के विकास के हित में नहीं है। योजना के लक्ष्यों की पूर्ति के लिये, हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि सभी खानों पर काम चलता रहे।

हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि पर्याप्त पूंजी रखने वालों को ही खनन-पट्टे दिये जायें और वे मनचाहे ढंग से काम बन्द भी न कर सकें ।

माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे राज्य सरकारों के उचित अधिकारों को बना रहने दें, उन्हें भी अपने नियंत्रण में न लें । स्वामित्व की दरों के बारे में राज्य सरकारों में असन्तोष है ही । आशा है कि माननीय मंत्री स्वामित्व के निर्धारण के प्रश्न पर भी विचार करेंगे ।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : इस व्यापक विधान के लिये मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं ।

इस विधेयक में बहुत सी अच्छी बातें हैं । फिर भी, इसकी कुछ व्यवस्थायें राज्यों की स्वायत्तता के विरुद्ध पड़ती हैं । केन्द्र अधिकाधिक शक्तियां अपने हाथों में केन्द्रित करना चाहता है ।

बिक्री कर के मामले में भी, केन्द्र ने राज्य सरकारों की शक्ति छीन कर उसे हटा दिया है और केन्द्र की ओर से कराधान कर दिया है ।

संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची २ की मद २३ में, खनिजों के विनियमन तथा विकास के अप्रतिबन्धित अधिकार राज्य सरकारों को ही प्रदान किये गये हैं । संघ को भी आपने क्षेत्राधिकार के खनिजों के विनियमन तथा विकास का पूरा प्राधिकार दिया गया है ।

संविधान में खनिजों को उसी प्रकार अनुसूचित नहीं किया गया है जिस प्रकार कि इस विधेयक में किया गया है । संविधान के निर्माताओं ने खनिजों को अनुसूचित करने की बात सोची भी नहीं थी । तब किस प्राधिकार से इनको विधेयक में अनुसूचित किया गया है । क्या ये संविधान की सूची २ की मद २३ के विरुद्ध नहीं है ?

खनिजों को कहीं भी वर्गीकृत नहीं किया गया है । संविधान की मद २३ में 'खनिज' शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है । तब, विधेयक में २० खनिजों को अनुसूचित करने और केन्द्र के क्षेत्राधिकार में रखने की शक्ति सरकार को कहां से मिली है ? यहां इस विधेयक में राज्यों की स्वायत्तता का उल्लंघन किया गया है ।

माननीय मंत्री ने राज्यों के महत्व को बिल्कुल ही कम कर दिया है । राज्यों को केवल कम महत्व के खनिजों के विनियमन तथा विकास की शक्ति दी गई है ।

औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प में सरकारी क्षेत्र के लिये केवल ११ खनिज रखे गये थ । अब इस विधेयक में उनकी संख्या २६ कर दी गई है । मैं विकेन्द्रीकरण और राज्यों की स्वायत्तता में विश्वास करता हूं, इस लिये ऐसी व्यवस्थाओं को अनुचित समझता हूं ।

केन्द्र ने राज्यों की शक्ति का हरण तो कर लिया है, लेकिन अपने खनिज सम्बन्धी दायित्वों से वह कतरा रही है । यह व्यवस्थायें रखी गई हैं कि राज्य सरकारों के अनुसंधान की अनुज्ञप्तियां मंजूर करने से पहले केन्द्रीय सरकार से उनका अनुमोदन करा लेना चाहिये । इस प्रकार राज्यों को बिल्कुल ही गौण स्थान दिया गया है ।

राज्य सरकार तो स्वामित्व की मात्रा का भी निर्धारण नहीं कर सकेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री महन्ती]

दूसरी चीज यह है कि विधेयक में व्यवस्था की गई है कि स्वामित्व की दरों का प्रति चार वर्ष बाद, यानी निर्वाचन के समय के आसपास, पुनरीक्षण किया जा सकता है । यानी सरकार चाहती है कि उसे कांग्रेस दल की योजना बता कर वोट प्राप्त कर सके, निर्वाचन के लिये राशियां प्राप्त कर सके । ऐसी व्यवस्था का क्या अर्थ है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : यह तो एक नई बात है जो कभी भी मेरे दिमाग़ में नहीं आई थी ।

†**श्री महन्ती** : इसीलिये मेरा संशोधन यह है कि चार वर्ष के स्थान पर सात वर्षों की अवधि रखी जाये । मैं यही कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के कारण राज्यों की स्वायत्तता पर आघात होगा । यदि हमें ऐसा ही करना है तो राज्यों को समाप्त ही क्यों न कर दिया जाये ।

जब तक विधेयक पर खण्डवार विचार होगा तब मैं अपने संशोधन रखूंगा । वैसे सिद्धान्ततः मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : विधेयक में जो पहले त्रुटियां थीं वे तो अब भी उसी प्रकार विद्यमान हैं । संयुक्त समिति ने भी इसमें अच्छे सुधार नहीं किये हैं । मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री से कुछ बातें पूछना चाहता हूं ।

अब जो व्यक्ति खोज की अनुमति बनाना चाहेगा उसके लिये बड़ी उलझी हुई प्रक्रिया रखी गई है । उसे काम में भी कितना ही समय लगेगा । क्या इससे विकास में बाधा नहीं पड़ेगी ?

मैं तो चाहता हूं कि भारत में भी अमेरिका तथा रूस की भांति विद्यार्थियों को प्रोत्साहन दिया जाये कि वे वैज्ञानिक उपकरण लेकर इन पदार्थों की तलाश करें ।

अब सरकार ने खनिज पदार्थों को विशिष्ट तथा लघु दो वर्गों में विभक्त किया है । किन्तु इन में सारे धातु तो नहीं आ जाते । बहुत से खनिज पदार्थ जैसे थोरियम कोबाल्ट आदि तो छोड़ ही दिये गये हैं ।

अब ये जो खनिज पदार्थ छोड़े गये हैं उनके बारे में सरकार को क्या नीति रही है । जब सरकार विधेयक तैयार करती है तो उसे समस्त खनिज पदार्थों को ले लेना चाहिये था ।

सरकार रेडियम धर्मी खनिजों के बारे में क्या सोच रही है इसके सम्बन्ध में मुझे पता बताना चाहिये । केवल यूरेनियम के अतिरिक्त इसमें किसी अन्य रेडियम धर्मी खनिज पदार्थ का उल्लेख तक भी नहीं है । इस कारण में इस सम्बन्ध में सरकार की वास्तविक नीति जानना चाहता हूं ।

इस के बाद मैं खण्ड १८ पर आता हूं जिसमें विकास सम्बन्धी नीति निर्धारित की गयी है। उस खण्ड के अनुसार भारत में खनिजों के विकास का कर्तव्य राष्ट्रीय सरकार का होगा और वही तत्सम्बन्धी नियम बनायेगी । किन्तु इस विधेयक में हम क्या देखते हैं? खनिजों के विनियमन तथा विकास के बारे में तो एक भी शब्द इसमें नहीं लिखा है । क्या इस सम्बन्ध में सरकार के पास किसी भी प्रकार की कोई योजना ही नहीं है ? क्या एक खनन वित्त निगम स्थापित नहीं की जा सकती जो देश में खनिजों की खोज करे ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

जब इस विधेयक में विकास तथा विनियमन के बारे में एक भी शब्द नहीं है तब इसका उपयोग क्या होगा ? खण्ड ९ में भी संशोधन किया गया है ताकि पुराने पट्टे इस अधिनियम के स्तर पर लाये जा सकें । इस से क्या लाभ होगा ? एक दूसरे खण्ड के अधीन वे प्रतिकर का दावा कर सकते हैं ।

मैं इस बात को बिलकुल ही समझ नहीं सका हूं । यह बात उन्होंने क्या की है ? वास्तव में ससे कोई भी लाभ नहीं होगा ।

न तो इस विधेयक से स्पष्ट नीति ही निर्धारित होती है और न ही विकास का कोई उपबन्ध होता है । वैसे भी इस विधेयक में त्रुटियां ही त्रुटियां हैं ।

†**श्री ज० रा० मेहता** (जोधपुर) : श्रीमान्, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । संयुक्त समिति ने इस विधेयक में पर्याप्त परिवर्तन किये हैं । इस लिये संयुक्त समिति धन्यवाद की अधिकारी है ।

इस विधेयक को ठीक तरह समझने के लिये हमें दो या तीन बातों पर विचार करना होगा । पहले तो सरकार की औद्योगिक नीति के उद्देश्य के सम्वर्द्धन की आवश्यकता है । दूसरे पुराने करारों में भी यथोचित परिवर्तन करने की आवश्यकता है । तीसरे खनिजों के विकास में गैर-सरकारी क्षेत्र को भी एक सीमा तक विकसित करने की आवश्यकता है । चौथे राज्यों तथा केन्द्र के अधिकारों को पुनः समायोजित करने की आवश्यकता है ।

वैसे कोई पूर्ण चीज तो बनानी कठिन है किन्तु मेरा यह विचार है कि इस प्रकार संयुक्त समिति ने ईमानदारी का प्रयास किया है । इस विधेयक के खण्ड ७, ८ तथा ११ और १६ अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं ।

खण्ड ७ में यह रखा गया है कि अनुसूची १ में दिये गये सभी खनिज पदार्थों के बारे में खनन अनुज्ञप्तियां केवल केन्द्रीय सरकार की अनुमति से ही बन सकती हैं । आजकल राज्य भी अनुज्ञप्तियां दे सकते हैं । वास्तव में यह एकरूपता लाने के लिये किया गया है । कुछ सदस्यों ने आलोचना की है कि इससे राज्यों की स्वायत्तता पर कुठाराघात होगा किन्तु ऐसी बात नहीं है । पहले विधेयक में भी इसी प्रकार के उपबन्ध थे ।

अब मैं माननीय सदस्यों का ध्यान विधेयक के खण्ड ८ उपखण्ड (२) की ओर दिलाना चाहता हूं । इस बार यह व्यवस्था रखी गयी है कि कोयले के सम्बन्ध में ३० वर्ष से अनधिक अवधि के लिये पट्टों का नवीकरण हो और अन्य धातुओं के बारे में २० वर्ष का । जहां तक अन्य धातुओं का सम्बन्ध है उसके बारे में भी माननीय मंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये ।

इसी प्रकार जहां खण्ड १६ सारा ही महत्वपूर्ण है वहां परन्तुक और भी अधिक महत्वपूर्ण है । खण्ड १६ में यह उपबन्ध किया गया है कि २५ अक्तूबर, १९४९ से पहले के सभी खनन पट्टों को विधेयक के स्तर पर लाया जाये । परन्तुक में यह व्यवस्था की गई है कि इनका प्रवर्तन कड़ा नहीं होगा । और वर्तमान पट्टाधारियों के हितों का समुचित ध्यान रखा जायगा ।

यद्यपि सारी बात तो इस पर ही निर्भर करती है कि इस विधेयक को कैसे क्रियान्वित किया जाता है किन्तु विधेयक युक्तियुक्त है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ज० रा० मेहता]

यदि सरकार खनिज पदार्थों के विकास पर ही ध्यान देगी और धन कमाने के चक्कर में न रहेगी तो हमें पूरा विश्वास है कि खनिज उद्योग की स्थिति शीघ्र ही सुधर जायेगी। नियम बनाने के अधिकार भी सरकार को व्यापक दिये जा रहे हैं। हमें आशा है कि सरकार इन अधिकारों को उचित रीति से प्रयोग करेगी।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : मेरा विचार था कि मिश्रित अर्थ व्यवस्था की समर्थक सरकार इस सम्बन्ध में एक महान विधेयक रखेगी किन्तु आरम्भ में इसे देखकर हमें निराशा हुई थी।

जब इसे संयुक्त समिति को सौंपा गया तब फिर आशायें बंधीं कि यह विधेयक ठीक हो जायगा किन्तु अब इसे प्रतिवेदित रूप में भी सामने देख कर हमें महान निराशा हो रही है। मैं तो इसके मुख्य उद्देश्यों को ही देखना चाहता हूं।

वास्तव में इस विधेयक से यही सिद्ध होता है कि हमारी सरकार का समाजवादी ढांचे में पूरा विश्वास नहीं है। सरकार नौकरशाही तथा पूंजीपतियों के प्रभाव के अधीन ही चल रही है।

जब तक किसी देश के खनिज पदार्थों का विकास समुचित दृष्टि से नहीं हो जाता तब तक वह देश ऊपर नहीं उठ सकता। सरकार का कहना है कि वह सरकारी क्षेत्र को बलशाली बनायेगी किन्तु जो कुछ हो रहा है वह आपके सामने है। वास्तव में इस विधेयक से पूंजीपतियों तथा नौकरों को ही फायदा पहुंचेगा।

मैं तो यही समझता हूं कि सरकार समाजवाद की ओर ध्यान ही नहीं देना चाहती। इस दृष्टि से विचार करने पर हम यह कह सकते हैं कि विधेयक समाज विरोधी है।

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं संक्षेप से ही कहूंगा क्योंकि इस पर पर्याप्त संशोधन हैं। जिन सदस्यों ने तत्सम्बन्धी बातें उठाई हैं मैं उनका उत्तर दूंगा। श्री पाणिग्राही ने कई बातें कही हैं मैं उसके लिये उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। किन्तु उस सम्बन्ध में भी द्विविधा सी है।

उनका कहना है कि मिश्रित अर्थ व्यवस्था के कारण हम सब द्विविधा में पड़ गये हैं और इस कारण हमारे देश में खनिज विकास नहीं हो रहा। मैं इस बात को नहीं मानता। हमारे देश की यह मिश्रित अर्थ व्यवस्था हमारे उद्देश्यों को पहले भी अग्रसर करती रही है और अब भी कर रही है। हम सरकारी क्षेत्र का विकास कर रहे हैं यह बात औद्योगिक नीति से स्पष्ट है। हम असमानतायें समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और वे हो भी रही हैं। कुछ समय पूर्व खनिज उद्योग मुख्यतया गैर-सरकारी हाथों में ही था। अब हमने खनिज पदार्थों का वर्गीकरण कर दिया है और राज्य तथा केन्द्रीय सरकारें खनिजों के विकास के लिये पूरा पूरा प्रयास कर रही हैं ताकि उससे खानों का काम अधिक तेजी से चलने लगे।

श्री पाणिग्रही ने कहा है कि उत्पादन बढ़ाने के लिये विनियमन नहीं हो रहा है। मैं उनका अभिप्राय समझा ही नहीं हूं। हमने खण्ड १८ के अन्तर्गत पर्याप्त व्यवस्था उस सम्बन्ध में कर डाली है। आशा है माननीय मित्र उस उपबन्ध से सन्तुष्ट हो जायेंगे।

जहां तक दरों का सम्बन्ध है श्री पाणिग्रही ने कहा है कि रायलटियों की दरें बढ़ाई नहीं गई हैं। मैं समझता हूं कि श्री पाणिग्रही को इस सम्बन्ध के इतिहास का भी अवश्य ही पता होगा। पिछले चार पांच वर्षों से हम निरन्तर यही प्रयास कर रहे हैं कि रायल्टी की दरें बढ़ें। अनुसूची को देखकर

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उन्हें यह ज्ञात हो ही जायेगा। हम इन दरों को बढ़ा सकते हैं किन्तु इन्हें एक विशेष सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता अन्यथा कीमतें हमारे लिये समस्या पैदा कर देती हैं। हम इस बात को भूल नहीं सकते। ज्यों ही हम रायल्टी को बढ़ायेंगे इसका मूल्यों पर प्रभाव पड़ेगा। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की यह नीति है कि रायल्टी से राजस्व बढ़ाया जाये लेकिन इतना जिससे निर्यात व्यापार पर कोई प्रभाव न पड़े और राज्य सरकारें भी पूरा पूरा लाभ उठा सकें। हमारी यही नीति रहेगी भी।

माननीय सदस्य ने कहा कि खण्ड १८ में श्रम कल्याण के बारे में योजनायें बनाई जायें। उन्होंने स्वयं ही इस बात का उत्तर भी दे दिया कि इस विधेयक में यह संगत न होगा। वह श्रम मंत्रालय का काम है। वह मंत्रालय इस सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही कर ही रहा है।

अब मैं खण्ड १८ के सम्बन्ध में कुछ बताना चाहता हूं जिसका सम्बन्ध अयस्कों के सुधार से है। इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि गैर सरकारी क्षेत्र ने घटिया अयस्क को उच्च स्तर का बनाने के विशेष प्रयास नहीं किये हैं और यह बड़ी चिन्ता का विषय है। सभा ने ठीक ही इस आवश्यक पहलू पर अपनी राय प्रकट की है। सरकार की नीति यही है कि इन अयस्कों में सुधार होना चाहिये ताकि इसे भी राष्ट्र के हित में प्रयुक्त किया जा सके।

जहां तक मैंगेनीज़, लौह अयस्क तथा कोयले का सम्बन्ध है हम उनके अयस्क सुधारने के कारखाने लगाने के उपाय कर ही रहे हैं। यह धीमी गति से होगा क्योंकि बहुत रुपया जो लगेगा। इसके लिये बहुत से प्रविधिक लोग तथा विशेषज्ञों की भी आवश्यकता है। हम इस काम को तब भी शीघ्र ही समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। यह कारखाने कई स्थानों पर लगाये जायेंगे ताकि अयस्क सुधार करके उन्हें भी निर्यात किया जा सके। मूल्यों के प्रश्न पर मैं दोबारा कहूंगा।

उसके बाद यह बात भी कही गयी कि गैर-सरकारी क्षेत्र के लोग जब लाभ नहीं देखते तब वे सुस्त पड़ जाते हैं। उदारहणार्थ यदि एक व्यक्ति मैंगेनीज़ तथा लौह अयस्क और क्रोमाइट अयस्क का काम कर रहा है और यदि उसे क्रोमाइट के काम में ज्यादा लाभ मिले तो वह मैंगेनीज़ का काम मन्द कर देता है क्योंकि उसके पास पर्याप्त कर्मचारी भी नहीं होते। हम यह प्रयास करेंगे कि देखें कि गैर-सरकारी क्षेत्र किसी पहलू पर भी मंथर गति से न चले और काम ठीक ढंग से चलता रहना चाहिये। सरकार इस बात के प्रति सजग है कि निर्यात व्यापार में किसी प्रकार की अवनति न होने पावे।

श्री महन्ती कहते हैं कि राज्यों की स्वायत्तता पर इस विधेयक से कुठाराघात किया गया है। मैं इस प्रश्न के सांवैधानिक औचित्य में तो जाना नहीं चाहता किन्तु सिद्धान्ततः मैं भी स्वयं यही चाहता हूं कि राज्य इससे कहीं अधिक स्वायत्तता का उपयोग करें। हमारी वास्तविक इच्छा भी यही है कि राज्य सरकारों को ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी जाये।

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि चाहे हम कहीं भी देखें —पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर, अमरीका की ओर या रूस की ओर सब स्थानों पर केन्द्रीकरण की ही भावना है। हमें भी इस प्रकार कुछ समय लगेगा क्योंकि अभी हमारे राज्य क्षेत्र में आये ही हैं। खैर मुझे इस बात में बड़ी प्रसन्नता है कि राज्यों ने इस कार्यक्रम को बड़ी सद्भावना एवं आवेश से लिया है। अपनी वित्तीय स्थिति सुधार कर वे अधिक उत्तरदायित्व लेने को तैयार हैं। जैसा कि श्री महन्ती ने कहा है कि हम राज्यो से साझेदारी कर लें, यह नहीं हो सकता क्योंकि इसकी गुंजाइश ही नहीं है। माननीय मित्र जानते हैं कि केन्द्र में भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग है और भारतीय खान ब्यूरो है और हम

[श्री के० दे० मालवीय]

इसका विकास यहां करना चाहते हैं। सब बातों पर समय लगता है। हम भी आज यह नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह से सज्ज हैं इस काम के लिये। यह भी सम्भव है कि राज्यों को खनिजों के खनन, परिरक्षण और उन पर निरीक्षण करने के उत्तरदायित्व लेने में अभी पर्याप्त समय लगे। खैर हमें उन्हें जिम्मेदारी देते समय न लगेगा।

आरम्भिक विधेयक में रायल्टी के पुनरीक्षण के बारे में दो वर्ष की अवधि रखी गयी थी किन्तु अब चार वर्ष की अवधि रखी गयी है। श्री महन्ती कह रहे थे कि यह अवधि इस कारण रखी गयी है क्योंकि उस समय निर्वाचन होंगे। यह बात गलत है। यह समय इस आधार पर रखा गया है ताकि गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थायित्व की थोड़ी सी भावना कायम रहे, वे पूंजी लगा सकें। आप कल्पना करें कि यदि हम छः महीने के बाद रायल्टी घटाने या बढ़ाने की शक्ति ले लेते हैं तो स्थिति बड़ी ही असन्तोषप्रद हो जायेगी। जब तक हम यह मिश्रित अर्थ व्यवस्था रखते हैं और यह चाहते हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र उन्नति करे तब हमें उन्हें असन्तुष्ट नहीं करना है।

हमारी यह इच्छा नहीं है कि गैर-सरकारी क्षेत्र असन्तुष्ट रहे। हम सन्तोष चाहते हैं। पहले हमने सोचा था कि दो वर्ष की अवधि ठीक रहेगी और इसके बाद हम पुनरीक्षण कर सकेंगे। संयुक्त समिति का यह मत था कि अवधि को चार वर्ष किया जा सकता है। इससे गैर-सरकारी क्षेत्र को अधिक सुरक्षा प्राप्त होगी और वे आगामी चार वर्षों के लिये कार्यक्रम बना सकेंगे तथा अपनी पूंजी लगा सकेंगे। हमने इस प्रस्ताव को उचित समझा और स्वीकार कर लिया। इस अवधि में गैर-सरकारी क्षेत्र के द्वारा तैयारियां की जायेंगी और योजना के प्रयोजन के लिये पूंजी लगाई जायेगी।

श्री नौशीर भरूचा ने कहा है कि यह प्रक्रिया बहुत जटिल है और इससे खनन उद्योग के विकास के लिये उपयुक्त वातावरण तैयार नहीं हो सकेगा। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। हमने अपनी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों की कमजोरियों पर विचार किया है। उस दृष्टि से हमारे नियम बहुत उदार हैं। हम खनिजों का पता लगाने वाले प्रत्येक दल को प्रोत्साहन देते हैं। विधेयक तथा तत्सम्बन्धी नियमों में यह व्यवस्था की गई है कि देश में सर्वेक्षण करने तथा खनिजों का पता लगाने वाले दलों को रियायतें दी जायें। ऐसे दलों को किसी प्रकार की असुविधायें नहीं होंगी।

खनिजों का वर्गीकरण करने से खनन उद्योग की स्थिति को अधिक स्पष्ट करने की ओर प्रेरणा मिलेगी। हम उन खनिजों का अधिकाधिक वर्गीकरण कर रहे हैं जो निर्यात व्यापार, विदेशी विनिमय के अर्जन या देश के विकास के लिये महत्वपूर्ण हैं।

श्री भरूचा ने रेडियम धर्मी धातुओं में बहुत दिलचस्पी दिखाई है लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि इन धातुओं का खनन पूरी तरह अणु शक्ति आयोग पर निर्भर है।

रेडियम धर्मी धातुओं का खनन, विकास और सर्वेक्षण १९४८ के अधिनियम तथा १९५६ के अधिनियम से विनियमित होता है। इस सम्बन्ध में उनके अपने नियम हैं। यह कार्य अणु शक्ति आयोग और इस्पात खान और ईंधन मंत्रालय के बीच में बंटा हुआ है। उक्त धातुओं के सर्वेक्षण और विकास का कार्य पिछले दो तीन वर्षों से बहुत सन्तोषजनक रूप से हो रहा है। हमने कई क्षेत्रों का पता लगा लिया है और यूरेनियम आक्साइड के उत्पादन में वृद्धि हो रही है।

उन्होंने खंड १८ का जिक्र किया। विधेयक के किसी खंड में टेकनीकल प्रक्रियाओं इत्यादि का जिक्र नहीं किया जा सकता है। वे चाहते हैं कि वर्गीकरण में अधिक सिद्धान्तों की व्याख्या की

जाती तथा हमें यह बताना चाहिये था कि हम खनन उद्योग की रक्षा, प्रोत्साहन तथा विनियमन के लिये क्या कर रहे है। खंड १८(२) में इन सभी बातों का जिक्र किया हुआ है यथा नयी खानें खोदना, खनन कार्यों का विनियमन, खान से खनिज पदार्थोंको एकत्र करना तथा किसी क्षेत्र के खनिज संसाधनों का सुधार तथा विकास। इस विधेयक में खानों के लाभ के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक नहीं कहा जा सकता था। इस सम्बन्ध में जो नियम बनाये जायेंगे उनसे स्थिति अधिक स्पष्ट हो जायगी और वे स्थिति अधिक अच्छी तरह समझ जायेंगे।

माननीय सदस्य ने मुझ से विनियमन शब्द को शब्दकोष में पढ़ने को कहा है। श्री भरूचा उसका अर्थ देख सकते हैं। हम इन नियमों को निर्विघ्नतापूर्वक लागू कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह ने मेरा ध्यान कुछ आधारभूत सिफ़ारिशों की ओर दिलाया है। हम उन आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे विचार से मैं माननीय सदस्यों के सभी प्रश्नों के उत्तर दे चुका हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है :

"संघ के नियंत्रणाधीन खानों के विनियमन और खनिजों के विकास की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २—(संघ नियंत्रण की वांछनीयता के सम्बन्ध में घोषणा)

†**उपाध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ३—(परिभाषायें)

श्री हेमराज (कांगड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लाज ३ के सब क्लाज ई० के मुताल्लिक अपना एक अमेंडमेंट संख्या २६ हाउस के सामने पेश करता हूं इससे पहले जो माइनर मिनरल्स (सामान्य धातुओं) की डेफीनीशन कनसेशन रूल्स १९४९ में दी गयी थी वह बहुत ज्यादा व्यापक थी लेकिन जो डेफीनीशन इस बिल में रखी जा रही है उसको बहुत छोटा सा कर दिया गया है और उसमें से बहुत सी चीज़ें निकाल दी गयी हैं और इन माइनर मिनरल्स के मुताल्लिक रूल्स बनाने की पावर्स स्टेट गवर्नमेंट्स को दी जा रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले रही है। तो मैं चाहता हूं कि माइनर मिनरल्स के मुताल्लिक बहुत ज्यादा बजाहत कर दी जाये ताकि जो पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को हैं उनके पास रह जायें।

इस वक्त इन माइनर मिनरल्स को तीन किस्मों में तकसीम कर दिया गया है। एक तो वह है जो शिड्यूल (अनुसूची) १ में स्पेसीफाईड हैं, दोनों के दरमियान में हैं। वह जो बहुत सारी मिनरल्स हैं उनके मुताल्लिक भी कोई पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं हैं। इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेमराज]

हैं, जैसे लाइम स्टोन है, कंकर है, लाइम है, जिनसे विलेज आर्टिजन अपनी रोजी कमाते हैं। इन से बहुत ज्यादा ग्रामीण लोग अपनी रोजी कमाते हैं। मैं चाहता हूं कि जितनी ऐसी चीजें हैं वे स्टेट गवर्नमेंट के पास रहें ताकि वह अपने रूल बना सके और जो ग्रामीण लोग हैं वे अपनी कमाई कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपने अमेंडमेंट को हाउस के सामने पेश करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय:** संशोधन प्रस्तुत हुआ।

श्री के० दे० मालवीय: मुझे अफसोस है कि मैं यह अमेंडमेंट मंजूर नहीं कर सकता। लेकिन इस बात का ख्याल रखा जायेगा कि ग्रामीण लोगों को तकलीफ न हो और अगर हो सका तो रूल्स में देखेंगे कि अगर इन लोगों को कोई दिक्कत है तो उसको दूर कर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या माननीय सदस्य चाहेंगे कि यह अमेंडमेंट बोट के लिये रखा जाये?

श्री हेमराज : जी नहीं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"खंड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ५—(खोज करने की अनुज्ञप्तियों अथवा खनन पट्टों की अनुमति देने पर प्रतिबन्ध)

†**श्री महन्ती:** यह खंड जैसा कि शब्दावली से स्पष्ट है, बहुत व्यापक है। तथा इन नियमों के अधीन सभी शर्तें विहित की जा सकती हैं। यह विधान निर्माण के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। इसलिये मैं अपना संशोधन संख्या २७ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री राधे लाल व्यास** (उज्जैन): मैं संशोधन संख्या १ और २ प्रस्तुत करता हूं।

लौह अयस्क तथा मेंगनीज़ अयस्क के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष खनन इत्यादि के लिये हजारों आवेदन पत्र आते हैं। इनके सम्बन्ध में राज्य सरकारों को केन्द्र से आदेश प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होना चाहिये। क्योंकि इससे इन आवेदन पत्रों की क्रियान्विति में विलम्ब होगा। अनुसूचि को भी दो भागों में विभक्त कर देना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

†**श्री के० दे० मालवीय:** इन संशोधनों को स्वीकार करना सम्भव नहीं होगा। इसका कारण यह है कि लौह अयस्क तथा मेंगनीज़ अयस्क का पृथक् उपवर्ग बनाना सम्भव नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में समायोजन करना होता है और परिवहन, संचार, पूर्व तथा पश्चिम से व्यापार तथा निर्यात की सारी सम्भावनाओं पर विचार करना होता है। इसलिये यदि

---

†मूल अंग्रेजी में

किसी विशेष दल को खनन की पट्टेदारी देने का कार्य यदि राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जायेगा तो अयस्क के उत्पादन में वृद्धि होने पर भी इसके विकास में वृद्धि नहीं होगी। इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

श्री महन्ती चाहते हैं कि खंड ५ का ग भाग हटा दिया जाय। कुछ स्थितियों पर विचार करना चाहिये, यह ठीक है। लेकिन उन स्थितियों का उल्लेख करना सम्भव नहीं है। मेरे विचार से उपयुक्त दलों को स्वीकृति का प्रमाणपत्र देते समय उन्हें कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। हम प्रमाणपत्र देते समय उन दलों को तंग नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में उदारता से कार्य किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २७, १ और २ मतदान के लिय रखे गये और अस्वीकृत हुये।

०उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड ५ विधेयक का भाग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ६—(खोज करने की अनुज्ञप्ति और खनन के पट्टेदारी की अनुमति देने के लिये अधिकतम क्षेत्र)

†**श्री नौशीर भरूचा:** मैं इस सम्बन्ध में एक औचित्य प्रश्न रखना चाहता हूं। खंड ६ में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी राज्य में ५० मील से अधिक भूमि में खनिजों को खोजने की अनुज्ञप्ति नहीं दी जायेगी। संसद् ने अनुसूची १ में उल्लिखित खनिजों को अपने अधीन रखा है। इससे अवशेष खनिज पदार्थ स्वत: ही राज्यों के अधिकार के अन्तर्गत आ जाते हैं। तब हम राज्यों के लिये केवल ५० मील की सीमा किस प्रकार विहित कर सकते हैं?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया):** मैं इस बात को स्पष्ट करने में आपकी अनुमति चाहता हूं। मैं आपका ध्यान खंड २ की ओर दिलाना चाहता हूं जो बहुत व्यापक है। उसमें यह कहा गया है कि लोकहित के लिये यह आवश्यक है कि विधेयक में उल्लिखित सीमा तक संघ सरकार खानों के विनियमन और विकास को अपने नियंत्रण में ले लेवे।

सम्भव है कुछ खनिज पदार्थों का उल्लेख नहीं किया गया हो। लेकिन खंड ६ के द्वारा जो कुछ करने का आशय है वह खंड २ की सीमा के अधीन आ जाता है। अत: ससद् इसके लिये सूक्षम है। संविधान में दी गई अनुसूची के मद ५४ के अधीन विनियमन बनाया जा रहा है। यह नितान्त वैध है।

†**श्री महन्ती:** श्री भरूचा के कथन का आशय यह है कि हम अनुसूची में न लिखे गये खनिजों के सम्बन्ध में उनके अधिकार को सीमित नहीं कर सकते हैं। इसका खंड २ से कोई सम्बन्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुरामैया** : पहिली अनुसूची में जो खनिज दिये गये हैं वे खंड ५ के प्रयोजन के लिये हैं। उसमें विधेयक के अधीन आने वाले सारे खनिज पदार्थ नहीं आते हैं। विधेयक के सामान्य खंड में जिसमें सारे खनिज आ जाते हैं उस पर खंड २ पर चर्चा के समय चर्चा हो चुकी है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जहां तक खंड ६ के शक्ति परस्तात् होने का सम्बन्ध है अन्य खंड यथा १४, १३,१७, १८ और ३१ भी इसी वर्ग में हैं। इन्हें तब तक शक्ति परस्तात् घोषित नहीं किया जा सकता है जब तक विधेयक में कोई त्रुटि स्पष्ट परिलक्षित न होती हो। सभा यदि चाहे तो अपनी सहमति से ऐसा विधेयक भी पारित कर सकती है जो बाद में न्यायालय द्वारा संविधान के शक्ति परस्तात् घोषित हो जाये। इसलिये मैं इस खंड को सभा में मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है।

"कि खंड ६ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ७—(अवधि जिस के लिये खोज करने की अनुज्ञप्ति दी जायेगी या उसे फिर से मंजर कर लिया जायेगा)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खंड ७ पर कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जाते। प्रश्न यह है :

"खंड ७ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ७ विधयक में जोड़ दिया गया।

खंड ८—(अवधि जिस के लिये खनन के पट्टे दिय जायेंगे या फिर से मंजूर किये जायेंगे)

†**श्री महन्ती** : मैं अपना संशोधन संख्या ३० प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री पाणिग्रही** : मैं संशोधन संख्या ५ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री महन्ती** : इस खंड में उस अवधि का उल्लेख किया गया है जिसके लिये खनन के पट्टेदारी की अनुज्ञप्ति दी जायेगी। वस्तुतः इस प्रकार सरकार को बहुत व्यापक शक्तियां दी जा रही हैं इन से पक्षपात इत्यादि करने के अवसर बढ़ेंगे और प्रशासनिक विशेषतायें उत्पन्न होंगी। इनके उपचार के लिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

†**श्री बि० दास गुप्त** (पुरुलिया) : सरकार ने खनन पट्टों की अनुमति के सम्बन्ध में जो उपबन्ध बनाये हैं उनमें कोयला बाक्साइट इत्यादि के लिये ३० वर्ष तथा अन्य धातुओं के लिये २० वर्ष का समय रखा गया है। हम निकट भविष्य में अपने खनन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। इस दृष्टि से यह अवधि बहुत लम्बी है। इसे कम करना आवश्यक है।

†**श्री के० दे० मालवीय** : श्री महन्ती उपखंड ३ को हटाना चाहते हैं। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूं। जब तक हमारे देश में मिश्रित अर्थ व्यवस्था जारी है तब तक हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसके अधीन खंड ८ में उल्लिखित शर्त्तों के अलावा पट्टेदारी पुनः दी जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस सम्बन्ध में सरकार पक्षपात तथा-भाई-भतीजा वाद को प्रोत्साहन नहीं देना चाहती है। हमारे विचार से हमारे उद्योगों के विकास तथा निर्यात व्यापार के विकास के लिये यह परन्तुक आवश्यक है। लेकिन यदि कुछ अवस्था में ऐसा हुआ तो सरकार इस पर ध्यानपूर्वक विचार करेगी और अनिवार्य कारण हुए बिना पट्टेदारी को पुनः नहीं देगी। इसलिये मैं संशोधनों का विरोध करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं संशोधन मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३० और ५ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ८ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ९ (खनन पट्टेदारी के सम्बन्ध में स्वामित्व)

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं संशोधन संख्या ३१ प्रस्तुत करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूँ। पृष्ठ ५ पक्ति १० में "Royalties" शब्द के स्थान पर "Royalty" शब्द रख दिया जाय।

†**श्री पाणिग्रही :** मैं संशोधन संख्या ६ और ८ प्रस्तुत करता हूं। ये संशोधन बहुत सरल हैं और मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इन्हें स्वीकार कर लेंगे।

†श्री महन्ती : मैं संशोधन संख्या ३८ प्रस्तुत करता हूं।

मूल विधेयक में यह अवधि २ वर्ष थी। लेकिन संयुक्त समिति ने इसे बढ़ा कर ४ वर्ष कर दिया। क्योंकि गैर सरकार उपक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिये कुछ सुरक्षा की प्रत्याभूति देना आवश्यक होता है।

मेरे विचार से चार वर्ष की अवधि को बढ़ा कर सात वर्ष कर दिया जाय क्योंकि यह अवधि चुनाव की अवधि के समय समाप्त होती है और ये खान मासिक चुनाव के समय सरकारी पक्ष की सहायता करते हैं। म इस सम्बन्ध में एक अन्य संशोधन संख्या ३३ प्रस्तुत करता हूं।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

†**श्री राधे लाल व्यास :** मैं संशोधन संख्या ७ प्रस्तुत करता हूं। उपखंड (३) (क) के स्थान पर मैं अपना संशोधन रखना चाहता हूं। दूसरी अनुसूची में जो दरें दी गई हैं वे एक रूप नहीं हैं। यद्यपि स्वामित्व की दरें बढ़ा दी गई हैं तथापि दरों में कोई एकरूपता नहीं रखी गई है। मेरे संशोधन का आशय है कि सभी दरों में २५% वृद्धि की जाय।

†**सभापति महोदय :** संशोधन प्रस्तुत हुए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता हूं। मैं श्री पाणिग्रही के संशोधन भी स्वीकार नहीं कर सकता हूं। और न ४ वर्ष की अवधि को ७ वर्ष बढ़ाने वाला संशोधन ही स्वीकार कर सकता हूं।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है कि पृष्ठ ५ पंक्ति १० में "Royalties" शब्द के स्थान पर " Royalty " शब्द रख दिया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६, ७, ८, ३२ और ३३ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"खंड ९ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ९ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १०—(खोजने की अनुज्ञप्तियों और खनन की पट्टेदारी के लिये आवेदन पत्र)

†**श्री महन्ती :** मैं संशोधन संख्या ३४ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री राधे लाल व्यास :** मैं संशोधन सख्या ९, १० और ११ प्रस्तुत करता हूं।

†**सभापति महोदय :** संशोधन प्रस्तुत हुए।

†**श्री महन्ती :** संशोधन संख्या ३४ के द्वारा मैं चाहता हूं कि उपखंड (३) के अन्त में कुछ शब्द जोड़े जायें। जिनका आशय है कि सरकार को खनन पट्टों पर अनुसंधान अनुज्ञप्तियों की अनुमति देने पर उसके कारण बताना चाहिये।

†**श्री के० दे० मालवीय :** कारण क्यों बताये जायें ?

†**श्री महन्ती :** अनुज्ञप्ति के लिये प्रार्थना पत्र देने वाले फीस अदा करते हैं और साथ ही वे एक निश्चित अवधि के अन्दर अपने प्रार्थनापत्र भेजते हैं। उनको किसी आधार पर ही तो नामजद किया जायेगा।

सरकार इस शक्ति का दु पयोग भी तो कर सकती है और उड़ीसा में ऐसा हुआ भी है।

इसीलिये, मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार को अनुमति न देनें के कारण बताने चाहिये।

†**श्री राधे लाल व्यास :** मेरे संशोधन संख्या ९, १० और ११ खनन पट्टों या अनुसंधान अनुज्ञप्तियों के प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में हैं। खण्ड १० में यह नहीं बताया गया है कि प्रार्थना पत्र किसके पास भेजे जायें इसको स्पष्ट तौर पर बताना चाहिये। फिर उपखण्ड (२) में व्यवस्था है कि प्रार्थना पत्रों

---

†मूल अंग्रेजी में

की पहुंच की रसीद भेजी जायेगी। यदि प्रार्थी व्यक्तिगत रूप में मौजूद हो तो उसको वहीं उसी समय रसीद दे देने की भी व्यवस्था रहनी चाहिये।

खण्ड में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रार्थना पत्र मिलने पर उसका ब्यौरा उसी समय रजिस्टर में चढ़ाया जायेगा या नहीं। ब्यौरे को उसी समय दर्ज करने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

प्रार्थना पत्रों पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही करने के लिये भी एक अवधि निर्धारित की जानी चाहिये। राज्य सरकार को उस अवधि के अन्दर निर्णय कर देना चाहिये।

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं श्री महन्ती और श्री राधे लाल व्यास दोनों के संशोधनों को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। इसमें शायद कोई गलतफहमी हो गई है। मैं सभा को बता दूं कि अनुसंधान अनुज्ञप्ति के प्रार्थना पत्र को नामंजूर करने के बाद, केन्द्रीय सरकार उसका पुनरीक्षण करती है, क्योंकि प्रार्थी अनिवार्यत: पुनरीक्षण के लिये लिखेंगे। पुनरीक्षण होने के समय, उसको नामंजूर करने के कारण बताने ही पड़ते हैं। इसलिये श्री महन्ती द्वारा सुझाये हुए शब्द जोड़ना आवश्यक नहीं है। उसे रखने से कुछ पेचीदगियां ही पैदा हो सकती ह।

श्री राधे लाल व्यास ने कई बातें कहीं हैं। उनके एक संशोधन में कहा गया है कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने या उस की पहुंच की तिथि से एक वर्ष के अन्दर राज्य सरकार प्रार्थना पत्र पर निर्णय कर देगी। हमारा प्रयास तो यही है कि प्रार्थना पत्र पर यथाशीघ्र कार्यवाही कर ली जाये। हां, कुछ राज्यों में जरूर कुछ समय लगता है। हम ने नियमों में सुधार करके और अपने अब तक के अनुभव द्वारा इस में लगने वाले समय को कम कर दिया है। अब इस में कुछ सप्ताह से अधिक समय नहीं लगता। हम ने इस का उपबन्ध अपने नियमों में कर दिया है।

एक संशोधन किया गया है अर्थात् 'दी गयी' शब्द के स्थान पर 'दी जाएगी' शब्द रखे गये हैं। सरकार रसीद तुरंत देने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि उस में कुछ कठिनाई हो सकती है। इस में अधिक सुरक्षा है कि उन के हाथ में रसीद देने को बजाए रसीद भेजी जाए। नहीं तो लोग पुन: रसीद मांग सकते हैं और सम्बन्धित क्लर्क मामले को और जटिल बना सकता है।

श्री राधे लाल व्यास : दरख्वास्तों का दूसरों को पता चल जायेगा और और लोग भी दे देंगे।

श्री के० दे० मालवीय : डाक से भेजी जायेगी। वहां पर देने में गड़बड़ हो सकती है, होती तो नहीं है। इस के अलावा इस में और कोई खास बात तो नहीं है।

†**सभापति महोदय** : एक संशोधन में कहा गया है कि आवेदन पत्र समाहर्ता को देना चाहिये।

†**श्री के० दे० मालवीय** : हम ने कुछ कार्यों का विकास किया है और इस सम्बन्ध में कुछ परम्परायें बन गई हैं और नियम भी है। प्राधिकारियों के सम्बन्ध में उपबन्ध है। अत: समाहर्ता को यहां आना वांछनीय नहीं। उस के पास इसे करने के लिये समय ही नहीं होता और फिर उसे तो व्यवस्था करनी होती है। पहले ही हमारी एक व्यवस्था है और उस के लिये नियम हैं। उस व्यवस्था में सुधार की बजाय यदि नई व्यवस्था बनाई जाये तो उस से कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। अत: पुरानी ही व्यवस्था रखना ठीक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९, १०, ११ और ३४ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड १० विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ११ —(कतिपय व्यक्तियों के अधिमान्य अधिकार)

†**श्री महन्ती :** मैं संशोधन संख्या ३५ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री राधे लाल व्यास :** मैं संशोधन संख्या १२ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री महन्ती :** यद्यपि हमारे तर्कों और प्रार्थनाओं का कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि श्री पट्टाभिरामन तो संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में थोड़ा सा परिवर्तन भी नहीं करना चाहते परन्तु मैं संशोधन प्रस्तुत करना भी अपना कर्तव्य समझता हूं । इस विधेयक का खंड ११ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी को अन्य व्यक्तियों पर अधिमान्य दिया जायेगा । परन्तु यहां यह भी कहा गया है कि वह व्यक्ति जिसे खनन के पट्टे का अधिमान्य दिया जायेगा 'अन्यथा' पात्र होना चाहिये । इस "अन्यथा" शब्द का क्या अभिप्राय है ? हमें अनुभव है कि उन लोगों को जिन का विशेष राजनैतिक दल से सम्बन्ध नहीं था पट्टा नहीं दिया गया । अधिमान्य सम्बन्धी इस खंड का प्रयोग इसी प्रकार तो होगा ।

हमारा सुझाव है कि यह न्यायोचित होगा कि किसी अनुज्ञप्तिधारी पर किसी को अधिमान्य दो शर्तों पर देना चाहिये एक तो यह कि उस ने आय कर दे दिया हो और दूसरे उस ने अनुज्ञप्ति की शर्तों को पूरा किया हो । इस प्रकार न केवल न्याय होना चाहिये वरन् ऐसा प्रतीत भी होना चाहिये कि न्याय किया जा रहा है ।

†**श्री राधे लाल व्यास :** खंड ११ द्वारा खनन पट्टे के लिये अनुज्ञप्तिधारी को अन्य प्रार्थनाओं पर अधिमान दिया जा रहा है । मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि उस अनुज्ञप्तिधारी को केवल तभी अधिमान दिया जाय जब वह प्रार्थनापत्र दे अन्यथा उसे व्यर्थ खान क्षेत्र में नहीं बैठाये रखना चाहिये कि वह करे धरे कुछ भी नहीं और उसे अधिमान दिया जाता रहे ।

†**श्री के० दे० मालवीय :** इस सम्बन्ध में नियम हैं । निश्चित समय बीत जाने पर किसी अन्य को अधिमान दिया जा सकता है ।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** यह स्पष्ट है कि यदि निश्चित समय तक काम न किया जाय तो वह अनुज्ञप्तिधारी नहीं रहता और अधिमान तो केवल अनुज्ञप्तिधारी को ही दिया जाता है ।

†**श्री के० दे० मालवीय :** मुझे खेद है कि मैं श्री महन्ती का संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता । गत कुछ वर्षों के अनुभव से श्री महन्ती एक भी ऐसा उदाहरण नहीं बता सकते जब खोज की अनु-

---

†मूल अंग्रेजी में

ज्ञप्ति वाले व्यक्ति को अधिमान न दिया गया हो और सरकार ने किसी अन्य को अधिमान दे दिया हो। अयस्क के पट्टों के बारे में न तो श्री महन्ती हो और न ही मैं यह कल्पना कर सके थे कि पट्टे के लिये कौन पात्र हो सकते हैं। अधिमान की बात पतले या भारी व्यक्ति पर आधारित नहीं। अनुमान कीजिये कि वह व्यक्ति अपराधी है और वह उन शर्तों का उल्लंघन करता है जिस से उसे पट्टा नहीं दिया जा सकता या वह चोर बाजारी करता है या अयस्क चुरा लेता है अथवा अयस्क की खोज के नियमों का उल्लंघन करता है। ऐसी कुछ स्थितियों में तो सरकार उसे अधिमान नहीं देगी। इसी कारण खंड में उपबन्ध किया गया है कि "जो व्यक्ति अन्यथा पात्र हो।" इस उपबन्ध का प्रयोग अन्य बातों या जैसा श्री महन्ती ने कल्पना की है वैसी बातों के लिये नहीं किया जायेगा।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १२ और १५ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ११ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ११ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १२—(खनन की अनुज्ञप्तियों तथा खनन पट्टों की पंजियां)

†**श्री महन्ती :** मैं अपना संशोधन संख्या ३७ प्रस्तुत करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ७, पंक्ति १४ तथा १५ में से निम्नलिखित हटा दिया जाये–

"holding a certificate of approval from the State Government or by an authorised agent of such person."

[राज्य सरकार से या ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिकृत किसी अभिकर्ता से अनुमोदन का प्रमाण-पत्र धारण करने वाले]

उपखण्ड (२) के अनुसार ऐसी पंजी का निरीक्षण किया जा सकता है। मेरे इस संशोधन से यह बात हो जायेगी कि कोई भी व्यक्ति निर्धारित शुल्क दे कर इस का निरीक्षण कर सकेगा। इस से लोग यह जान सकेंगे कि क्या बातें हो रही हैं। यदि यह संशोधन नहीं होता तो आज एक संसद का सदस्य भी जाकर इस का निरीक्षण नहीं कर सकता। कम से कम यह अधिकार तो हमें मिलना ही चाहिये। माननीय मंत्री को लोगों को यह अधिकार देते हुए डरना नहीं चाहिये।

†**सभापति महोदय :** संशोधन प्रस्तुत हुआ।

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं इसे स्वीकार करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ७, पंक्ति १४ तथा १५ में से निम्नलिखित हटा दिया जाये :—

"holding a certificate of approval from the State Government or by an authorised agent of such person."

[राज्य सरकार से या ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिकृत किसी अभिकर्ता से अनुमोदन का प्रमाण-पत्र धारण करने वाले]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १२, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १३—(खनिजों के बारे में नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति)

संशोधन किया गया

पृष्ठ ८, पंक्ति ७ में "a prospecting licence or a mining lease" [खोज करने की अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा] शब्दों के स्थान पर "any other prospecting licence or mining lease" [खोज करने की कोई दूसरी अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा] शब्द रख दिये जांय ।

[श्री के० दे० मालवीय]

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"खण्ड १४, १५ तथा १६ विधेयक के अंग बने ।"

†**श्री नौशीर भरूचा :** इन खण्डों के सम्बन्ध में मेरा एक औचित्य प्रश्न है । राज्य सरकार खोज के विनियमन के बारे में नियम बनायेगी किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि उन खनिज पदार्थों के बारे में क्या होगा जो अनुसूची १ में सम्मिलित नहीं हैं । इसलिये यह उपबन्ध राज्य की सूची की मद संख्या २३ के सीधे विरोध में है ।

†**श्री रघुरामैया :** श्रीमान्, मैं कहना चाहता हूं कि जो तर्क प्रथम वाचन के समय इस संबंध में दिये गये थे वह इस पर भी लागू होते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस विधेयक का पूरा सार तो खण्ड २ में है। वह सामान्य खण्ड है जिसमें यह उपबन्ध किया गया है कि खनिजों के विकास तथा विनियमन की व्यवस्था की जायेगी। खण्ड ५ में कुछ खनिज स्पष्ट रूप से लिखे गये हैं।

लघु खनिजों के बारे में भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है किन्तु खण्ड २ की सामान्यता तब भी बनी रहती है। उस में लिखा है "कि एतत् द्वारा घोषणा की जाती है कि लोक हित के लिये यह उचित है कि संघ उस सीमा तक खानों तथा खनिकों के विकास तथा विनियमन को अपने नियंत्रण में ले ले जिस सीमा तक इस में आगे उपबन्धित हो।" खनिजों में सारे खनिज आ जाते हैं।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"खण्ड १५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १६—(२५ अक्तूबर, १९४९ से पहले मंजूर किये गये पट्टों में रूपभेद करने की शक्ति)

†**श्री नौशीर भरूचा :** यह खण्ड २५ अक्तूबर, १९४९ से पूर्व दिये गये खनन पट्टों में रूपभेद करने के प्रयोजन से है। यद्यपि प्रतिकर की व्यवस्था है किन्तु वह संशोधित पट्टे की मदों के अनुसार होगा और पट्टाधारियों के लाभ पर ध्यान रखा जायेगा।

संविधान के अनुच्छेद ३१ के अनुसार प्रतिकर देने के सिद्धान्तों का प्रतिपादन अवश्य हो जाना चाहिये। अधिसूचना से हम केन्द्रीय सरकार को प्रतिकर देने या निर्धारित करने के पूरे अधिकार दे रहे हैं। मैं यहां यही बताना चाहता हूं कि सरकार को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि प्रतिकर वह स्वयं ही निर्धारित करे। इसी प्रकार अनुच्छेद २७२ के अनुसार उत्पादन शुल्क के वितरण के लिये यह आवश्यक है कि वितरण के नियम बनाये जायें। इस मामले में भी उसी प्रकार की व्यवस्था है।

खंड २८ (२) में भी इस प्रक्रिया के लिये विशिष्ट उपबन्ध है। इस कारण यह कहा जा सकता है कि केवल संसद् ही ऐसे नियम बना सकती है और अन्य कोई संस्था यह नहीं कर सकती। सरकार ने तो इसे केवल अनुमोदन का गृह ही बना रखा है। इन सिद्धान्तों को कभी भी सरकार की नियम बनाने की शक्ति पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये।

†**श्री रघुरामैया :** श्रीमान्, अनुच्छेद ३१क (ङ) में स्पष्टतया लिखा है कि अनुच्छेद १३ में किसी बात के रहते हुए भी खनिजों के खनन आदि के करारों में रूपभेद या उन का समापन करने वाले करारों की व्यवस्था करने वाली कोई भी विधि इस कारण शून्य नहीं होगी कि यह संविधान के

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राघुरामैया]

अनुच्छेद १४, १९ या ३१ के विरुद्ध है अथवा उन के द्वारा दिये गये अधिकारों में उस से किसी प्रकार की कमी होती है ।

खण्ड १६ में यह व्यवस्था है कि २५ अक्तूबर, १९४९ से पहले के पट्टों को इस अधिनियम के स्तर पर लाया जायेगा । खण्ड १६(२) में सरकार को सिद्धान्तों के निर्धारण का अधिकार दिया गया है और यह भी अधिकार दिया गया है कि वह प्रणाली निश्चित करें कि किस प्रकार प्रतिकर दिया जाये । इस कारण अनुच्छेद ३१ सम्बन्धी सभी तर्क ठीक नहीं हैं ।

इस के अतिरिक्त कलकत्ता उच्च न्यायालय का एक निर्णय भी हो चुका है (**५७ कलकत्ता साप्ताहिक टिप्पण ३९७**) जिस में लिखा है कि जहां अनुच्छेद ३१ लागू होता है वहां भी संसद् प्रतिकर के मामले को नियमों से विनियमित करने पर छोड़ सकती है । अनुच्छेद ३१ तो किन्तु इस पर लागू ही नहीं होता क्योंकि यह ३१क(ङ) के अधीन का मामला है ।

†**सभापति महोदय**: प्रश्न यह है :

"खण्ड १६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १७—(कतिपय भू मि क्षेत्रों में खोज करने या खनन करने की केन्द्रीय सरकार की विशेष शक्ति)

†**श्री राघे लाल व्यास**: मैं अपना संशोधन संख्या १४ प्रस्तुत करता हूं ।

खण्ड १७ से सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी क्षेत्र में खोज का कार्य आरम्भ कर सकती है और गजट में अधिसूचना निकाल कर ऐसे क्षेत्र को समुचित रूप से स्पष्ट कर सकती है । यदि सरकार इस प्रकार कोई क्षेत्र लेना ही चाहती है तो कम से कम समय की स्पष्टता तो उसे अवश्य ही करनी चाहिये । इस से लोगों की ही सुविधा होगी । सरकार को भी कोई हानि न होगी ।

†**सभापति महोदय**: संशोधन सभा के सामने है ।

†**श्री महन्ती** : मैं खण्ड १७ का विरोध करता हूं । इसे पूर्ण रूप से ही हटा दिया जाये । इस खण्ड से संविधान के अनुच्छेद १४ का उल्लंघन होता है । अनुच्छेद १४ सब को वैध समानता देता है किन्तु इस से वह भंग हो जाती है । जब राज्यों को भी आपने व्यक्तियों के स्तर पर रख दिया है तो केन्द्र ने यह अपने हाथ में ले लिया है । इस कारण इस का क्या लाभ है ? यह खण्ड अनुच्छेद १४ के सम्पूर्ण विरोध में है । इस खण्ड से समानता के सिद्धान्त पर कुठाराघात होता है । यह सच है कि अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा सरकार को व्यापार करने के लिये प्राथमिकता दे कर कुछ अतिरिक्त सहूलियतें प्रदान की जा सकती हैं लेकिन इस का अर्थ यह नहीं है कि हम जो कानून बनाने जा रहे हैं उसे ही बिल्कुल व्यर्थ कर दिया जाये । यह खण्ड विधि के सम्मुख समानता की धारणा के ही बिल्कुल प्रतिकूल है । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस खंड को निकाल दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पट्टाभिरामन्** (कुम्बकोणम्) : इस विधेयक के साथ मेरा जो संबंध रहा है उसे ध्यान म रखते हुए मैं इस चर्चा में भाग तो नहीं लेना चाहता था लेकिन मैं इस विषय के दो पहलुओं की ओर आप का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

यहां प्रश्न केवल विनियमन का ही नहीं वरन् खनिज पदार्थों के विकास का भी है । इसलिये अनुच्छेद १४ का उल्लेख करना अप्रांसगिक है क्योंकि संविधान के अनुसार भी खनिजों का विनियमन और विकास करने का काम केन्द्रीय सरकार का ही है ।

इसी प्रकार अनुच्छेद १९ की बात भी इस पर लागू नहीं होती क्योंकि उस में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १४ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १७, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १८—(खनिज विकास)

†**श्री पाणिग्रही** : मैं अपना संशोधन संख्या १५ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं खण्ड १८ के संबंध में यह औचित्य प्रश्न रखना चाहता हूं कि खनिज पदार्थों के विकास के संबंध में नियम बनाने का अधिकार केन्द्रीय सरकार के सुपुर्द कर देना संविधान के विरुद्ध है या नहीं क्योंकि इस खण्ड में वह बुनियादी नीतियां निर्धारित नहीं की गयी हैं जिन के आधार पर खनिज पदार्थों के विकास का कार्य किया जायेगा । इस में नीति निर्धारित करने का कार्य भी कार्यपालिका पर ही छोड़ दिया गया है । इस का अर्थ तो यह हुआ कि इस सभा की सत्ता तो केवल नाम मात्र के लिये ही रह गयी ।

यह विधेयक विनियमन और विकास करने के लिये है । यदि सारा काम कार्यपालिका पर ही छोड़ देना है तो इस में इतने सारे खण्ड रखने के स्थान पर केवल यही एक खण्ड क्यों नहीं रहने दिया जाता कि केन्द्रीय सरकार खनिज पदार्थों के विनियमन और विकास के लिये नियम बना सकती है, और काम खतम किया जाय । मेरा निवेदन है कि विधि को सुस्पष्ट होना चाहिये ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**]**

उन अंशों को स्पष्ट रूप में दिखाया जाना चाहिये जिन्हें विधेयक में रखना आवश्यक है या जिन्हें नियम बनाने की शक्ति के रूप में प्रत्यायोजित किया जा सकता है ।

इसलिये, मेरा निवेदन है कि खण्ड १८ संविधान के अनुसार अवैध है क्योंकि इस में अत्यधिक प्रत्यायोजन निहित है ।

†**श्री रघुरामैया** : यदि माननीय सदस्य का प्रयोजन अनुच्छेद ३१ से न हो, जिस में यह निर्दिष्ट है कि जिस समय सम्पत्ति ली जाती है तब प्रतिकर के सिद्धान्त विधि द्वारा निर्धारित किये जाने चाहियें,

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रघुरामैया]

तो मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार की बातें आम तौर पर प्रत्यायोजित कर दी जाती हैं। मैं यह कह सकता हूं कि वैधानिक दृष्टि से यह अत्यन्त सीमित प्रत्यायोजन है क्योंकि हालांकि नियम बनाने की शक्ति का प्रत्यायोजन किया गया है फिर भी खण्ड २८ के अधीन इन नियमों को ३० दिन तक संसद् के समक्ष रखना पड़ेगा और यह संसद् द्वारा किये जाने वाले रूपभेदों के अधीन होंगे। इस में ऐसा नहीं है कि संसद् के पीठ पीछे यह काम किया जा रहा है। नियमों को देख कर यदि श्री भरूचा यह अनुभव करें कि उन में कोई संशोधन किया जाना चाहिये तो वह उसे पेश कर सकते हैं। यदि संसद् उस संशोधन को स्वीकार कर ले तो नियमों में उस सीमा तक रूपभेद कर दिया जायेगा। इसलिये उस में कोई भी अवैधानिक अथवा अनुचित बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १५ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १८ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १८ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १९—(अधिनियम का अतिक्रमण होने पर खोज करने के लाइसेंस और खनन पट्टे अवैध होंगे)

†**श्री राघे लाल व्यास :** मैं अपने संशोधन संख्या १६ और १७ प्रस्तुत करता हूं।

इस खण्ड द्वारा सरकार अथवा संबंधित अधिकारियों को बड़े व्यापक अधिकार दे दिये गये हैं और वह जब चाहें किसी के भी लाइसेंस अथवा खनन पट्टों को अवैध घोषित कर सकते हैं।

मेरे संशोधनों में यह व्यवस्था हो जायेगी कि किसी व्यक्ति के लाइसेंस अथवा पट्टे तभी रद्द किये जायें जब कि उस की ही कोई गलती हो या उस ने कोई जालसाजी की हो। दूसरे संशोधन द्वारा मैं यह व्यवस्था करना चाहता हूं कि इन्हें अवैध घोषित करने का अधिकार अनिश्चित काल तक न रहे वरन् लाइसेंस अथवा पट्टों के मंजूर किये जाने के बाद केवल एक वर्ष तक ही उन्हें रद्द करने का यह अधिकार रहे। मुझे आशा है कि मेरे संशोधनों पर उन्हें स्वीकार करने की दृष्टि से विचार किया जायेगा।

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार को बहुत शक्तियां दे दी गयी हैं। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही के लिये समय की सीमा अवश्य ही निर्धारित की जानी चाहिये। साधारण मामलों के लिये भी ३ वर्ष की सीमा रखी जाती है। यहां भी हम ३ या ५ वर्ष की अवधि की सीमा निर्धारित कर सकते हैं।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह तो बड़ी सीधी सी बात है। मेरा ख्याल है कि यह सभा यही चाहती है कि इस सभा द्वारा बनायी गयी विधियों का पालन किया जाय। स्वाभाविक है कि उपबन्धों का अतिक्रमण कर जो पट्टा दिया गया हो वह अवैध हो जायेगा।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** किस ने दिया हो ? मान लीजिये कि इस गलती के लिये सरकारी अधिकारी ही जिम्मेदार हो। तब कौन दण्डित होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यदि सरकारी अधिकारी गलती करता है तब वह भी दण्डित हो सकता है। लेकिन इस का मतलब यह नहीं कि दूसरा पक्ष इस से फायदा उठा ले।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १६ और १७ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १९ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १९ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड २० से २९ विधेयक में जोड़ दिये गये

खण्ड ३०—(केन्द्रीय सरकार का पुनरीक्षण का अधिकार)

†**श्री राघे लाल व्यास :** मैं अपना संशोधन संख्या २० प्रस्तुत करता हूं।

मेरा यह संशोधन बहुत ही सीधा सा है क्योंकि विधि का यह आधारभूत सिद्धान्त है कि यदि कोई आदेश दिया जाये तो उस का रूप भेद करने से पहले उस से प्रभावित हाने वाले पक्ष को भी अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया जाता है। मुझे आशा है कि कम से कम इस संशोधन को मंत्री महोदय अवश्य स्वीकार कर लेंगे।

†**श्री के० दे० मालवीय :** मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २० मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३० विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३० विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** नया खण्ड ३०क।

†**श्री राघेलाल व्यास :** मैं अपने संशोधन संख्या २१, २२ और २३ प्रस्तुत करता हूं।

जब अधीनस्थ अधिकारी के आदेश के पुनरीक्षण का उपबन्ध रखा गया है तब किसी अधिकारी अथवा सरकार के आदेशों के पुनरीक्षण का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिये ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २१, २२ और २३ मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये और अस्वीकृत हुए ।

खण्ड ३१—(विशेष मामलों में नियमों में रियायत करना)

†**श्री बि० दास गुप्त :** मैं इस पूरे खण्ड का विरोध करता हूं। यह तो पूरे सिद्धान्त को ही समाप्त कर देता है। जहां तक व्यावहारिकता का प्रश्न है खनन लाइसेंस और संचालन से संबंधित सभी पहलू खण्ड १३ के अधीन आ जाते हैं। मेरे ख्याल से यदि हम इस खण्ड को स्वीकार कर लें तो फिर तो इस विधेयक की ही आवश्यकता नहीं रह जायेगी ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह आपातकालीन अधिकार है जिस का उपयोग विशेष अवसरों पर विशेष कारणवश ही किया जायेगा । इन कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करना होगा ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मुझे तो आशा थी कि सरदार साहिब इस समय यह कहेंगे कि खण्ड १९ में जो भी त्रुटियां रह गयी हैं उन्हें इस धारा के द्वारा सुधार दिया जायेगा। इस उपबन्ध का तो तभी लाभ है जब कि इस में खण्ड १९ की त्रुटियों को सुधार दिया जाये ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : पंडित ठाकुर दास जी भार्गव ने जो कुछ कहा है उस में काफी सार है। यदि हमारे पास और अधिक समय होता तो सभी बातों का जिक्र किया जा सकता था।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३१ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३१ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३३—(किन्हीं अधिनियमों का वैधकरण तथा क्षतिपूर्ति)

†**श्री नौशीर भरूचा** : इस सम्बन्ध में मेरा एक औचित्य प्रश्न है। खण्ड में यह लिखा हुआ हैं कि "कार्यपाल प्राधिकारी द्वारा किये गये सभी कार्य किसी विधि के अनुसार किये गये कार्यों के समान ही वैध तथा प्रवर्ती माने जायेंगे"। इस खण्ड के उपबन्धों का अर्थ यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में अपील करने का कोई अधिकार न होगा। संविधान के अनुच्छेद ३२, २२६ तथा २२७ के अनुसार तो प्रत्येक व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार प्राप्त है, जिसे किसी भी अधिनियम द्वारा छीना नहीं जा सकता। अतः यह खण्ड संविधान की शक्ति से परे है। और इसलिये यह पारित नहीं किया जा सकता ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अपील का अधिकार तो एक संवैधानिक अधिकार है जिस पर इस अधिनियम का कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। मेरी तो यही राय है; खैर मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डालें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं नहीं समझता कि इस में कोई असाधारण बात है। यह तो एक सामान्य शब्दावलि है जिस का अधिकतर अधिनियमों में प्रयोग किया जाता है। इस का हमारे संविधानिक अधिकार पर जरा भी असर नहीं पड़ता।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री हमें यह आश्वासन दें कि इस विधि के अधीन किसी भी व्यक्ति को अपील करने से नहीं रोका जायेगा। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर अच्छी तरह से प्रकाश डालें। इस में यह लिखा हुआ है कि 'किसी व्यक्ति के विरुद्ध' अपील नहीं की जा सकेगी। 'व्यक्ति' का अर्थ 'सरकार' तो नहीं है। परन्तु, यदि 'व्यक्ति' से 'सरकार' का भी अर्थ लिया जा सकता है तब तो मेरा यह निवेदन है कि यह विधान पास न किया जाये।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं नहीं समझता कि यह अधिनियम किसी भी व्यक्ति को अपील करने के अधिकार से वंचित करता है। अपील करने का अधिकार तो दण्ड प्रक्रिया संहिता द्वारा शासित होता है और वह अधिकार इस अधिनियम द्वारा समाप्त नही होता।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

प्रथम अनुसूची तथा द्वितीय अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि तीसरी अनुसूची के सम्बन्ध में कुछ संशोधन हैं।

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ १९, पंक्ति १६ में

"clauses" ("खण्डों") शब्द के पश्चात् "(b)" ["(ख)"] शब्द जोड़ दिये जायें, और

(२) पृष्ठ १९, पंक्ति २१ में

"clause (d)" ["खण्ड (घ)"] शब्दों के स्थान पर "clause (a)" ["खण्ड (क)"] शब्द रख दिये जायें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

(१) पृष्ठ १९, पंक्ति १६ में

" lauses" ("खण्डों") शब्द के पश्चात् "(b)" ["(ख)"] शब्द जोड़ दिय जायें, और

(२) पृष्ठ १९, पंक्ति २१ में

" clause (d)" ["खण्ड (घ)"] शब्दों के स्थान पर " clause (a)" ["खण्ड (क)"] शब्द जोड़ दिये जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि तीसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

तीसरी अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक में, जोड़ दी गयी ।

खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दामोदर घाटी निगम (संशोधन) विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम अगली कार्यवाही प्रारम्भ करते हैं ।

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दामोदर घाटी निगम अधिनियम, १९४८ में संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

दामोदर घाटी निगम अधिनियम दामोदर घाटी के विकास के लिये एक निगम की स्थापना तथा विनियमन के हेतु १९४८ में पारित किया गया था ।

अधिनियम की धारा ४ में यह विहित है कि निगम में एक सभापति और दो अन्य सदस्य होंगे ।

अधिनियम की धारा ५(१) में यह विहित है कि प्रत्येक सदस्य निगम का पूर्णकालिक कर्मचारी होगा । तदनुसार, निगम में एक पूर्णकालिक सभापति और दो सदस्य काम कर रहे हैं । अब इस नये संशोधन विधेयक के अनुसार इस शर्त में यह छूट दी जा रही है कि यदि वे कर्मचारी चाहें तो पूर्णकालिक कर्मचारी बन सकते हैं और यदि चाहें तो थोड़े समय के लिये काम करने की भी उन को अनुमति है ।

निगम के कृत्यों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है :(१) (क) सिंचाई, जल संभरण तथा जल निस्सारण के लिये योजनाओं की कार्यान्विति तथा प्रगति, (ख) विद्युत् शक्ति का उत्पादन, पोषण तथा वितरण, और (ग) बाढ़ नियंत्रण, नौपरिवहन, जंगल लगाने, भूमि के कटाव पर नियंत्रण के लिये परियोजनायें बनाना; और (२) सारे के सारे प्रदेश का विकास करना जिस में दामोदर घाटी और उस के क्षेत्र में जन स्वास्थ्य, कृषि तथा औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था और उन की सामान्य प्रगति सम्मिलित है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निगम द्वारा प्रारम्भ की गयी परियोजनाओं में से निम्नलिखित परियाजनाओं का निर्माण पूरा हो चुका है :—

(१) तिलैय्या बांध तथा जल-विद्युत् स्टेशन;

(२) कोनार बांध;

(३) दुर्गापुर बांध;

(४) बोकारो ताप विद्युत् स्टेशन; और

(५) मैथोन बांध ।

पंचेत पर्वत परियोजना और उस के जल-विद्युत् स्टेशन तथा मैथोन बांध से सम्बद्ध जल-विद्युत् स्टेशन का पर्याप्त सीमा तक निर्माण हो चुका है । आशा है कि दुर्गापुर ताप विद्युत् स्टेशन के अतिरिक्त अन्य सभी परियोजनायें तथा अनुबद्ध नहर व्यवस्था और पोषण व्यवस्था १९५८ के अन्त तक पूरी हो जायेंगी । इस प्रकार से परियोजनाओं के समस्त निर्माण कार्य में से लगभग ८० प्रतिशत कार्य हो चुका है ।

अब तक तो दामोदर घाटी निगम ने निर्माण कार्य की ओर ही मुख्यतया ध्यान दिया था । परन्तु मैथोन बांध के पूरा हो जाने के बाद निर्माण कार्य में कुछ कमी कर दी गयी है । इस में भाग लेने वाली सरकारों ने यह निर्णय किया है कि निगम के मुख्य उद्देश्यों से सीधा सम्बन्ध रखने वाले कार्यों जैसे कि सिंचाई, विद्युत् उत्जनन तथा बाढ़ नियंत्रण के विकास कार्यों को सीमित कर दिया जाये । योजनाबद्ध विकास के प्रारम्भ में ही पश्चिमी बंगाल तथा बिहार की राज्य सरकारों ने अपने अपने क्षेत्र में गहन विकास कार्य प्रारम्भ कर दिया है ।

अब जो २० प्रतिशत निर्माण कार्य बचा है इसे दृष्टि में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि निगम के पास उपबन्ध सीमित राशि से अब अधिक विकास कार्य की संभावना नहीं है, मैं समझता हूं कि निगम में एक सभापति तथा दो सदस्यों को पूर्णकालिक कर्मचारियों के रूप में रखना वांछनीय नहीं है । इन तीन व्यक्तियों में से दो को तो सम्बद्ध सरकार के परामर्श के अनुसार ही नियुक्त किया गया था । अब वास्तव में हम प्रथम श्रेणी के व्यक्तियों को धीरे धीरे वहां से निकाल रहे हैं और उन के स्थान पर ऐसे व्यक्ति रख रहे हैं जिन्हें मैं प्रथम श्रेणी के कर्मचारी नहीं कह सकता । इसलिये वास्तव में तो हम बचत करने की कोशिश कर रहे हैं; परन्तु क्योंकि हम अधिनियम के उपबन्धों से बद्ध हैं, इसलिये हमें इन तीन व्यक्तियों को पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में रखना पड़ता है ।

दामोदर घाटी निगम अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के अनुसार पूर्णकालिक कर्मचारियों के अतिरिक्त और किसी को भी नियुक्त नहीं किया जा सकता । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस संशोधन के द्वारा इस उप-धारा को निकाल दिया जाये ताकि केन्द्रीय सरकार यदि चाहे तो अल्पकालिक कर्मचारियों को भी नियुक्त कर सके ।

मैंने इस सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल तथा बिहार के मुख्य मंत्रियों से बात चीत की है और वे दोनों मेरे इस सुझाव से सहमत हैं ।

अब मैं, आपको यह बताने का प्रयत्न करूंगा कि दामोदर घाटी योजना से हमें क्या क्या लाभ हुआ है और इस से कितने एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी । जहां तक पश्चिमी बंगाल का सम्बन्ध है, कुल १०,२६,००० एकड़ भूमि की सिंचाई की जानी है; उस में से १९५६ में ११,२०० एकड़ भूमि की

[श्री स० का० पाटिल]

सिंचाई की गयी थी, और इस वर्ष १,३२,००० एकड़ भूमि की सिंचाई की गयी है। इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा काश्तकारों को मुफ्त पानी दिया गया था। आशा है कि काश्तकारों को सिंचाई सम्बन्धी जल की सुविधा देने के उपरान्त उन पर सिंचाई शुल्क लगाया जा सकेगा। उस सम्बन्ध में हमारा चाहे कुछ भी दृष्टिकोण हो, पश्चिमी बंगाल की सरकार ने तो वह पहले ही कर दिया है और इसलिये इस का कोई इलाज नहीं।

जहां तक बिहार का सम्बन्ध है, इन सिंचाई योजनाओं पर सक्रिय विचार किया जा रहा है। तिलैय्या उच्च स्तरीय सिंचाई योजना द्वारा १५,५०० एकड़ भूमि को सींचा जायेगा। तिलैय्या निकासी योजना के द्वारा ५०० एकड़ भूमि की सिंचाई की जायेगी। भूमि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि अधिक लाभ पश्चिमी बंगाल को ही प्राप्त होता है।

जहां तक बोकारोताप संयंत्र से विद्युत् शक्ति के उद्जन का सम्बन्ध है, इस समय १,५०,००० किलोवाट बिजली पैदा की जा रही है और इसके अतिरिक्त ७५,००० किलोवाट बिजली पैदा करने के लिये अतिरिक्त प्रबन्ध भी किया जा रहा है। जहां तक विद्युत् उत्पादन का प्रश्न है, बोकारो तापीय संयन्त्र से, जो कि पूरा हो चुका है, इस समय १,५०,००० कि० वा० बिजली पैदा की जा रही है। इसके अलावा ७५,००० कि० वा० आंतरिक बिजली उत्पन्न करने की व्यवस्था की जा रही है। तिलैया जल विद्युत् केन्द्र के लिए ४००० किलोवाट और मैथोन जल विद्युत् केन्द्र के लिए २५००० किलोवाट का प्रजनन किया जा रहा है और ४०,००० किलोवाट आगामी कुछ महीनों में उपलब्ध होगी। पंचेट पहाड़ी जल विद्युत् केन्द्र में १९५८ के अन्त के पूर्व ४०,००० किलोवाट का प्रजनन किया जायगा। दुर्गापुर तापीय विद्युत् केन्द्र में १,५०,००० किलोवाट का प्रजनन किया जायगा। इस समय १,७४,००० किलोवाट विद्युत् का प्रजनन हो रहा है और आगामी वर्ष में ३,०५,००० किलोवाट अतिरिक्त विद्युत तैयार की जायगी। इस प्रकार कुल योग ४,७९,००० किलोवाट होगा। दामोदर घाटी निगम की विद्युत् उत्पादन क्षमता इतनी है।

जहां तक इस विद्युत की खपत का संबंध है पश्चिमी बंगाल सरकार प्रतिमाह २·६ करोड़ किलोवाट खपत करती है। बिहार सरकार प्रतिमाह १·५ करोड़ किलोवाट खपत करती है। पश्चिमी बंगाल तथा बिहार दोनों में अन्य उपभोक्ताओं द्वारा प्रतिमाह ३·१ करोड़ बिजली की खपत होती है।

दामोदर घाटी निगम परियोजना से विद्युत से १ जनवरी, १९५२ से ३१ अक्तूबर, १९५७ तक कुल आय ७,०७,७९,००० रुपए हुई। अक्तूबर, १९५७ में ३४,८२,००० रुपए आय हुई थी। १९५७–५८ में विद्युत प्रजनन से ३,२९,००,००० रुपए की आय होने की आशा है और १९५८-५९ में ४,२३,००,००० रुपये। दामोदर घाटी निगम परियोजना पर ३०, सितम्बर १९५७ तक कुल व्यय १०७·९८ करोड़ रुपये हुआ। चालू वित्तीय वर्ष में १५·८९ करोड़ रुपये व्यय किये जाने की आशा है और १९५८-५९ में १७·१० करोड़ रुपए। १९६२·६३ में परियोजनाओं का पूर्ण विकास हो जाने पर निम्नांकित लाभ होने की आशा है। विद्युत से पूंजी विनियोजन का ६·०८ प्रतिशत प्राप्त होगा; सिंचाई से, यदि वह योजना के अनुसार सफल रही, ३·७२ प्रतिशत प्राप्त होगा। दामोदर घाटी निगम के चालू होने के समय से बाढ़ आना बिल्कुल बन्द हो गया है जो पहले अक्सर आया करती थीं और आशा है कि भविष्य में भी उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। विद्युत और सिंचाई का सम्मिलित कुल औसत लगभग ४·१५ प्रतिशत होगा।

मैं यह जानकारी इसलिए नहीं दे रहा हूं कि वह इस विधेयक के संबंध म आवश्यक थी वरन् इसलिए कि सदन को इस बात की जानकारी हो जाय कि अभी तक क्या प्रगति हुई है और निकट भविष्य में हम क्या करने जा रहे हैं । मैं प्रसंगवश यह भी बता दूं कि दामोदर घाटी निगम का दूसरा पहलू यह है । विकास वास्तव में अनेक कारणों से केन्द्रित नहीं रहा है । सर्वप्रथम यह जिम्मेदारी राज्यों की है क्योंकि उन्हें ये विकास कार्यक्रम बनाने चाहिएं । दामोदर घाटी का व्यय मूल योजना से बढ़ गया है । यह वृद्धि बहुत अधिक तो नहीं है परन्तु विकास के लिए आवश्यक धन प्राप्त करना है ।

मैं यह फिर से कह देना चाहता हूं कि जो संशोधन मैं प्रस्तुत कर रहा हूं उसका मुख्य अधिनियम से कोई संबंध नहीं है । हम दामोदर घाटी निगम अधिनियम की अनेक बातों को बदल देना चाहते हैं जैसा कि सदन को ज्ञात है । यद्यपि निगम स्वायत्तशासी है और उसका निर्माण इस संसद् के परिनियम द्वारा किया गया है, हमें बिहार और पश्चिमी बंगाल दोनों सरकारों से परामर्श करना होता है । इसमें अनेक कठिनाइयां हैं । यदि एक सरकार पसंद करती है तो दूसरी नहीं करती । इसलिए ऐसी बात निकालने के लिए जो दोनों को मान्य हो, जो अत्यन्त कठिन प्रक्रिया है, मुख्य अधिनियम में संशोधन बाद में रखे जायेंगे। मैं यह तो नहीं बता सकता कि कब रखे जायेंगे परन्तु मैं उन्हें यथाशीघ्र रखना चाहता हूं । परन्तु यह ऐसी चीज है जो मेरी शक्ति में नहीं है । वर्तमान अधिनियम का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है जैसा कि उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में बताया गया है और वह है अधिनियम की कठोरता समाप्त करके आनम्यता लाना ।

जब कि हमारे लिए यह आवश्यक है कि तीनों सदस्य पूर्णकालिक पदाधिकारी हों, हम परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार, पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक पदाधिकारी रखते हैं ।

मैं सदन को यह भी बता दूं कि अंशकालिक पदाधिकारियों के संबंध में दूसरे सदन में कुछ गलतफहमी है । लोग कभी यह समझते हैं कि अंशकालिक पदाधिकारी एक या दो घण्टे काम करते हैं । हम ऐसा नहीं समझते हैं । अंशकालिक पदाधिकारी वे होते हैं जिन्हें संबंधित सरकारों द्वारा भुगतान किया जाता है । उन्हें दामोदर घाटी निगम द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है । मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि हम लगभग १ लाख रुपए की बचत करेंगे । इस तरह धन बचाने का प्रश्न हमारे सामने नहीं है । वास्तव में विकास का कोई कार्य नहीं है और इन चोटी के लोगों को पूर्णकालिक पदाधिकारियों के रूप में प्राप्त करना सरल नहीं है ।

इस प्रकार इस विधेयक का क्षेत्र अत्यधिक सीमित है, अर्थात् इन पदाधिकारियों की नियुक्ति में आनम्यता लाना है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

माननीय सदस्य आज कितने समय तक बैठने के लिए तैयार हैं ?

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : इस विधेयक पर आगामी सत्र में विचार किया जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इसमें बहुत विलम्ब हो चुका है इसलिए अब अधिक विलम्ब न किया जाय । हम कार्य-व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं । बड़े प्रश्नों के संबंध में एक व्यापक विधेयक बाद में लाया जाएगा अभी तो इसे ही पारित किया जाय ।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : इस निगम के सम्बन्ध में अनेक शिकायतें थीं, इसलिए यह आशा की जाती थी कि माननीय मंत्री एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करेंगे ।

मंत्री जी ने कहा कि ८० प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है । जब श्री गाडगिल ने दस वर्ष पूर्व इस विधेयक को प्रस्तुत किया था तो उन्होंने देश के समक्ष बड़ी बड़ी आशायें रखी थीं । उन्होंने बताया कि दामोदर घाटी निगम की प्रेरणा टेनेसी घाटी प्राधिकार से मिली थी और उससे सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और उद्योगों के लिए विद्युत । उन्होंने यह भी कहा था कि जिनकी भूमि अर्जित की जायगी उनको अधिक अच्छी तरह से बसा दिया जायगा । उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने झोंपड़े के बदले में अच्छे मकान मिल जायेंगे और अन्धकार के बदले में प्रकाश ।

माननीय मंत्री के इस कथन का तात्पर्य कि निगम का ८० प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है । मुझे यह कहना है कि जिस प्रयोजन के लिए निगम का निर्माण किया गया था उसमें वह असफल रहा । क्या लोगों को वास्तव में बसाया जा चुका है ? क्या आदर्श ग्रामों की स्थापना हो गई है जिसकी आशा दिलाई गई थी ? क्या इस निगम को केवल निर्माण कार्य के लिए स्थापित किया गया था ? इस निगम के सम्बन्ध में माननीय मंत्री अभियंत्रणा की दृष्टि से सोच रहे हैं विकास की दृष्टि से नहीं । उनके तथा निगम विधेयक के प्रस्तावक मंत्री के दृष्टिकोण में यह आधारभूत अन्तर है ।

दामोदर घाटी निगम के कार्यकरण का रिकार्ड सन्तोषप्रद नहीं है । जब व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा तब इस पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह निगम के कर्मचारियों की नौकरी के संबंध में है। माननीय मंत्री ने पिछले दिन कहा था कि ६००–७०० व्यक्ति फालतू होंगे और उनको नौकरी दिलाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से बातचीत की जा रही है । परन्तु कर्मचारियों में बड़ी निराशा फैली हुई है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री पुनः यह आश्वास दें कि उन कर्मचारियों को नौकरी से निकाला नहीं जाएगा ।

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिससे यह चर्चा शीघ्र समाप्त हो सके । दामोदर घाटी निगम के संबंध में सामान्य चर्चा के लिए अगले सत्र में एक या दो घण्टे का समय निश्चित कर दिया जाय । अन्यथा इस विधेयक के संबंध में जो चर्चा होगी उसमें इधर उधर की बातें कही जायेंगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य इससे सन्तुष्ट हों तो मैं उन्हें अगले सत्र के प्रारम्भ में वैसी चर्चा करने का वचन दे सकता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बी० दास गुप्त** : (पुरुलिया) : मैं इस विधयक का विरोध करता हूं । मैं समझता हूं वर्तमान शासन व्यवस्था में पूर्णकालिक स्वायत्तशासी निगमों की स्थापना की जानी चाहिए । मैं समझता हूं कि किसी परियोजना के पूर्ण होने पर ही विकास का मुख्य कार्य प्रारंभ होता है । वर्तमान निगम का कार्य केवल दामोदर घाटी निगम परियोजना में सन्निहित अभियंत्रणा कार्यों का प्रबन्ध करना था । परन्तु इस कार्य के पीछे भी आयोजन की कमी है ।

उदाहरणार्थ, प्रत्येक बांध की समाप्ति पर बेरोजगारी फैलती है । माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि शीघ्र ही ६००–७०० कर्मचारी नौकरी से निकाले जाने वाले हैं । मैं समझता हूं कि योजना ऐसी होनी चाहिए थी कि उनको नौकरी दिलाने की पूर्व-व्यवस्था होती । इन लोगों को अपने कार्य का पर्याप्त अनुभव हो गया है और अब उन्हें बेरोजगार किया जा रहा है । इसका विचार किया जाना चाहिए । मैं समझता हूं कि इस निगम का टेनेंसी घाटी प्राधिकार के समान विकास किया जाना चाहिए ।

जहां तक विकास कार्य का संबंध है, बिजली का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि आयोजन ठीक नहीं है ।

सिंचाई के सम्बन्ध में मेरा विचार है कि जहां जहां होकर बिजली के तार निकलते हैं वहां पम्प लगाकर सिंचाई के लिए पानी का सम्भरण किया जा सकता है । ऐसा करना सम्भव है परन्तु किया नहीं जा रहा है । यदि निगम का इस दृष्टि से निर्माण किया जाय कि उसका कार्य विकास संबंधी भी हो तो मैं समझता हूं कि सिंचाई का उपबन्ध करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है ।

मैं अनुरोध करूंगा कि निगम को अभी तोड़ा न जाय । इस निगम को पूर्णकालिक होना चाहिए जिसकी शक्तियां अत्यन्त विस्तृत हों । यदि ऐसा किया जाय तो एक क्षेत्र के विकास कार्य इस निगम को सौंपे जा सकते हैं ।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि विकास का वास्तविक कार्य परियोजना की समाप्ति पर ही प्रारंभ होता है । जिस बिजली का प्रजनन निगम करता है उसका उपयोग करने का कार्य भी उसको सौंपा जाना चाहिए । मैं आशा करता हूं माननीय मंत्री प्रश्न के इस पहलू पर वचार करेंगे ।

†**श्री अ० चं० गुह** : माननीय मंत्री के सुझाव को मान लेना चाहिए क्योंकि अब सब लोग थक गए हैं और कोई सुन नहीं रहा है ।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता-पूर्व) : हम मुख्य बातों की चर्चा तो अभी कर लें क्योंकि बाद में उनका कोई लाभ नहीं होगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तो फिर वह अगली चर्चा में भाग नहीं ले सकेंगे ।

†**श्री साधन गुप्त** : मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं । मैं भ्रष्टाचार, पक्षपात, या अन्य किसी बात का दोष नहीं लगाना चाहता पर मैं सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण बात लाना चाहता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री साधन गुप्त]

कुछ लोग भरती किये जा रहे हैं । ऐसा लगता है कि दामोदर घाटी निगम ने जो विज्ञापन निकाला है उसमें जो योग्यतायें दी गयी हैं वह केवल उन्हीं तीनों इंजीनियरों के पास हैं जो कृपाभाजन हैं । इंजीनियरों में बड़ा असंतोष फैल गया है । इन इंजीनियरों से अधिक वरिष्ठ अन्य इंजीनियर भी हैं । पर योग्यतायें इस प्रकार की मांगी गई है कि वे योग्यतायें केवल इन्हीं तीन इंजीनियरों के पास हैं । माननीय मंत्री के पास इस सम्बन्ध में ज्ञापन भेजा जा चुका है और उसकी १ प्रति मेरे पास भी है ।

अतः यदि उचित हो तो माननीय मंत्री सारी बातों पर विचार करें और आवेदन देने की अवधि सीमा स्थगित करने का आदेश दे दें ।

†**श्री स० का० पाटिल :** माननीय सदस्य ने कई बातें उठाई हैं । मैं उनका उत्तर संक्षेप में दूंगा । साधारणतया विज्ञापन आदि के बारे में हम या हमारा मंत्रालय कुछ भी नहीं करता । निगम एक स्वायत्तशासी संस्था है । यदि कोई बात नियम विरुद्ध हुई हो और मेरे पास शिकायत आये तो हम उस मामले को देखते हैं ।

यदि कोई बात हो तो माननीय सदस्य को चाहिए कि वे मुझे या मेरे मंत्रालय को उसकी सूचना दे दें । हम उस पर विचार करेंगे । यह बात ठीक नहीं कि मुझ से सभा में पूछा जाय कि अमुक समाचार में ने देखा है या नहीं देखा है । यदि श्री साधन गुप्त ऐसी कोई बात बताना चाहते हैं जो उन्हें अभी पता लगी है तो हम उस पर विचार करने को तैयार हैं । हम स्वयं चाहते हैं कि दामोदर घाटी निगम के प्रशासन का काम ठीक तरह से चले और इस सभा का भी उत्तरदायित्व है कि उसके काम की देखभाल करता रहे । अतः सब से अच्छी बात यह है जब भी माननीय सदस्य को कोई ऐसी बात मालम हो वह तुरन्त हमें सूचित करें और हम जो कुछ भी हो सकेगा करेंगे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब मैं प्रस्ताव को मतदान के लिए रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि दामोदर घाटी निगम अधिनियम, १९४८ में [संशोधन करो वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप से, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब हम खण्डों को लेंगे । श्री घोषाल का संशोधन नियम विरुद्ध है ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ और २, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम [विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड १ और २, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री स० का० पाटिल :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इस के पश्चात् लोक-सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न का मौखिक उत्तर— पृष्ठ

अल्प सूचना] विषय
प्रश्न संख्या

९ नरसिंगगिरजी मिल्स लिमिटेड, शोलापुर . . . ३४७५-७६

सभा पटल पर रखे गये पत्र— ३४७६-७७

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) कोलार की सोने की खानों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में दिये जाने वाले प्रतिकर सम्बन्धी तदर्थ समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(२) भारतीय एयर लाइन्स निगम के किरायों तथा भाड़ों की दरों (मई, १९५७) सम्बन्धी विमान परिवहन परिषद के प्रतिवेदन की एक प्रति।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (जून, १९५७) के ४०वें सत्र में भाग लेने वाले भारतीय सरकार के प्रतिनिधि मण्डल के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(४) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १४ दिसम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३९७२ की एक प्रति ।

(५) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ६ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३५८५ ।

(दो) दिनांक ६ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३५८६ जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (रंग पदार्थ) नियम, १९५७ निहित है ।

(६) लोक-ऋण अधिनियम, १९४४ की धारा २८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) लोक ऋण (प्रतिकर बन्ध-पत्र) नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १३ अक्टूबर, १९५६ की एस० आर० ओ० संख्या २२८६।

(दो) लोक-ऋण (वार्षिकी प्रमाण-पत्र) नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १३ अक्टूबर, १९५६ की एस० आर० ओ० संख्या २२८७। पृष्ठ

(तीन) लोक-ऋण (प्रतिकर बन्ध-पत्र) नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १३ अप्रैल, १९५७ की एस० आर० ओ० संख्या ११५६।

(७) तीसरे सत्र में हुई सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की बैठकों (तीसरी और चौथी) के कार्यवाही-सारांश।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन ३४७८

दूसरा प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ३४७८-७९

श्री स० म० बनर्जी ने कानपुर काटन मिल्स लिमिटेड तथा एथर्टन वेस्ट मिल्स, कानपुर के कथित बन्द होने की ओर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाया। वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) ने इसके संबंध में एक वक्तव्य दिया।

अनुपस्थिति की अनुमति ३४७९

छः सदस्यों को लोक-सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी गयी।

राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधन स्वीकार किये गये ३४८०-८१

लोक-सभा द्वारा पारित संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक तथा सम्पदा शुल्क और रेलवे यात्री किरायों पर कर (वितरण) विधेयकों में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया गया। संशोधन स्वीकृत हुए।

पारित किये गये विधेयक ३४८१-३५३७

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार किया गया तथा पारित हुए :—

(एक) डफरिन की काउन्टैस निधि विधेयक, १९५७

(दो) नागरिकता संशोधन विधेयक, १९५७

(तीन) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) विधेयक, १९५७, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ; और

(चार) दामोदर घाटी निगम (संशोधन) विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में।

दूसरी लोक-सभा के तीसरे सत्र की कार्यवाही का सारांश

१. सत्र की अवधि—११ नवम्बर से २१ दिसम्बर, १९५७

२. बैठकों की संख्या—३२

३. मत विभाजनों की संख्या—१५

४. सरकारी विधेयक—

(एक) पुरस्थापित किये गये—२१

(दो) राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखे गये—५

(तीन) प्रवर समिति को सौंपे गये—कोई नहीं

(चार) संसद् के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपे गये—३

(पांच) पारित किये गये—२९

(छः) सत्र की समाप्ति पर लम्बित—६

५. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—

(एक) पुरस्थापित किये गये—८

(दो) निबटा दिये गये—६

(तीन) सत्र की समाप्ति पर लम्बित—२८

६. सरकारी संकल्प प्रस्तुत किये गये—कोई नहीं

७. गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प प्रस्तुत किये गये—५

८. सरकारी प्रस्ताव—

प्रस्तुत किये गये—४

९. गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये—४

१०. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर चर्चा—१

११. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर दिये गये वक्तव्य—

(एक) पूर्व सूचना प्राप्त हुई—५९

(दो) वक्तव्य दिये गये—१०

१२. पूछे गये प्रश्न—

(एक) तारांकित—१३८४

(दो) अतारांकित—२१३८

(तीन) अल्प सूचना प्रश्न—९

१३. स्थगन प्रस्ताव—

(एक) प्राप्त हुए—२३

(दो) गृहीत—कोई नहीं

(तीन) अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी—२३

१४. संसदीय समितियों के प्रतिवेदन उपस्थापित किये गये—

(एक) कार्य मंत्रणा समिति—७

(दो) अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन (दूसरा प्रतिवेदन)—१

(तीन) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—५

(चार) याचिका सम्बन्धी समिति—१

(पांच) सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—२